खण्ड-246, अंक-3
सोमवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(24 फरवरी, 1964 ई0)

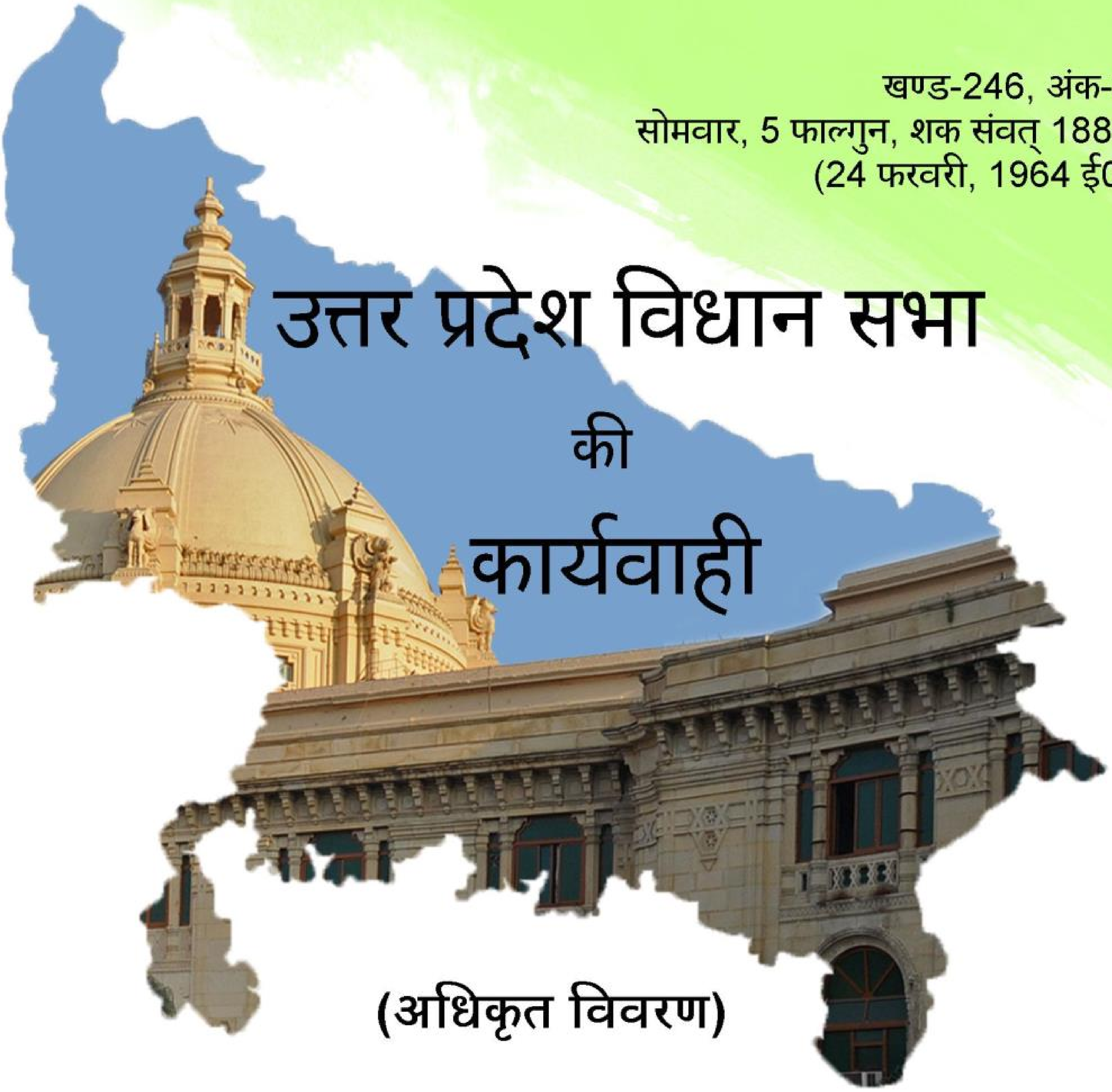

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१६३–१६७
प्रश्नोत्तर	१६७–१९५
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेंज पर रखे गये)	१९५
श्री सुखलाल की गिरफ्तारी के संबंध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सुचना में शोधन	१९५–१९६
जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी वर्षा करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	१९६–१९७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	१९७–२००
अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रामक प्रचार करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२००–२०४
बलिया जिला परिषद् के अध्यापकों को सेवा से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री का वक्तव्य	२०४–२०५
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (वापस लिया गया)	२०५
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	२०५–२०७
चीनी मिलों को गन्ना क्रय-कर में छूट के संबंध में घोषणा ..	२०८
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२०८–२४४
राज्यपाल महोदय के पत्र की सूचना	२४४
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	२४४–२४६
नत्थियां	२४७–२५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिदाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झांरखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह,, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खाँ, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहमद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह राजा,
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री

सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ फरवरी, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिलाधीश, देवरिया को सीमेंट वितरण सम्बन्धी शिकायतें

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अगस्त, १९६३ से १५ अक्तूबर, १९६३ तक सीमेन्ट वितरण के संबंध में कितनी शिकायती दरख्वास्तें जिलाधीश देवरिया को मिली और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

रसद मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

१-८-६३ से १५-१०-६३ तक सीमेन्ट वितरण के संबंध की, शिकायती दरख्वास्तें जिलाधीश देवरिया को मिलीं इनमें से ३ शिकायतें निराधार पाई गईं व ३ प्रार्थियों को यथा-संभव सीमेन्ट के परमिट दिये गये। १ शिकायत पर उचित कार्यवाही हो रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ३ शिकायत कर्त्ताओं को सीमेन्ट दी गयी है उस शिकायत के सिलसिले में, उनकी शिकायत असल में क्या है और जिन अधिकारियों ने देर से सीमेन्ट दी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

देर से सीमेन्ट देने के लिये कार्यवाही करने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि सीमेन्ट की कमी है लिहाजा एहतियात के साथ सीमेन्ट का वितरण किया जाता है। जिसकी जरूरत ज्यादा प्रेसिंग होती है उसकी जांच-पड़ताल करके ही सीमेन्ट दी जाती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है, उनकी मूल शिकायत क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

एक शिकायती दरख्वास्त श्री राम लगन सिंह की थी जिसे तहसीलदार के पास भेज दिया गया है। मूल शिकायती दरख्वास्त मेरे पास नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सीमेन्ट मांगी गयी थी वह किस काम के लिये मांगी गयी थी यानी सिंचाई के किसी काम के लिये या मकान आदि बनाने के लिये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कोई स्पेसिफिक काम तो उसमें नहीं लिखा है कि किस काम के लिये उसे मांगा गया था। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिले में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो ४०० से लेकर १००० बोरी तक सीमेन्ट ले लेते हैं तो ऐसे लोगों को सरकार जिले के कोटे से सीमेन्ट न देकर अपने कोटे से दे जिससे छोटे-छोटे लोग जिनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पातीं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाया करें ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

आमतौर पर जिले में सीमेन्ट बहुत थोड़ी मात्रा में देते हैं क्योंकि परसों ही शिकायत हुई थी कि ७५ परसेन्ट के बजाय सारी सीमेन्ट प्लानिंग में चली जा रही है। यथार्थ में ७५ परसेन्ट सीमेन्ट प्लानिंग के काम में चली जाती है, सिर्फ २५ परसेंट बाकी रहती है और इसलिये जिले में तो हम किसी को दो, चार और दस बोरी से ज्यादा देने में समर्थ हैं ही नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जितनी शिकायतें सीमेन्ट न प्राप्त होने के संबंध में जिले में होती हैं उन पर क्या ऐक्शन हो रहा है उनकी मासिक रिपोर्ट जिले में सरकार द्वारा कायम की हुई परामर्शदात्री समितियों के सामने कलेक्टर रख दिया करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिले में कमेटी जो बनी है उसको यह अधिकार है। जहां तक कि सीमेन्ट देने का सवाल है। इसके बारे में आप जब चाहें वहां सप्लाई आफिसर से पूछ सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ७५ परसेंट सीमेन्ट योजना के निर्माण कार्य के लिये चली जाती है और २५ परसेन्ट बचती है। इसलिये दो तीन बोरी से ज्यादा किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन अपने जिले की बात मैं जानता हूं और अपने क्षेत्र की बात मैं बतला दूं कि सैकड़ों लोग ब्लैक मार्केट से सीमेन्ट १७–१८ रुपये बोरी के हिसाब से खरीद कर अपने मकान बना रहे हैं और किसी का काम रुका हुआ नहीं है, तो मैं जानता चाहता हूं कि वह सीमेन्ट कहां से आती है ? मेरी जानकारी है कि नियोजन के काम में से उस ७५ परसेन्ट का इस्तेमाल नहीं होता, और वह ब्लैक में जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरी जानकारी यह है कि जितना सीमेन्ट का कोटा है उसका अधिकांश भाग विभागों को वितरित होता है जैसे पी० डब्लू डी० और सिंचाई विभाग आदि को और हमारे हाथ में बहुत कम मात्रा में जनरल कोटा रहता है। अगर वह ठेकेदार ब्लैक में बेचते हैं तो चीफ इंजीनियर का ध्यान आकर्षित किया है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उचित नहीं है और वह निर्माण के कार्यों में ही लगना चाहिये।

कोपागंज विकास खण्ड में सीमेंट वितरण

*२—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खन्ड कोपागंज, जिला आजमगढ़ को जनवरी, १९६२ से ३१ अक्तूबर, १९६३ तक कितनी बोरी सीमेंन्ट वितरण हेतु दी गईं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

६०६३ बोरी।

*३—श्री छांगुर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विकास खण्ड को प्राप्त सीमेन्ट का वितरण किस आधार पर किया गया ? क्या वितरण सूची की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

विकास खन्ड कोपागंज को प्राप्त सीमेन्ट का वितरण आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर किया गया। वितरण †सूची संलग्न है।

श्री छांगुर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सूची दी हुई है इसमें दिखाया गया है कि ७६३ बोरा सीमेन्ट के मिले और ५४९५ वितरण में दिखाये गये हैं और ५६८ का वितरण नहीं दिखाया गया, तो क्या इसकी सूची मंत्री जी के पास है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह भी इसी के साथ है, ६०६३ बोरों का वितरण इसमें है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ब्लाक में वह जो सीमेन्ट देते हैं उसमें ज्यादातर विकास कार्यों के लिये होता है और ७५ प्रतिशत कोटा जो होता है वह विकास कामों के लिये है लेकिन दिक्कत यह है कि देहातों में भी बड़े मकान बनते हैं जिनके लिये भी ५०—१००—२०० बोरे की आवश्यकता होती है तो उनके लिये प्रबन्ध न सप्लाई आफिस से होता है और न नियोजन से होता है तो क्या ऐसे बड़े मकानों के लिये भी कोई नियमित कोटा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले तो बड़े मकानों की प्राथमिकता तीसरे नम्बर पर आती है और कुछ हमारे पास एडहाक कोटा होता है उसमें से भी हम गांव वालों को दे देते हैं और यहां से भी मदद करते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ७५ प्रतिशत प्लानिंग को देने के बाद २५ प्रतिशत जो बच जाता है उसमें से भी २५ प्रतिशत गांव के लिये और बाकी ७५ फीसदी शहरों के लिये वितरण के कोई आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यहां से ऐसा आदेश नहीं है, यहां तो यह है कि कुल कोटा जो जिलों का होता है जनरल पब्लिक का उसमें से तकावी वगैरह के लिये ७५ प्रतिशत गांवों के लिये दिया जाता है और बाकी २५ प्रतिशत आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी ने कहा कि ७५ प्रतिशत नियोजन में और २५ प्रतिशत दूसरे मकानों आदि के काम के लिये देते हैं और आजकल देहातों में बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं और बहुत से मन्दिर और मस्जिदें बन रही हैं तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो और यह लोग न मिलने के कारण ब्लैक से ठेकेदारों से सीमेंट खरीदते हैं तो क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जनता के लिये कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने बता दिया कि रिजर्व का कोटा एडहाक में रहता है, हमारे पास होता है तो हम भी यहां से देते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी बताया कि जनरल कोटा जिले में जाता है उसका ७५ प्रतिशत ब्लाक में जाता है और २५ प्रतिशत में ४०० से १ ०० बोरे देने की सामर्थ डी०एस०ओ० में नहीं हुआ करती।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान माननीय जगन्नाथ राव जी के प्रश्न संख्या १९ के उत्तर की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्वयं उत्तर दिया है कि जौनपुर में श्री एच० एन० सिंह, प्रिंसिपल टी० डी० कालेज, को ९१८ बोरी, श्री पी० बी० सिंह, प्रिंसिपल डी० डी० इन्टर कालेज, ३५१ बोरी, इन्जीनियर, जिला परिषद्, ४९० बोरी, रामलगन सिंह, ४४० बोरी श्री अभय जीत दुबे, ३१५ बोरी, श्री के० एन० सिंह, ४५० बोरी, राजा चन्द्रभाल देव सिंह, ९३५ बोरी। मैं जानना चाहता हूं कि यह सीमेंट किस आधार पर दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

यह ७५ परसेंट का आर्डर पिछले दो महीने में गया है, पहले से नहीं था, कोई फीसदी पहले मुकर्रर नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब यह है कि जब आपने आर्डर दिया है उससे पहले की यह घटनायें हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय --

श्रीमन्, अगर इसके खिलाफ सूचना होगी तो विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री जी के खिलाफ दूंगा।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ) --

क्या मंत्री जी विकास खंडों के अन्दर जो शिक्षा संस्थायें हैं उनके लिये २५ परसेंट में से कुछ भाग निर्धारित करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

इर्रीगेशन का अलग, एजूकेशन का अलग और इन्डस्ट्रीज का अलग-अलग है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) --

जो ऐडहाक कोटा है वह साल भर में कितना इक्ट्ठा होता है और उसमें से कितना वितरित हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

ऐड-हाक का तो कभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट मुकर्रर कर देती है आ जाता है, उसकी निश्चित मात्रा नहीं होती है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

जैसा अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया बहुत-सा सीमेंट शिक्षा संस्थाओं, पी० डब्ल्यू० डी० में जाता है, उसके बाद जो बचता है उसका ७५ फीसदी प्लानिंग को और २५ फीसदी जनता को दिया जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन सीमेंट का जो है उसके अनुपात में जनता को कितना परसेंट सीमेंट मिलता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

टोटल प्रोडक्शन सेन्ट्रल गवर्नमेंट का होता है, हमारा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जानते हों तो बता दें नहीं तो नहीं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे कैसे पता होगा, आल इन्डिया प्रश्न है।

शाहजहांपुर में कुंवर ज्योतिप्रसाद के लड़कों को गृह-निर्माण ऋण

*४--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर) --

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जितेन्द्र प्रसाद तथा जयेन्द्र प्रसाद पुत्र कुंवर ज्योति प्रसाद, शाहजहांपुर ने यू० पी० कोआपरेटिव बैंक से मकान बनाने के लिये कुल ३२,००० (बत्तीस हजार रुपये) कर्जा लिया था ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल) --

जी हां, श्री जितेन्द्र प्रसाद तथा श्री जयेन्द्र प्रसाद को यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने मकान बनाने के लिये कुल ३२,००० रुपये का कर्ज मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया था।

*५--श्री जसरामसिंह --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बत्तीस हजार रुपये के झूठे कागजात तैयार करके यह दिखाया गया है कि मकान बन गया, जबकि वास्तव में कोई मकान नहीं बना ? क्या इसके कागजात जांच के बाद सरकार के पास आ चुके हैं ? यदि हां तो क्या उन्हें सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल --

मामले की छानबीन की जा रही है, इसके कागजात जाँच के बाद सरकार के पास अभी नहीं आये हैं।

श्री जसरामसिंह --

यह कब तक आ जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल --

जल्दी से जल्दी आ जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उत्तर में कहा गया है कि मामले की छानबीन की जा रही है और तथ्य यह है कि छानबीन हो चुकी है और वहां के डी० एम० ने लिख दिया है कि कोई मकान ज्योति प्रसाद जी ने नहीं बनवाया है और रुपये का दुरुपयोग किया है। तो इस मामले की छानबीन के सिलसिले में जिलाधीश के यहां से कोई पत्र आया है कि नहीं? अगर आया है तो उसकी मौलिक कापी पढ़ने की मन्त्री जी कृपा करेंगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश के यहां से सूचना आ गई है। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने सूचना भेजी है और दोनों के आधार पर ही सरकार को यह विदित हुआ है कि ज्योतिप्रसाद जी के दो पुत्रों को अलग अलग १६००० रु० की धनराशि दी गई। एक पुत्र को अलग ८,००० की धनराशि दी गयी थी और एक पुत्र ने मकान पूरा बनवा लिया है। मकान का बीमा भी हो चुका है। दूसरे पुत्र का मकान अभी आधा बना है और उसे ३ किस्तें दी जा चुकी हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र —

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जांच-पड़ताल हो रही है और फिर जवाब दिया है कि मुझको जो सूचना है उस सूचना के आधार पर उत्तर दे रही हूं। तो श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं। मुझे जहां तक सूचना है कि मकान कतई नहीं बना है और एक एम० एल० सी० की इज्जत को बचाने के लिये यह कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

हो गया। आपने विशेषाधिकार का प्रश्न.....

श्रीमती तारा अग्रवाल —

श्रीमन्, जो उत्तर दिया गया है अगर माननीय सदस्य दुबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो विदित होगा कि उत्तर सही है। उत्तर में कहा गया है कि चूंकि यह ऋण कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से दिया जाता है, अत: सरकार के पास कोई कागजात नहीं रहते हैं। जब माननीय सदस्य ने इस प्रकार के ऋण के दुरुपयोग या उपयोग की सूचना चाही है तब सरकार ने सम्बन्धित कोआपरेटिव विभाग और जिलाधीश, शाहजहांपुर, से जानकारी की। जितनी सूचना आयी, उतनी दे दी गयी। जो जानकारी चाहते हैं उसकी जांच-पड़ताल हो रही है।

श्री ऊदल —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब दिया गया, किस संख्या में दिया गया और किस सूद पर दिया गया? उस रुपये में से कितना सूद के रूप में और कितना असल के रूप में वसूल किया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वसूली का प्रश्न कहीं नहीं उठता। यह तो मकान बनाने के लिये सदस्य को रुपया दिया गया। श्री जयेन्द्र प्रसाद को चारों किस्तें दे दी गयी हैं। पहली किस्त ६ सितम्बर, १९६० को, दूसरी १४ फरवरी, १९६१ को, तीसरी, २७ मार्च, १९६१ को और चौथी ७ जून, १९६१ को दे दी गयी है। उनका मकान इन्डियन फायर ऐन्ड जनरल इन्श्योरेंस द्वारा इन्श्योर भी हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न ४ में पूछा गया कि क्या ३२,००० रु० दिया गया? क्या यह ठीक है?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

[प्रश्न ५ यह है कि क्या सरकार बतायेगी कि ३२,००० रुपये के झूठे कागजात तैयार करके यह दिखाया गया है कि मकान बन गया, जब कि वास्तव में कोई मकान नहीं बना है। इसका क्या उत्तर है?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

इसके उत्तर के सम्बन्ध में जांच हो रही है। प्रथम आवेदक को पूरी किस्तें दी जा चुकी हैं। ४ किस्तों में १६,००० रुपया दिया जा चुका है और उनका मकान भी पूरा हो गया है। उस मकान का बीमा भी हो गया है। दूसरे आवेदक को भी ३ किस्तें दी जा चुकी हैं और तीन किस्तों में १४,४०० दिया जा चुका है १६,००० रुपया में से। यह पूरा नहीं बना है इसलिये चौथी किस्त बाकी है।

श्री अध्यक्ष—

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इसकी जांच के कागजात सरकार के पास आ चुके हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

अभी नहीं आये हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) —

क्या ऐंटी करप्शन के चेयरमैन ने जांच करने के बाद यह रिपोर्ट दी है कि दोनों में से कोई भी मकान नहीं बने हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

सरकार को इस शिकायत का पता केवल प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पर ही चला है, उसके पहले कोई शिकायत नहीं आई है। इस प्रश्न के आधार पर फिर से कह दिया है कि हम जांच करवा रहे हैं जिलाधीश शाहजहांपुर और कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ से।

श्री जसरामसिंह —

जो मकान बना हुआ दिखाया गया है वह मकान पहले बना हुआ था और उस पर सीमेंट की लीपा-पोती की गयी और उसी के फर्जी कागजात बना कर सरकार में दाखिल किये गये। क्या यह जांच कराने की कृपा की जायगी कि मेरी बात सही है या गलत है?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

इसके लिये यह कहा जा सकता है कि जो मकान बने हुये हैं उनकी नींव खुदवा कर देखी जाय.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि किस तरह से जांच कराई जाय। उनका कहना यह है कि मकान नहीं बनाया है, पुराने मकान की लीपा-पोती की गयी है और यह दिखलाया गया है उन्होंने मकान नये सिरे से बनाया है तो आप इस शिकायत की जांच करेंगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

यही कहा गया है कि जांच हो रही है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

इसकी जांच ८ मास पूर्व हो चुकी है और चूंकि कोआपरेटिव विभाग के उच्चाधिकारियों से उनका विशेष सम्पर्क है इस कारण से वह जांच दबाई जा रही है।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मैं समझता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों की ख्वाहिश है, जांच करा ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र --

जिलाधीश ने साफ लिखा है कि कोई मकान नहीं बना है, क्या यह सत्य है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वस्तुतः मकान बना है या पुराने मकान को नया मकान कर के दिखाया जा रहा है ? माननीय उपनेता सदन ने जवाब दे दिया है कि इसकी वह जांच करायेंगे, लिहाजा यह बात खत्म हो गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र --

जिलाधीश, शाहजहांपुर ने साफ लिखा है कि नया मकान नहीं बना है ज्योतिप्रसाद का, यह बात पुछवा ली जाय।

श्रीमती तारा अग्रवाल --

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) --

इन दोनों मकानों के नं०, मुहल्ला, चौहद्दी बतलाने की कृपा की जायगी जिससे जांच व तसदीक करने में सहूलियत हो ?

श्री अध्यक्ष--

उस सम्बन्ध में कह दिया है कि वह जांच करेंगे। किसी को सवाल पूछना हो अब तो सूचना दे सकते हैं, जांच उसकी होगी।

लार थाना में पुलिस कर्मचारियों पर बकाया कर तथा मेहतरों का बक़ाया वेतन

*६--श्री कैलाश (जिला देवरिया) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया टाउन एरिया लार में जो सरकारी अधिकारी के ऊपर जो लार ब्लाक तथा लार थाने से सम्बन्धित हैं उन पर सन् १९६२-६३ तथा सन् १९६३-६४ में कितना रुपया किस अधिकारी पर टैक्स लगाया और उसमें कितना वसूल हुआ ? क्या उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल --

टाउन एरिया लार द्वारा ब्लाक तथा थाने के कर्मचारियों पर सन् १९६२-६३ में तथा १९६३-६४ में क्रमानुसार १,७२२ रुपये व १,०४० रुपया सम्पत्ति तथा हैसियत कर के रूप में लगाये गये जिसमें से वर्ष १९६३-६४ में केवल ३० रुपये एक ब्लाक कर्मचारी से वसूल हुआ। इसकी विस्तृत सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४७-२४८ पर)

*७—श्री कैलाश—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो बकाया सरकारी अधिकारियों पर लार टाउन एरिया का १९६२–६३ और सन् १९६३–६४ का बकाया वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

बकाये कर की वसूली इस कारण नहीं हो सकी कि इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया ।

*८—श्री कैलाश —

क्या यह सही है कि लार टाउन एरिया जिला देवरिया के मेहतरों को तनख्वाह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६३ की नहीं मिली है, जिससे वहां के मेहतरों में घोर असन्तोष है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

टाउन एरिया लार के मेहतरों का अक्तूबर, सन् १९६३ के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। नवम्बर व दिसम्बर सन् १९६३ तथा जनवरी १९६४ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि कमेटी के करों के बकाये वसूल न होने के कारण धनाभाव है ।

श्री कैलाश—

क्या जिलाधीश महोदय ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द रुपया दे दिया जाय और उसके बावजूद भी न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

यह सत्य है कि स्थानीय जिला स्तर के अधिकारियों ने चेष्टा की कि कर वसूल हो जाय मगर उसके बावजूद भी कर-दाताओं ने कर नहीं दिया । इसलिये अब सरकार ने गृह सचिव एवं विकास सचिव से अनुरोध किया है कि सम्बन्धित अधिकारियों से कर वसूल कराने में हमारी मदद करें ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुये कि सरकारी कर्मचारी जिसमें गृह विभाग और ब्लाक के कर्मचारी हैं जिसमें बी० डी० ओ० जैसे गजटेड अफसर होते हैं वे अगर इस प्रकार टैक्स को न अदा करें तो क्या सरकार एक जनरल आर्डर इश्यू करेगी कि जो ऐसे गजटेड अफसर या सरकारी कर्मचारी स्थानीय निकायों के टैक्स न अदा करें, उनको तत्काल मुअत्तल कर दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

प्रदेशीय सरकार के द्वारा इस प्रकार के स्थानीय निकायों को कोई आदेश नहीं दिये जा सकते, न कोई कार्यवाही की जा सकती है, केवल अनुरोध कर के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, जो उत्तर है वह यह है कि कर न वसूल होने के कारण धनाभाव है, अतः नहीं दिया गया ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेहतरों की तनख्वाह नहीं दी गयी उसका कारण धनाभाव है यह तो ठीक है लेकिन यह धनाभाव इसलिये है कि गजटेड अफसर तक टैक्स अदा नहीं करते। मेरा नम्र निवेदन यह है कि क्या सरकार ऐसे कोई आदेश विभिन्न विभागों को जारी करेगी कि अगर कोई स्थानीय निकाय इस तरह की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से करें तो साल बीतने के बाद अगर वह टैक्स न अदा करें तो वह मुअत्तल कर दिये जायं या उनकी तनख्वाह से काट लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि ब्लाक के अन्तर्गत गजटेड अफसरों ने कर नहीं अदा किया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

अब उनका प्रश्न यह है कि अगर गजटेड आफिसर्स कर नहीं देते हैं तो सरकार इस पर विचार करेगी कि उन गजटेड आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मान्यवर, मैं यही कह रही थी कि टाउन एरिया द्वारा यह लगाया हुआ कर है और वे टाउन एरिया के निवासी हैं, अत: सरकार कोई कार्यवाही आदेश द्वारा नहीं कर सकती है। टाउन एरिया के निवासी होने के नाते कर देने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो अधिकार हैं वह कार्यवाही हो रही है और होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिनके खिलाफ कर की वसूली बकाया रह जाती है, उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करके कर वसूल किया जाता है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि टाउन एरिया के चेयरमैन और अधिकारियों ने इनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के नियम देख लीजिये। उनमें यह है कि जो उनके इन्टर्नल मैटर्स हैं वह आप वहां पूछ सकते हैं, यहां नहीं पूछ सकते हैं, यह सरकार नहीं बता सकती है, वहां पूछे जा सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कुल कितना धन बकाया है जिसके कारण न्यूनतम कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

२,७६२ रुपये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा रूल है कि अगर किसी टाउन एरिया में कर बकाया रहे तो मेहतरों को तनख्वाह न दी जाय ? अगर नहीं है, तो आदेश जारी करेंगे कि उनको तनख्वाह दी जाय ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कैलाश—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि टाउन एरिया को पहले ब्लाक से अनुदान दिया जाता था, लेकिन जब टैक्स लगाया गया तो बी०डी०ओ० ने अनुदान रोक दिया और थानेदार वगैरह टाउन एरिया के सदस्यों को और चेयरमैन को धमकी देते हैं कि चोरी, डाके और कत्ल में फंसायेंगे, तुम ऐसे काम करते हो और आगे कोई अनुदान नहीं दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या बी० डी० ओ० ने अनुदान देना बन्द कर दिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मेहतरों की तनख्वाह तो १९६२–६३ से बकाया है और बड़े-बड़े आदमी एक महीने के आगे की तनख्वाह ले लेते हैं तो वे उनको तनख्वाह दिला देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

अक्तूबर की तनख्वाह दिलाई जा चुकी है, नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी की बकाया है। जिलाधीश को आदेश दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी कर वसूल करके १५ मार्च तक इत्तिला दे दें कि मेहतरों की तनख्वाह का पेमेंट हो गया है।

"वृक्षारोपण" को आग से क्षति

*९—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१–६२ व १९६२–६३ में कितने क्षेत्र में प्लांटेशन लगाये गये और इन प्लांटेशनों के कितने क्षेत्र में आग से हानि हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

सन् १९६१–६२ व १९६२–६३ में प्रदेश में कुल ७०,१३६·५० एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया जिनमें से ९४७.५८५ एकड़ क्षेत्र में आग से हानि हुई।

*१०—श्री देवीदत्त (अनुपस्थित)—

जिन रेंजों के प्लान्टेशनों में आग से हानि हुई उसका कारण क्या था ? यदि अधिकारियों की लापरवाही थी, तो ऐसे अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री चरणसिंह —

जिन रेन्जों में वृक्षारोपण को आग से हानि हुई उसका कारण सिवाय २५० एकड़ के एक क्षेत्र को छोड़कर, शेष सभी में आकस्मिक ही पाया गया है। प्लान्टेशन प्रभाग हल्द्वानी के २५० एकड़ क्षेत्र में आग का कारण तीन बाहरी व्यक्तियों द्वारा जंगल में नाजायज शराब की भट्टियां लगाना कहा जाता है। इनका चालान करके मुकदमा चलाया जा रहा है।

आकस्मिक आग के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिये उचित चेतावानी दे दी गई और कुछ प्लान्टेशन चौकीदार जो अपने कार्य में तत्पर नहीं पाये गये सेवा से मुक्त कर दिया गया।

दिरयाबाद टाउन एरिया में बक़ाया कर

*११—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब टाउन एरिया मैनुअल के अनुसार जिन व्यक्तियों पर सी० पी० टैक्स बाकी रह जाता है, वे मेम्बरी या चेयरमैनी के लिये डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं? यदि ऐसा है, तो सरकार ने दरियाबाद टाउन एरिया कमेटी, जिला बाराबंकी के सन् १९५८–५९ से १९६२–६३ के उक्त टैक्स के बकायादार व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-कौन-सी कार्यवाही की है, हर सदस्य और चैयरमैन पर कितना टैक्स बाकी है और प्रतिवर्ष कितना टैक्स उसे देना पड़ता है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

टाउन एरिया मैनुअल या ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अधीन सी० पी० टैक्स बकाया रहने पर कोई व्यक्ति सदस्यता व चेयरमैनी के लिये अयोग्य हो जाय। यह प्रश्न ही नहीं उठता। हर सदस्य व चेयरमैन पर चूंकि सन् १९६३–६४ में ही सम्पत्ति तथा हैसियत कर लगाया गया है अतः कर के बकाया होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सन् १९६३–६४ की सी० पी० टैक्स की लिस्ट में जिन व्यक्तियों पर टैक्स बढ़ाया गया है, उन्हें टाउन एरिया मैनुएल के अनुसार कोई लिखित सूचना नहीं दी गई? यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को मौका देकर अपील करने का अवसर प्रदान करेगी और १९६३–६४ की लिस्ट को दुबारा तैयार करने का आदेश देगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सन् १९६३–६४ के सी० पी० टैक्स की लिस्ट में जिन व्यक्तियों पर टैक्स बढ़ाया गया है उन्हें टाउन एरिया मैनुअल के अनुसार लिखित सूचना दी गई। उज्रदारी खारिज होने पर अपील की जा सकती है। इसमें कोई और प्रतिबन्ध नहीं है। चूंकि बाद मियाद गुजरने के उज्र-दारी टाउन मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति निर्धारित कर पर प्राप्त हो चुकी है अतएव इस लिस्ट को दुबारा तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या यह सही है कि टाउन एरिया मैनुअल की दफा ७ में यह साफ लिखा है कि यदि कोई चेयरमैन या मेम्बर टैक्स न दे, उस पर टैक्स बाकी हो तो वह मेम्बरी से डिस्क्वालिफाई हो जाता है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

टाउन एरिया मैनुअल नहीं, टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७ में यह अवश्य है कि जो टाउन एरिया का सदस्य या चेयरमैन टैक्स न दे, और एक वर्ष की मियाद समाप्त हो जाय तब उस पर यह कार्यवाही हो न कि पब्लिक पर।

श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह प्रश्न ११ में बताया गया है कि १९५८–५९ से ले कर १९६२–६३ तक प्रत्येक सदस्य पर कितना टैक्स बाकी है, तो क्या १९५८ से आज तक कोई टैक्स ही नहीं तशखीस किया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो शासन को रिपोर्ट मिली है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह टैक्स इसी बार बांधा गया है।

श्री द्विजेन्द्रनारायण—

यह जो उत्तर वहां से आया है बिलकुल असत्य है। मैं इसकी लिखित सूचना दे सकता हूं। क्या सरकार इसकी दोबारा जांच करवायेगी और इन दोनों प्रश्नों के फिर उत्तर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजियेगा।

आजमगढ़ जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*१३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)](अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन न्याय पंचायतों के किन-किन गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला आजमगढ़ की १८९ न्याय पंचायतों के जिन स्थानों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी गयी हैं, उनका ब्यौरा माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची† में अंकित है।

*१४—श्री दौलतलाल (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं खोली गई हैं ? और उसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शेष १७२ न्याय पंचायतों में से ४३ न्याय पंचायतों के लिये उक्त दूकानें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जो शीघ्र कार्य करना आरम्भ कर देंगी। ७२ न्याय पंचायतों में दूकानें खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़, के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिन पर शीघ्र ही निर्णय करके वहां दूकानें खोलने की व्यवस्था की जायगी।

शेष ५७ न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अभी नहीं प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रयत्न किया जा रहा है कि यहां भी दूकानें शीघ्र खोल दी जायें।

आजमगढ़ जिले में चीनी की दूकानें

*१५—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री दौलतलाल—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में नियंत्रित दाम से प्राप्त करने के लिये चीनी की कितनी-कितनी दूकानें किन-किन स्थानों में खोली गयी हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जरा यह प्रश्न पढ़ लीजिये। इसमें कौन-सी बात है जो एकत्र की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मंगलदेव जी बतायेंगे।

---

†छापी नहीं गई।

श्री मंगलदेव—

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सूचना एकत्र करने की कहां जरूरत है, कितनी दूकानें खुली हैं, किन-किन स्थानों पर खुली हैं, यह तो सप्लाई आफिस में लिस्ट होती है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी २० जनवरी का प्रश्न है। एक और मौका दिया जाय।

कबाल टाउन्स में सुधार योजनायें

*१६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कबाल नगरों में कितनी सुधार योजनायें (इम्प्रूवमेंट स्कीम) ऐसी हैं जो २० वर्षों से अधिक की हो चुकी हैं और अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त स्कीमों के नाम क्या हैं और उनका ले आउट प्लान क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरमहापालिका लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद की ९ सुधार योजनायें ऐसी हैं जो २० वर्षों से अधिक की हो चुकी हैं और अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। उन स्कीमों के निम्नलिखित नाम हैं :—

लखनऊ—

(१) मवैया तृतीय अतिरिक्त सड़क योजना,
(२) कंधारी बाजार सामान्य विकास योजना,
(३) बशीरतगंज गृह-आवास योजना,
(४) कैनिंग स्ट्रीट (भाग ३) योजना।

कानपुर—

(१) फैक्ट्री एरिया योजना संख्या १,
(२) दक्षिणी नगर प्रसार योजना संख्या २,
(३) पुराना कानपुर योजना संख्या २६।

इलाहाबाद—

(१) साउथ हाउसिंग स्कीम भाग २,
(२) सुलतानपुर भावा हाउसिंग स्कीम।

इन योजनाओं के ले आउट प्लान की †प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे २० साल से चलने वाली योजनायें अब तक पूरी नहीं हो पायी हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

धनाभाव मुख्य कारण है। दूसरा कारण निर्माण करने के लिये मैटीरियल की कमी है।

---

†छापी नहीं गयीं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन कवाल नगरों की अधूरी योजनाओं के लिये हर वित्तीय वर्ष में जो अनुदान दिये जाते हैं क्या वह वापस होते हैं और फिर दूसरे साल दिये जाते हैं और फिर वापस होते हैं, ऐसा बीसों साल से चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इन योजनाओं के सम्बन्ध में कोई अनुदान दिया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कोई इसी खास योजना के लिये नहीं, लेकिन वैसे वित्तीय अनुदान तो प्रति वर्ष दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

इन योजनाओं के लिये, जो अधूरी पड़ी हुई हैं इनके सम्बन्ध में कोई अनुदान दिया जाता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कोई अलग से ऐसा नहीं दिया जाता।

[२४ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि विभाग, जिला देवरिया, में हरिजनों की नियुक्ति

*१—श्री कैलाश—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग, जिला देवरिया, के अन्तर्गत सन् १९५७ से लेकर १९६३ तक हाई स्कूल पास कितने कामदारों की नियुक्ति की गयी तथा बाद में उनमें से कितने कामदारों की नियुक्ति लिपिक पद पर की गयी ? उनमें से कितने पिछड़े वर्ग तथा हरिजन रखे गये ?

कृषि उप मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उक्त अवधि में कुल ९ हाई स्कूल पास कामदार नियुक्त किये गये। इनमें से ६ को बाद में लिपिक पद पर नियुक्त कर दिया गया जिनमें १ हरिजन था। पिछड़े वर्ग के आंकड़े नहीं रखे जाते।

*२—श्री कैलाश—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया कृषि विभाग में सन् १९६२-६३ में कितने कुर्क अमीन तथा कितने चपरासी रखे गये और उनमें पिछड़े वर्ग तथा हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् १९६२-६३ में कोई नियुक्ति नहीं की गई। नवम्बर, १९६३ में २९ कुर्क अमीन तथा इतने ही चपरासी नियुक्त किये गये थे जिनमें १ कुर्क अमीन तथा ३ चपरासी हरिजन हैं। पिछड़े वर्ग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*३—श्री कैलाश—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५ वर्ष से अधिक उक्त विभाग में कितने प्रचारी स्थायी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई नहीं, क्योंकि नया पद स्थायी नहीं किया गया।

श्री कैलाश—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ५ साल स अधिक समय से काम करने वाले कर्मचारियों की अवस्था अधिक हो गई है तो ऐसे पदों को स्थायी करने में क्या आपत्ति है जिन पर वह लगातार काम करते चले आ रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार पूरे प्रदेश में जितने कृषि विभाग में कार्यकर्ता काम कर रह हैं उनको दृष्टि में रखकर पदों को स्थायी करती है। वहां पर कितने कार्यकर्ता है, वह स्थायी क्यों नहीं हुए, उसकी वजह यही होगी कि वहां कोई ऐसी जगह नहीं होगी जिसको कि स्थायी कर सकें, इसलिये नहीं कर पाये।

श्री बंशीलाल—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब हरिजनों के स्थान सुरक्षित हैं तो उनको अपने सुरक्षित कोटे के आधार पर क्यों नहीं रखा गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उसके लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहे होंगे इसलिये वह पूरे नहीं आ सके।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का जो आदेश है कि आर्थिक स्थिति पर पिछड़ापन की परिभाषा की जाय, क्या यह परिभाषा आपकी सरकार भी मान रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसे कोई आदेश हमारे पास नहीं हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब हरिजनों को १८ प्रतिशत संरक्षण सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और सरकार को उस संरक्षण को पूरा करना है तो फिर क्या कारण है कि नियुक्ति में जातिवार लिस्ट न रखी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन चूंकि हरिजनों के स्थान सुरक्षित है संविधान में, इसलिये उनके आंकड़े भी इकट्ठे किये जाते हैं और उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

मैनपुरी जिले में ट्रैक्टर की तकावी का बकाया

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त मैनपुरी जिले में ट्रैक्टर की तकावी का रुपया किस-किस पर और कितना-कितना बाकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस वक्त मैनपुरी जिले में निम्नलिखित व्यक्तियों पर उनके नाम के सामने दिया हुआ ट्रैक्टर की तकावी का रुपया बाकी है।

नाम	रुपया
(१) श्री लाखन सिंह	३,९११.५८
(२) श्री शिवनारायण सिंह	५,०००.००
(३) श्री शिवचरण लाल	४,३०१.८८
(४) श्री गिरीशचन्द्र	२,११०.००
(५) श्री हम्मीरसिंह	५,०००.००

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पांच व्यक्तियों पर २० हजार रुपया बाकी है उनका पता क्या है और अब तक रुपया वसूल न होने के कारण क्या हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्री लाखन सिंह ने १९५७–५८ में लिया था। वह बराबर उसकी किस्त अदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

पता उनका इस प्रकार है—लाखन सिंह, भैयापुर के रहने वाले हैं और जसराना तहसील है। शिवनारायणसिंह, हिमानपुर, तहसील भोगांव के रहने वाले हैं। और शिवचरलाल निवासी बमतापुर, तहसील करहल के हैं। गिरीश चन्द्र निवासी मनगांव, तहसील भोगांव के हैं। हमीर सिंह, साकिन सिरसागुंज तहसील शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। इनमें से हमीरसिंह की किस्त १५–५–६४ से प्रारम्भ होगी। बाकी ३ व्यक्ति बराबर दे रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जिनसे किस्त वसूल नहीं हुई है। उस पर वसूली की कार्यवाही कलेक्टर कर रहे हैं।

बन्दी राममोहम्मदसिंह की रिहाई पर कार्यवाही

*५—सर्वश्री उग्रसेन, कृष्णानन्द राय, शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), राम आसरे (जिला बाराबंकी) तथा गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राममोहम्मद सिंह, भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेशीय फारवर्ड ब्लाक, जो १४ वर्ष से जेल में हैं और इस समय वाराणसी सेन्ट्रल जेल में हैं, उन्हें सरकार कब तक छोड़ने का विचार करती है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बन्दी राम मोहम्मद सिंह को आजन्म कारावास का भी दण्ड मिला है, अतएव उसकी मुक्ति की तिथि निर्धारित नहीं है।

*६—सर्वश्री उग्रसेन, कृष्णानन्द राय, शिवनाथसिंह, राम आसरे तथा गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि श्री राम मोहम्मद सिंह को कितने दिन की सजा हुई थी और दो वर्ष से उनके भोजन वस्त्र की क्या व्यवस्था है? क्या यह सच हैं कि अनाज से बनी हुई चीजें वे नहीं खाते?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

बन्दी राम मोहम्मद सिंह को आजन्म कारावास तथा १ वर्ष और ३ महीने की सजा हुई है। यह बन्दी अपनी इच्छा से भोजन में केवल शाक-सब्जी इत्यादि खाता है और वस्त्र के स्थान पर टाट का प्रयोग करता है। यह सही है कि वह अनाज से बनी हुई चीजों को नहीं खाता है।

श्री उग्रसेन--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम मोहम्मद सिंह उत्तर प्रदेश फारवर्ड ब्लाक के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और १४ साल से जेल में हैं और रिहाई के लिये कई बार प्रार्थना-पत्र दिया तो अभी तक उस पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

एक तरीका प्रोबेशन पर छूटने का है। उस शर्त को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिये छूटना स्थगित हुआ। दूसरा तरीका मर्सी पिटीशन का था वह भी स्वीकार नहीं की गई। तीसरा तरीका रिवाइजिंग बोर्ड द्वारा प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना था। उसने भी छोड़ने के लिये अपनी नामन्जूरी दे दी है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिन कारणों के आधार पर उन्होंने छोड़ने को नामन्जूर कर दिया है जब कि वह सरकार का अन्न भी नहीं खाते हैं और बड़े-बड़े जुर्म के लोग अदालत से तुरन्त छूट जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मर्सी का प्रश्न है, उससे राज्यपाल का सम्बन्ध है।

श्री उग्रसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह बहुत दिनों से जेल में हैं और साग सब्जी खाते हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनको क्यों नहीं छोड़ रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह साग सब्जी खाते हैं यह तो सही है लेकिन जब उन्होंने किन्हीं शर्तों पर जाना मन्जूर नहीं किया तब उनकी प्रार्थना को नामन्जूर किया गया। उनको १४ वर्ष पूरे हो गये हैं। इनका एक-एक रोल गिनना बाकी है। वह बस्ती में है जहां से वह प्राप्त होने वाला है। वह आ जाय तो छूटने की कार्यवाही पर विचार होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

जैसा कि २६ जनवरी का नियम है, क्या उसके अन्तर्गत इनको भी छोड़ने की कार्यवाही होगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको किस जुर्म में सजा मिली है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इनके जुर्म हैं । ३२३ और १४९ में इनको ६ महीने की कारागार की सजा मिली जिनके सम्बन्ध में अदालत ने आदेश दिया कि १४७ में १ वर्ष की और सजा होगी । इनकी २ सजा साथ साथ चलेंगी । धारा ३०२ और १४९ आई० पी० सी० के० अन्तर्गत इनको मृत्यु दण्ड मिला । इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की । हाईकोर्ट ने मृत्यु दण्ड को आजन्म कारावास में परिवर्तित कर दिया ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह उन्होंने जो अन्न त्यागा है यह इसलिये तो नहीं त्यागा कि वह इस भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट अन्न खाना पसन्द नहीं कर करते ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या इस बात को देखते हुये कि राम मुहम्मद सिंह आजाद और उनके साथियों को बस्ती जिले के धामपुर भवाय किसान जमींदार संघर्ष के सिलसिले में कालेपानी की सजा हुई थी और उनको इतनी लम्बी अवधि में जेल में बीत चुकी है, उनके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र और शिष्ट मंडलों की भरमार हो चुकी है और साथ ही साथ फार्वर्ड ब्लाक के भूतपूर्व अध्यक्ष, शीलभद्र याजी, जो कांग्रेस के एम० पी० हैं वह भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में मिल चुके हैं और बात कर चुके हैं, तो इस बात को देखते हुये कि इतनी लम्बी अवधि जेल में बीत चुकी है, सरकार की ओर से क्या इस बात का आश्वासन दिया जायगा कि अब उनकी रिहाई में अधिक विलम्ब न किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बड़ी मांग हो रही है इसलिये मालूम होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन विचार हो रहा है जैसा हमारे साथी ने बतलाया कि बस्ती जिले के कलेक्टर से इत्तला आते ही हम जरूर विचार करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किन शर्तों को उनके सामने रखा गया जिनको उन्होंने मंजूर नहीं किया और वे नहीं छूट पाये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस समय इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो शर्त प्रोबेशन में होती हैं उन्हीं पर विचार किया जा रहा था और वह उन्होंने नामंजूर कर दीं ।

आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे की जमीन

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे क्षत्रिय कालेज से ली गयी नजूल की जमीन पर शासन द्वारा नगर महापालिका के विकास विभाग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ ने स्कीम बनायी है ? यदि हां, तो उक्त विकास विभाग ने उस नजूल की जमीन का कितना रुपया नजूल को किस तिथि में दिया और किस एक्वीजीशन अफसर ने मौके का मुआयना करके रकम का तखमीना लगाया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

आई० टी० कालेज, लखनऊ के पीछे क्षत्रिय कालेज से वापस ली गयी नजूल भूमि पर एक योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है । उपरोक्त भूमि का किराया तथा नजराना जो पट्टेदारों द्वारा देय होगा अभी शासन के विचाराधीन है । उपर्युक्त भूमि में से ३.७ एकड़ भूमि एक रुपया औपचारिक किराये तथा बिना नजराना लिये राम कृष्ण मिशन को एक चिकित्सालय निर्माणार्थ हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त स्कीम की स्वीकृति सरकार ने तखमीना लगाने तथा रुपया नियमानुसार नजूल को दिये जाने के बाद दी या बिना चेक और बिना कागजात मंगाये ही मुख्य नगर अधिकारी के कहने पर शासन ने दे दी और क्या नजूल के रुपये के बारे में सरकार ने कोई हुकुम मुख्य नगर अधिकारी को नजूल में रुपया जमा करने का दिया है ? यदि हां, तो रुपया कब तक नजूल, लखनऊ को मिल जायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उक्त नजूल योजना शासन की भूमि विकास योजना है और आवश्यक तखमीना लगाने के बाद ही विकास हेतु शासन ने १,६८,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की है । उक्त योजना नगर महापालिका द्वारा कार्यान्वित करायी जा रही है और नजराना व किराया के अतिरिक्त विकास पर व्यय की गई धनराशि भी पट्टेदारों द्वारा देय होगी । अभी तक नजराने की रकम महापालिका और विद्युत् परिषद् ने नहीं दी है ।

मत्स्य पालन

*९—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ताल सलोना, पकड़ी, नरजा, तालरतोय आदि में मत्स्यपालन कार्य करने में सरकार को क्या दिक्कत है जबकि ये भी ताल मीलों में फैले हुये हैं और हजारों मन मछली प्रति वर्ष पैदा की जा सकती हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आजमगढ़ जिले के ताल सलोना, पकड़ी, नरजा तथा तालरतोय मत्स्य विभाग में निहित नहीं हैं । अतः मत्स्य विभाग द्वारा इनमें मत्स्य विकास कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि यह ताल मत्स्य पालन के लिये उपयुक्त हैं अथवा नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो उत्तर में बतला दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी, आपको मत्स्य से क्या मतलब ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

चौधरी जी को सबसे ज्यादा है, श्रीमन् । मैंने पूछा है कि यह ताल मत्स्य-पालन लायक हैं या नहीं ।

श्री चरणसिंह—

मत्स्य विभाग के पास है ही नहीं, तो इस सिलसिले में राय नहीं दे सकते। लेकिन कुछ विभों से एक सर्वे यूनिट काम कर रहा है और सब तालों को देख रहा है। अगर कोई मत्स्य पालन के योग्य हुआ और ग्राम समाज ने स्वयं मत्स्य पालन करना स्वीकार नहीं किया और यह स्वीकार किया कि वह गवर्नमेन्ट को दे दे, तो गवर्नमेन्ट ले लेगी।

*१०—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

[९ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

कोयला वितरण के लिए सुझाव

*११—श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग द्वारा क्या ऐसा आदेश जारी किया गया है कि हर जिले में कोयला जिले के केन्द्र ही के स्टेशन पर उतारा जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं।

*१२—श्री वेदराम—

खाद्य मंत्री इस बात को देखते हुये कि जिले में बहुत से स्टेशन हैं और कोयला जब जिले के केन्द्र में ही उतरता है तो वहां से सड़क द्वारा ले जाने में बैलगाड़ी व ट्रक वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं व कोयला वाले मालिकों को सूचना भी नहीं हो पाती है कि कोयला स्टेशन पर आ गया है और इसलिये डैमरेज वगैरह बहुत पड़ जाता है और उससे ईंटों के दाम बढ़ जाते हैं, क्या सरकार यह आदेश देगी कि कोयला जिले में जहां भट्टे हों उसके समीप के स्टेशन पर उतारा जाय?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वैगनों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकर ने नियंत्रित संचरण योजना (Scheme of Planned Movement) चलाई जिसके अन्तर्गत ब्लाकरेक से कोयला लाया जाता है जो जिले के केन्द्रीय स्टेशन पर उतारा जाता है। हर स्टेशन पर ब्लाक रेक द्वारा कोयला पहुंचाना असम्भव है। कोयले को अविलम्ब उठाने के लिये भट्टे वालों को तुरन्त सूचना देने का समुचित प्रबन्ध है।

श्री बेदराम—

"समुचित प्रबन्ध" से क्या तात्पर्य है ? कैसे सूचना दी जाती है कि कोयला आ गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जब डी० एस० ओ० के पास यह सूचना पहुंची कि वैगन्स पहुंच रहे हैं तो वह सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दे देते हैं कि कोयला आ गया, ले आइये।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

मैंने पहले भी प्रश्न किया था कोयला लाकर उतारने पर ३२ रुपये के भाव ईंट बिक और दूसरे स्टेशनों पर उतारने से ईंट का भाव बढ़ जाता है, तो कागज में वह पहले ही बांट कर क्यों नहीं हर एक मुकाम पर हर एक को कोयला दे दिया जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, रेलवे वाला मुहकमा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सन् १९६१ में जब कोयले की कमी हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लांड मूवमेंट की योजना लागू की जो कि ब्लाक रेक्स और हाफ ब्लाक रेक्स में भेजने की योजना थी । तो हर एक स्टेशन पर तो वह सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां ब्लाक रेक्स को हैंडिल किया जा सके ।

रामनगर कृषि फार्म, बाराबंकी का आय-व्यय

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार २९ अक्तूबर, १९६३ के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या २५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि क्या बाराबंकी जिले के कृषि अधिकारी के मुख्यालय में श्री प्रेमचन्द्र मिश्र, हेड क्लर्क, श्री वजाहत हुसैन, क्लर्क, श्री दीनानाथ सिंह, एकाउन्टेन्ट, सन् १९४८ से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सर्व श्री वजाहत हुसैन तथा दीनानाथ सिंह कृषि कार्यालय बाराबंकी में सन् १९४८ से कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल श्री प्रेम चन्द्र मिश्र, मुख्य लिपिक, उक्त सन् के पूर्व से कार्य कर रहे हैं, परन्तु वे जिला कृषि अधिकारी के नहीं अपितु जिला नियोजन अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मुख्यालय के अलावा जिला बाराबंकी के कृषि विभाग में कौन-कौन और कितने अन्य व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ५ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसे कुल ६ कर्मचारी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

१—श्री विश्वनाथ प्रसाद,
२—श्री एस० एस० मिश्र,
३—श्री त्रिवेणीप्रसाद सिंह,
४—श्री रामवीर सिंह,
५—श्री शिवपूजन पांडेय,
६—श्री रामकुमार वर्मा ।

इनमें से श्री त्रिवेणीप्रसाद सिंह के स्थानान्तरण का आदेश हो चुका है । शेष व्यक्तियों का स्थानान्तरण यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक होगा, तो किया जायेगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

१० अक्तूबर को तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में यह बताया गया था कि जिला कृषि के मुख्य कार्यालय में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो ३ वर्ष से ऊपर से काम करता हो, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो ३ साल से ऊपर काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--

यह बात सही है कि पहले जो जवाब दिया गया था वह मुख्य जिला कृषि अधिकारी की सूचना के आधार पर दिया गया था, लेकिन अब आपने जो सवाल किया है उसके पहले चिट्ठी लिखी थी आपने । तो हमने जो तहकीकात की है उससे मालूम होता है कि वह उत्तर गलत था। कृषि अधिकारी से पूछ-ताछ की जा रही है और आवश्यक हुआ तो और कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

जिस अधिकारी ने गलत सचना दी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो बता दिया उन्होंने ।

*१५-१६--श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--

[९ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

खाद्यान्न उत्पादन

*१७--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्रमशः सम्पूर्ण इस प्रदेश में एवं पाकेज योजना के कारण जिला अलीगढ़ में पृथक-पृथक सन् १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में निम्न-लिखित खद्यान्न की टनों में कितनी उपज हुई है और प्रति एकड़ उपज क्या रही है ?

(१) गेहूं,
(२) मटर,
(३) चना,
(४) जौ,
(५) मक्का,
(६) बाजरा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. २४९ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह--

सन् १९६३-६४ के बजट के सिलसिले में सरकार ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है और जो तालिका दी गयी है उसमें यह बताया गया है कि उस साल में पहले की बनिस्बत गेहूं, मटर तथा जौ आदि का उत्पादन कम हुआ है । तो उस बार गलत स्टेटमेंट क्यों दिया गया और आज यह दूसरी तालिका क्यों दी गयी ?

श्री चरणसिंह--

मैं यह समझा हूं कि माननीय सदस्य का कहना यह है कि पहले यह सूचना दी गयी है कि पैदावार बढ़ी है । मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कभी ऐसा कहा है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--

आपने कहा हो या न कहा हो, मगर सरकार की तरफ से जो स्पीचेज हुई हैं उनमें यह कहा गया है कि अनाज में बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री अध्यक्ष---

आप मंत्री जी का ध्यान किसी वक्तव्य के विशेष शब्दों की ओर दिलाइये, तब उसका उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह---

सन् ६३-६४ में जो गेहूं, मटर तथा जौ की पैदावार कम होती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सन् १९६१-६२ में हमारी पैदावार प्रदेश में बहुत अच्छी हुई, बल्कि सारे प्रदेश में बहुत अच्छी हुई । उसका मुख्य कारण मुनासिब और मुआफिक जलवायु का होना था । रबी, ६२ में हमारी पैदावार हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से ज्यादा अच्छी हुई और उसी कारण हमें कलश प्राप्त हुआ । उसके बाद ६१-६२ और ६२-६३ में पैदावार कम हुई और कहीं भी मेरा कहा हुआ एक शब्द भी आप नहीं दिखा सकते जबकि मैंने कहा हो कि ६२-६३ में पैदावार बढ़ी है । खरीफ की जहां तक बात है, ६३-६४ में, वह अच्छी हुई है । लेकिन मुख्य कारण पैदावार घटने का जो है वह है मौसम ।

पूर्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१८---श्री श्रीराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्ति विभाग में जिन नान-गजेटेड कर्मचारियों को १५ व २० वर्ष काम करते बीत गये हैं उनको अभी तक परमानेन्ट घोषित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अब तक ४६ कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

*१९---श्री श्रीराम---

पूर्ति विभाग के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन की दर क्या है ; क्या इन्हें वही दर दी जा रही है जो इसी स्तर के अन्य विभागों के कर्मचारियों को दी जा रही है ? इस असमानता का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पूर्ति विभाग के नान-गजेटेड कर्मचारियों के वेतन-क्रम संलग्न तालिका में अंकित हैं जो कि सन् १९४७ में Pay Committee द्वारा निर्धारित किये गये हैं और उनके अनुसार ही उनको अब भी वेतन दिया जा रहा है ।

वेतन-क्रम स्थायी विभागों के कर्मचारियों के वेतन-क्रम के स्तर पर लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५०-२५३ पर ।)

जिला कृषि अधिकारी, बरेली का स्थानान्तरण

*२०---श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि अधिकारी बरेली का स्थानान्तरण का आदेश पिछले तीन वर्षों में कितनी बार हुआ और कितनी बार कैंसिल हुआ ?

नोट---तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह—

जिला कृषि अधिकारी, बरेली के स्थानान्तरण का आदेश केवल एक बार हुआ और रद्द कर दिया गया ।

*२१-२२—श्री मंगलदेव—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल का कपड़ा पकड़ा जाना

*२३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ नवम्बर, १९६३ को शाम को फर्रुखाबाद सेन्ट्रल जेल से ७ गांठ नेवाड़ तथा कपड़ा कानपुर भेजा जा रहा था, जिसे जिलाधीश व कप्तान की सहायता से पकड़ा गया और पुलिस की कस्टडी में लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

इसका उत्तर वही है जो पहले सोमवार को प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर में कहा गया था । उसकी एक प्रति† संलग्न है ।

*२४—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि दो वार्डरों, श्री रामरूप व राम औतार, को नौकरी से अलग कर दिया गया है और रामेश्वर दयाल का तबादला कर दिया गया है ? क्योंकि इन्हीं लोगों ने माल पकड़वा दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

रामरूप व राम औतार अस्थायी वार्डर थे । चूंकि उनकी नौकरी की आवश्यकता नहीं थी अतः उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया । रामेश्वर दयाल का तबादला उन्हीं की प्रार्थना पर किया गया ।

*२५—श्री ऊदल—

क्या इस जेल से तेल, सूत, नेवाड़, कपड़ा, हमेशा बेचा जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी, नहीं ।

पूर्ति अधिकारी

*२६—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने पूर्ति अधिकारी इस समय कार्य कर रहे हैं और इनमें कितने स्थायी अथवा अस्थायी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नगी—

इस समय ५१ पूर्ति कधिकारी कार्य कर रहे हैं और सभी अस्थायी हैं ।

*२७—श्री गंगाप्रसादसिंह—

[९ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†छापी नहीं गई ।

अमरोहा तहसील में हार्टीकल्चर लोन

*२८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या सन् १९५८ में तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद, के किसानों का हार्टिकल्चर लोन (Horticulture Loan) बांटा गया ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि इन लोन में दी गयी थी ?

श्री चरणसिंह—

जी, हां । कुल २५,००० रुपया लोन के रूप में बांटा गया था ।

*२९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि क्या यह सच है कि इस लोन को देते वक्त किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि शुरू के पांच सालों का, यानी सन् १९६३ तक का, कोई सूद नहीं लिया जायगा ? यदि हां, तो इस समय किसानों से पहले पांच सालों का सूद क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । परन्तु पहिले पांच वर्षों के ब्याज की वसूली भी छठें वर्ष से मूल ऋण के साथ प्रारंभ करने की शर्त रक्खी गई थी ।

*३०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त सूद की जबरन वसूलयाबी के संबंध में कुछ शिकायत किसानों की सरकार को मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—

केवल एक शिकायती-पत्र श्री मुसय्यब हुसैन, तहसील अमरोहा, का प्राप्त हुआ जिसका उत्तर जिला कृषि अधिकारी ने श्री हुसैन को दे दिया है ।

*३१—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

[९ मार्च, १९६४ के लिए प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सलाहकारिणी खाद्य समिति, फतेहपुर

*३२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेंस देने के लिए जो सलाहकारिणी खाद्य समिति फतेहपुर जिले के लिए बनायी गयी है उसके कौन-कौन सदस्य हैं और किस आधार पर रखे गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला सलाहकारिणी खाद्य समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति खाद्य तथा रसद विभाग की स्थायी समिति की विगत बैठक में किये गये निर्णय के आधार पर की गई है :

(१) श्री एच०एस० तिवारी, जिलाधीश—अध्यक्ष ।
(२) श्री रक्षपाल सिंह, एम०एल०ए०—सदस्य ।
(३) श्री बद्री प्रसाद, एम०एल०ए०—सदस्य ।
(४) श्री जगन्नाथ सिंह, एम०एल०ए०—सदस्य ।

(५) श्री राम किशोर, एम०एल०ए०—सदस्य ।
(६) श्री रघुबीर सहाय, एम० एल०ए०—सदस्य ।
(७) श्री दीपनारायण सिंह, एम० एल० ए०—सदस्य ।
(८) श्रीमती रानी टंडन, एम०एल० सी०—सदस्य ।
(९) श्री हरीप्रसाद, अध्यक्ष, जिला परिषद्, फतेहपुर—सदस्य ।
(१०) श्री दया शंकर मिश्रा, जर्नलिस्ट, फतेहपुर—सदस्य ।
(११) श्री एस० जे० रजा खां, जिला पूर्ति अधिकारी—मंत्री ।

गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण

*३३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट की मिडिल एवं लो इनकम ग्रुप हाउसिंग लोन स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ, के माध्यम से कर रही है? उसके लिए पिछले पांच वर्षों में वार्षिक कितना धन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को दिया और कितना सहकारी बैंक ने प्रत्येक वर्ष लोन के रूप में दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी, हां । पर केंद्रीय सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बैंक के लिये अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है । राज्य सरकार स्वयं ही इन योजनाओं के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित (allocated) धनराशि में से बैंक को ऋण स्वीकृत करती है । गत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बैंक से दिये गये ऋण तथा बैंक द्वारा वितरित ऋण का विवरण सदन की मेंज पर प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५४ पर)

*३४—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६३–६४ के वित्तीय चालू वर्ष के लिए सरकार ने मिडिल एवं लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम का कर्ज लेने वालों के लिए अब तक कितना धन दिया है, कितना किन-किन जिलों के किन व्यक्तियों को दिया और कितनों को चालू वर्ष के दस माह बीतने के बावजूद अब तक पहिली किस्त भी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज—

सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में अभी तक बैंक को अल्प आय वर्ग निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल २७.५० लाख रुपया दिया है जिसमें से बैंक ने अब तक केवल १७.५०लाख रुपया प्राप्त (draw) किया है । शेष १० लाख रुपया बैंक agreement deed निष्पादित करने के बाद प्राप्त कर सकेगी । मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष में अभी तक बैंक को कुछ भी ऋण नहीं दिया गया है । शेष सूचना बैंक द्वारा एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जिले में सड़कों पर लगे पेड़ कटना

*३५—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत किन-किन पक्की सड़कों पर लगे हुए पेड़ कटवाये जा रहे हैं ? कुल कितने पेड़ काटे जायेंगे और प्रत्येक से सरकार को क्या आमदनी होगी ?

श्री चरणसिंह—

कानपुर जिले में निम्नलिखित पक्की सड़कों पर लगे हुए पेड़ कटवाये जा रहे हैं —

(१) पुरानी मुगल रोड – मील १२० से १३५ ।
(२) कानपुर–हमीरपुर रोड – मील २२ से ३१ ।
(३) कानपुर–कालपी रोड – मील ५३ से ६७ ।
(४) ग्रांड ट्रंक रोड – मील ६४१ से ६६३ ।

सन् १९६३–६४ में कुल ४,४१५ वृक्ष १,३४,४०० रु० में नीलाम द्वारा विक्रय किये गये, जिनकी कटान हो रही है और भविष्य में भी इन सड़कों पर कार्य योजना के अनुसार पेड़ काटे जायेंगे । चूंकि पेड़ों का नीलाम लाटों में किया जाता है इसलिये प्रत्येक पेड़ की आमदनी का अलग-अलग ब्योरा नहीं है ।

*१६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि कटने वाले पेड़ अत्यधिक मात्रा में फलदार आम, जामुन आदि के हैं तथा कटने वाले पेड़ों में बहुत से पेड़ स्थानीय जनता के लगाये हुये है ? यदि हां, जो जनता के पेड़ों को कटवाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—

कटने वाले ४,४१५ पेड़ों में से १,०२१ पेड़ फलदार—आम, जामुन, इमली के हैं और यह सही है कि इनमें बहुत से पेड़ स्थानीय जनता के लगाये हुए हैं । इन सड़कों पर जनता के पेड़ों को कटवाने का कारण यह है कि सड़कों के पेड़ वन विभाग के संरक्षण में सन् १९४० से आ गए हैं । वन विभाग इन्हें अपनी कार्य योजना के अनुसार कटवाता है । इस संबंध में कार्य योजना के अध्याय २ के अनुच्छेद ४५ की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५५ पर)

अतारांकित प्रश्न

१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[हटा दिया गया ।]

बिसोली टाउन एरिया के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की बिसोली टाउन एरिया के अध्यक्ष के खिलाफ अगस्त व सितम्बर, १९६३ में बदायूं जिले के जिलाधीश ने सरकार को लिखा है कि चूंकि इनको सीमेंट के ब्लैक करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है अतः इनको चेयरमैनी के पद से मुअत्तल कर दिया जावे ? यदि हां, तो इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी, हां । चूंकि संबंधित आरोप के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा ४२०/४०९/१२० एवं एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के धारा ४/७/८ के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही थी, अतः यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट के अन्तर्गत चेयरमैन को मुअत्तल नहीं किया गया ।

बुलन्दशहर जिले में कृषि उत्पादन पर व्यय

३—श्री जसराम सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में सन् १९६१–६२ और सन् १९६२–६३ में कितना धन कृषि उत्पादन बढ़ाने में खर्च हुआ ?

श्री चरणसिंह—

जिला बुलन्दशहर में कृषि उत्पादन बढ़ाने में १९६१–६२ और १९६२–६३ में क्रमशः २१,५३,१६३.८८ रुपये और ३७,९६,६८६.५२ रुपए व्यय हुए ।

४—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में कितने कर्मचारी जिला बुलन्दशहर में कार्य पर लगे हुये हैं, उनके पद क्या हैं ? और उनमें हरिजन कर्मचारी कितने हैं और किस पद पर हैं ?

श्री चरणसिंह—

जिला बुलन्दशहर में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुल ८६७ कर्मचारी कार्य पर लगे हुए हैं जिनमें ४१ हरिजन हैं । इनके पदों का ब्यौरा संलग्न †तालिका में दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन†

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ८०९।१०–१००९(५)–१९६३, दिनांक ६ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सुखलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना में शोधन

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं ।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इसके पहले मेरा विशेषाधिकार के संबंध में एक निवेदन है । उस दिन आपने अपनी व्यवस्था देकर सुखलाल जी का विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार किया था । उस दिन मैंने निवेदन किया था कि एक पत्र जो उन्होंने जेल से भेजा था वह आपकी सेवा में भेज दिया गया है और ऐसा निवेदन किया गया था कि वह फ्रेश नोटिस समझा जाय । इस संदर्भ में मुझे दो निवेदन करना है और वह यह कि जो सूचना मुझे उपलब्ध थी उसमें एक गलती थी । मैं उसको दुरुस्त कर दूं ।

---

†छापे नहीं गये ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

मैंने उसमें निवेदन किया था कि माननीय सुखलाल जीप में थे। मुझे बाद में पता चला कि वह अपने घर से कैसरबाग बस स्टेशन पर बस से आये और पैदल पार्क होकर उस तरफ आ रहे थे। वह जीप पर नहीं थे। मेरी सूचना में कृपया इतना सुधार कर लिया जाय। वहां उसके बाद कोई बचा ही नहीं था जो इस प्रकार की सूचना देता। माननीय सुखलाल का पत्र आप मंगवा लें और उस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने तथ्यों को सामने रख दिया। मैं फिर आदरणीय सदन के समक्ष बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि विशेषाधिकार के प्रश्न को गम्भीर समझ कर, पूरे तौर पर जांच करके तथ्यों सहित रखे जावें तो अधिक अच्छा होगा। माननीय सुखलाल के सम्बन्ध में २, ३ सूचनायें जो मुझे मिलीं उनमें मैंने देखा कि हरेक सूचना में कुछ न कुछ कमी रह गई थी। ऐसा न हुआ होता तो ज्यादा अच्छा है।

रहा यह कि माननीय सुखलाल का पत्र मुझे जेल से मिला। वह माननीय टम्बेश्वरप्रसाद द्वारा आया। उसके लिये मैंने यह निश्चय किया था कि उसका उत्तर मैं उन्हें जेल में भेज दूंगा, लेकिन अगर आदरणीय सदन के समक्ष मुझे कहना है तो सूरत यह है कि माननीय सुखलाल का यह कहना है कि वह अकारण ही गिरफ्तार हुए, उन्होंने १४४ को नहीं तोड़ा। जिस दिन यह विषय प्रस्तुत था उस दिन मैंने माननीय गृह मंत्री से पूछा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि हां, मुकदमा चलेगा। वह अकारण गिरफ्तार हुए या सकारण बन्दी हुए,, या किसी बदनीयती से स्थानीय अधिकारियों ने, यानी माला फाइडी उन्हें गिरफ्तार किया, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो मुकदमें में उठाए व निर्णीत हो सकते हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष, आदरणीय खेर साहब, की यह रूलिंग हो चुकी है कि जहां पर तथ्यों के सम्बन्ध में विभिन्य हो, या यह आक्षेप हो कि किसी अधिकारी ने माला फाईडो किसी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार इसलिये किया कि वह सदन की सेवाओं से वंचित रहें, तो ऐसी सफाई मुकदमें में उठाई जा सकती है और अगर फैसला यह हो जाय कि उनकी गिरफ्तारी माला फाईडो थी, तो वह प्रश्न इस आदरणीय सदन में लाया जा सकता है। यही बात मैंने पहले कही थी और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। रहा माननीय सुखलाल का पत्र, उसका उत्तर मैं दे दूंगा।

जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में किसानों पर पुलिस द्वारा लाठी-वर्षा करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव आया था, जिसमें माननीय सर्वश्री झारखंडे राय, चन्द्रजीत यादव, ऊदल, रघुवीरराम, रघुनाथराम, झिलमिटराम, तथा छांगुरराम ने यह कहा है कि कल सायंकाल ४ बजे अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद, के सामने ढाई हजार किसान अपनी सूखी अरहर, सूखी मटर, जौ–गेहूं के सूखे डंठल लिये खड़े थे। माननीय चौधरी चरणसिंह जी वहां एक कांग्रेस प्रोग्राम पर जाने वाले थे। किसान उन्हीं को अपनी दुख गाथा सुनाने तथा उनसे दोशब्द सहानुभूति तथा स्नेहपूर्ण आश्वासन के सुनना चाहते थे। माननीय मंत्री जी पहुंचे। किसानों और उनके नेताओं ने माननीय मंत्री जी की मोटर रोकी और अपनी करुण कहानी कही और प्रार्थना की कि कार से बाहर आकर दो शब्द आश्वासन एवं सान्त्वना के कहें। माननीय मंत्री जी ने इन्कार कर दिया, चिढ़ गये और गाड़ी आगे बढ़वाया। तहसील के सर्वप्रिय किसान नेता अकबर हुसैन बाबर जो वहीं तीन दिन से अनशन में पड़े लेटे थे, उन्हें पुलिस ने घसीटा और दूर कर दिया। भूखे भेड़ियों की तरह पुलिस के जवान जनता पर टूट पड़े और लाठी-वर्षा शुरू कर दिया।

अनशनकारी बाबर, उनके बूढ़े ८५ वर्ष के बाप, दैनिक "जनमोर्चा" के सम्पादक हरगोविन्द के साथ तीन दर्जन किसानों को सांघातिक चोटें लगीं हैं। यह सारी बात मंत्री महोदय के आंख के सामने घटित हुई हैं।

इस अकारण उत्तेजक घटनावली से तीव्र असन्तोष पर दुख व्याप्त है।

इस पर मैं कल माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या असली घटना है। तब इस पर निर्णय होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक नियम ५२ की सूचना माननीय बंशीलाल, मेवालाल, सालिग्राम जायसवाल, सत्य-नारायण पांडेय तथा कल्याणचन्द मोहिले के द्वारा आई है, जिसमें कहा है कि इलाहाबाद जिले के सोरांव तहसील के अन्तर्गत थाना नवाबगंज में दिनांक १७ फरवरी को हथिगहा के पास ५ आदमियों की गोली से हत्या की गयी तथा २०–२१ फरवरी को तहसील के तीन बाजार कौड़िहार, दहियावां और भैंडारा में गल्ले की दुकानें लूट ली गयी हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से लोग जख्मी हो गये हैं तथा हजारों रुपये का गल्ला लूट लिया गया है, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र की जनता बहुत आतंकित है। और गल्ले की तथा अन्य दूकानें बन्द हैं। दुकान बन्द होने से हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं। इसका असर जिले की और तहसीलों में भी पड़ रहा है। माननीय खाद्य मंत्री के इस बयान से कि ये दूकानदार ठीक ढंग से गल्ला नहीं बेचेंगे तो दुकानों का लूटना स्वाभाविक है, अराजक तत्त्वों को और भी प्रोत्साहन मिल गया है। फसल की खराबी से पूरे जिले में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इन सब बातों को रोकने के लिये सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे मैं माननीय मंत्री जी के पास शीघ्र और उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

थाना कौड़िहार बहुत नजदीक है मगर थाने ने इस वक्त तक कोई खबर नहीं दी। मुजफ्फरहसन साहब के क्षेत्र में बहुत कत्ल हो रहे हैं। मैं परसों ही गया था और देखा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री, माननीय काशीनाथ जी बहुत व्यग्र हैं और कई बार वह ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। यू० पी० और बिहार की सीमाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत उलझन है और उनका यह कहना है कि इनकी आशंका यह है कि वहां पर बोई हुई फ़सल को काट लेने की धमकी दी जा रही है। ईश्वर की दया से पाले और बरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसे आप कृपा करके देख लीजियेगा।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

देख लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

३०० एकड़ की फसल लूटने की लोग धमकी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप यह इसमें लिखना भूल गये हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

लिया है।

श्री अध्यक्ष—

तो काफी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राममूर्ति अंचल तथा माननीया डाक्टर राजेन्द्र कुमारी ने फिर प्रश्न उठाया है महिला विद्यापीठ के सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री ने इस पर काफी रोशनी डाल दी है, तो भी उनका कहना है कि वहां १५ दिन से ताला बन्द है और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाली छात्राओं और अभिभावकों को सार्टिफीकेट लेने में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। तो कृपा करके इसे देख लें। इसे नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आज समाचार-पत्रों में बड़े जोर की खबर है कि सरकार धान की मिलों और चक्कियों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी,प्रश्न यह है कि आप यह कह रही हैं कि अखबारों में कुछ बात निकली है राइस मिल्स के राष्ट्रीयकरण के बारे में। उसमें तो कदाचित् यह था कि विचार करें। क्या आपने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह तो भुवनेश्वर में निर्णय लिया गया था और सरकारों के पास भेज दिया गया था। हर गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार करके तय करेगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, आपने अभी कहा कि महिला विद्यापीठ के सिलसिले में काफी चर्चा हो चुकी है, मंत्री जी देख लें। मैंने समझा नहीं कि इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि जो सरकारी नीति है वह निश्चित हो चुकी है। उसके सम्बन्ध में आपने और अन्य सदस्यों ने काफी प्रश्न भी किये जिनका भी उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। अब आपने कहा कि इस समय कुछ कठिनाई हो रही है। इसलिये इसको मैं उनके पास भेज रहा हूं कि उनकी जो वास्तविक कठिनाई है वह रफा हो जाय।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो नियम ५२ की सूचना आप की सेवा में उपस्थित की थी जिसमें मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि लगभग आधा दर्जन डकैतियां आजमगढ़ जिले में, करीब ३ गोरखपुर में और देवरिया शहर में डकैतियों का तांता लगा हुआ है, जनजीवन अरक्षित है। श्रीमन्, आजमगढ़ और देवरिया की सरहद तो फैजाबाद से मिलती है इसके बावजूद भी यह हमारी बदकिस्मती है कि हम उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाये। यहां मंत्री जी बैठे हैं, आप मेहरबानी करके उनसे वक्तव्य दिलवा दीजिये, हालत बहुत खराब हो रही है। अतरौलिया थाने के पास कानपुर के एक व्यापारी के एजेन्ट की हत्या कर दी गयी। ऐसी घटनाओं का उल्लेख मैंने किया था। इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था। इसलिये मैंने वक्तव्य के लिये निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसलिये उसको स्वीकार नहीं किया था कि पुलिस का अनुदान आ रहा है। प्रदेश भर में जो घटनायें हो रही हैं उनके सम्बन्ध में जो वास्तविक ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, उस पर आप बहस कर सकते हैं। नियम ५२ के सम्बन्ध में एक बात मैं स्पष्ट रूप से रख देना चाहता हूं कि नियम ५२ ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लाया जा सकता है जिसमें हाल की घटना हो, अविलम्बनीय हो और जिसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी हो। उसमें बहुत सी घटनाओं की बात है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हाल की घटना है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। यह मेरा निश्चित मत है। इसी आधार पर नियम ५२ स्वीकार होगा, नहीं तो नहीं होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आप सूचना पढ़ कर मुझे यह बता दें कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उनमें तथ्य नहीं है, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

जिस प्रकार मैंने उसको पढ़ा है, उसी आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार भुवनेश्वर प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए धान कूटने की मशीनों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है तो क्या जैसा कि इस सदन में कहा गया सरकार चीनी मिलों का भी राष्ट्रीयकरण कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नया नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, नियम ५२ के सम्बन्ध में आप कई बार व्यवस्था दे चुके हैं, लेकिन आपकी कोई मानता नहीं है और इसलिये नहीं मानता है कि आप खुद अपने सहज स्वभाव से उसे पढ़ देते हैं और अपना निर्णय स्वयं बदल भी देते हैं। मैं उस तरह से आपके निर्णय अपने द्वारा ही स्वयं बदल देने पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सबसे पहली चीज यह है कि अगर माननीय सदस्य स्वयं नियमों का पालन करें तो ज्यादा शोभा होगी। आपने जो प्रश्न किया है, यही कायदे और नियम के विरुद्ध है। आपको यह प्रश्न करना ही नहीं चाहिये था। अगर आप करना ही चाहते थे तो आपका कर्तव्य था कि आप लिख कर उस विशेष बात को बतलाते कि अमुक सूचना अमुक दिन आपने इस प्रकार से पढ़ी थी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय राधेश्याम शर्मा ने आपके ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लगाया है और इस सदन का अवमान किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आदेश दें कि या तो वे इसे वापस लें या उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। इस तरह से सदन का अवमान बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मिश्रा जी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नियम के विरुद्ध होती हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो कोई कोई माननीय सदस्य या तो आवेश में आकर या अपनी अज्ञानता के कारण कुछ कह देते हैं। हमारी शोभा इसी में है कि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपना समय न नष्ट करें।

(व्यवधान)

अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भ्रामक प्रचार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह उप मन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

६ फरवरी, १९६४ को सुबह मुरादाबाद शहर में दीवालों पर लगभग २५ उर्दू के हस्त-लिखित पर्चे चिपके पाये गये। इनमें सरकार की निन्दा की गयी थी और कहा गया था कि सरकार ने मुसलमानों की जान-माल की ठीक से हिफाजत नहीं की जिसके फलस्वरूप दो लाख मुसलमान कत्ल कर दिये गये और बगावत फैल जाने का खतरा बताते हुए कहा गया था कि हुकूमत मुसलमानों की हिफाजत करे। यह कहना कि इन पर्चों की संख्या १५० थी, सही नहीं है। इन पर्चों के सम्बन्ध में न तो किसी राजनैतिक दल का कोई सदस्य और न ही कोई अन्य व्यक्ति जिलाधीश से मिला और यह भी सही नहीं है कि पर्चों की बात जिलाधीश को नोटिस में लाये जाने पर भी कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी।

यह पर्चे ५ और ६ फरवरी के मध्य की रात्रि में चिपकाए गये। ६ फरवरी को इतना पता चलते ही उन्हें हटवा दिया गया क्योंकि इनमें कुछ उत्तेजनात्मक बातें कही गयी थीं और उन्हें चिपकाने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये। पूर्ण प्रयास करने पर भी इन पर्चों को चिपकाने वाले व्यक्ति का पता नहीं लग सका। ९ फरवरी, १९६४ को क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर दिये गये जिसमें कि कोई और शरारत न की जा सके।

स्थिति पूर्ण रूप से काबू में है और शान्ति एवं सुव्यवस्था जो बनाये रखने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

ऐसा अनुमान है कि पर्चे किसी शरारती व्यक्ति ने चिपकाए थे और उनसे किसी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन पर्चों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता तथा प्रदेश के और किसी भाग में भी ऐसी कोई कार्यवाही देखने में नहीं आयी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि वहां जनसंघ के अध्यक्ष ने समय लेकर वहां के जिलाधीश और एस० पी० दोनों से भेंट की और उनको इन पर्चों के बारे में अवगत कराया? माननीय मन्त्री जी ने अभी यह वक्तव्य दिया कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी ने कंटैक्ट नहीं किया।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यह तो वक्तव्य में है, ऐसी कोई सूचना की जरूरत नहीं है उनसे पूछने से कोई फायदा नहीं है कि किसी ने आपसे बात की थी या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि यह किसी शरारती व्यक्ति का काम है। तो क्या मन्त्री जी को मालूम है कि व्यापक रूप से पूरे नगर में संगठित अराष्ट्रीय तत्वों का हाथ उस के पीछे काम कर रहा है और २५ नहीं, हजारों आदमी इसके पीछे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारी और हमारे अधिकारियों की इत्तला तो २५ की ही है, आप ज्यादा के बारे में जानते हों तो मैं नहीं कह सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो पोस्टर वहां चिपकाए गए थे उनमें का कोई नमूना सरकार के पास वहां के अधिकारियों ने भेजा है या नहीं ? यदि भेजा है, तो मन्त्री जी ने स्वयं उस को देखा है या नहीं, और देखा है तो उसमें क्या लिखा हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दोनों प्रश्नों का जवाब है "जी हां"।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उस पोस्टर के नीचे जो मुत्तहिद पार्टी का नाम दिया है तो उसके बारे में सरकार को कोई सूचना है कि उसका कोई संगठन है और उसका दफ्तर कहां है और उसके पदाधिकारी कौन हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो पहले ही वक्तव्य में बता दिया गया कि जहां तक हमारी जानकारी है उसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पोस्टर जो पकड़े गये या दीवारों पर चिपके हुए पाये गये वह जनता के किसी व्यक्ति ने जिलाधीश को दिये या इन्टेलीजेन्स के लोगों ने सरकार को दिये और कब दिये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन्टेलीजेन्स ने जिलाधीश को बताया और उसी वक्त वह सब उखाड़े गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि इस समय जो देश में घटनायें हो रही हैं उनका किसी प्रकार से प्रदेश के किसी भाग पर असर न पड़े इस तरह के पर्चे जो छाप रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, बशर्ते कि मालूम हो जाय कि वह लोग कौन हैं या कोई कहे कि मैंने ऐसा किया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या सरकार को सूचना है कि जैसी कि मेरी जानकारी है कि यह पर्चा फर्जी तरीके से जनसंघ ने छापा है और गड़बड़ी की कोशिश की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी कोई हमारे पास इत्तला नहीं है, अगर आप के पास हो तो बताये, जांच तो अभी हो ही रही है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि राजनैतिक पार्टी का सम्बन्ध नहीं है।

श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कर के हाउस को बताएंगे कि यह किसका फेल है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी जांच हो रही है। अब यह बताना ठीक नहीं होगा कि कैसे हो रही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी बतायेंगे कि राजनीतिक दलों के अलावा कौन से ऐसे दल हैं जो राजनीतिक नहीं हैं और मुरादाबाद में काम कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में मंत्री जी ने जांच करवायी और यह निकला कि उनके द्वारा नहीं कराया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अब जांच हो रही है...

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल न होते हुए भी क्या वहां पर और भी कोई ऐसा सदस्य है जिसके सम्बन्ध में आपके सामने शक हो और आपने जांच करायी हो।

श्री हरगोविन्दसिंह—

अब जांच हो रही है उसके बाद ही मालूम हो सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस समय हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवाद जन जीवन को अरक्षा में डालने के अनेक अराजकतायुक्त प्रयास कर रहा है, तो क्या ठोस कदम मंत्री जी उठायेंगे कि इन तत्वों को, चाहे वह किसी राजनीतिक दल ही में क्यों न हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, अगर पता चलेगा तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मंत्री जी बतायेंगे कि यह परचे हस्त लिखित थे या प्रेस में छपे हुए थे और पुलिस थाने या चौकी से कितनी दूरी पर लगे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

परचे हस्तलिखित थे। इतनी छानबीन नहीं की गई गज लेकर कि पुलिस चौकी से कितनी दूर लगे थे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

यह जो परचे मिले किस मुहल्ले में मिले ? दूसरे यह कि जो यह साम्प्रदायिकता का काम है क्या आपके लिये सम्भव है कि जो साम्प्रदायिक दल हो, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही जांच के बाद करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुहल्ले जिनमें परचे चिपके हुए थे इस प्रकार हैं : दीवान का बाजार, भट्टी, देहरिया, चमारों की पुलिया, असालतपुरा, शिद्दी सराय, और टाउन हाल के करीब।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह मुसलमानों के मुहल्ले हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह अधिकतर बस्तियां मुसलमानों की हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी कुछ रोज पहले मुरादाबाद में एक पाकिस्तानी आदमी पकड़ा गया था ट्रेन में जाते हुए, तो इन परचों के चिपकवाने के पीछे जैसे कलकत्ते के दंगों में पाकिस्तान का हाथ था, उसी प्रकार यहां भी दंगे कराने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, ऐसी सूचना है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मन्त्री जी को याद है कि इसी सदन में कुछ दिन पहले कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा था कि हजरतगंज एरिया में ४ या ५ ऐसे ट्रांसमिटर सेट्स हैं जिनसे हमेशा पाकिस्तान को खबरें दी जाती हैं और दूसरा चार्ज माननीय धुसिया ने लगाया था कि इसी सदन के एक सदस्य हैं जिसका राशन कार्ड पाकिस्तान में बना है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन दोनों सज्जनों को बुलाकर सूचना प्राप्त करके इसकी पूरी जांच करायें ताकि जन जीवन खतरे में न पड़े और जो भी दोषी पाया जाय उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि इस ख्याल से कि लोकली लखनऊ में भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसकी जांच करके मुरादाबाद के सम्बन्ध में भी आदेश देंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये दोनों बजाय सदन में सूचना देने के मेरे पास भी आ सकते थे और बता सकते थे, लेकिन उन्होंने आज तक यह सूचना नहीं दी है। अगर ये सूचना देंगे तो मैं जरूर जांच करवाऊंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी के कथन पर आपत्ति करता हूं। हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम मन्त्री जी के पास जायें और उन्हें बतायें। हमारा दायित्व इस बात का है कि जो हमें कहना है वह हम सदन में कहें। हमारा यह दायित्व नहीं है कि हम मन्त्री जी के पास जाकर बतायें तथा हमारी कही बात का पता लगाने का दायित्व मन्त्री पर है, उसे वे करें।

श्री अध्यक्ष—

उसको आज्ञा मत समझिये। उनका मतलब यह नहीं है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कश्मीर में जब से हजरत मुहम्मद साहब का बाल हजरतबल दरगाह से गायब हुआ और फिर वह मिल गया, और उस संबंध में वहां जो घटनायें घटीं, उसके बाद पूर्वी बंगाल में जो कत्लोगारद हुआ तथा प्रतिक्रियास्वरूप कलकत्ता और बंगाल में दंगे हुए सरकार ने हमारे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसी भी प्रकार का हिन्दू मुस्लिम तनाव न होने पावे और अगर किसी तरफ से हो भी तो उसको सख्ती से दबाया जाय और उसकी रोकथाम की जाय?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं समझती हूं कि बंगाल में दंगे होने के बाद जो खतरा इस प्रान्त में आ सकता था उस खतरे का मुकाबला सरकार के इन्टेलिजेन्स और यहां की पब्लिक ने भी बहुत अच्छी तरह से किया है, वरना यहां भी हालत खराब हो सकती थी। मैं तो पब्लिक को बधाई देती हूं। सरकार की अपनी एजेन्सियां हैं और उनसे हमारे पास रोज सूचना आती रहती है, लेकिन अगर आपके पास कोई सूचना आ गयी है तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप हमें बतायें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारी इन्टेलिजेन्स चारों तरफ स्प्रेड आउट है और हम सतर्कता रखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रान्त में शांति रही।

बलिया, जिला परिषद् के अध्यापकों को सेवा से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब शिक्षा मन्त्री वक्तव्य देंगे।

*शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जिला परिषद्, बलिया से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि परिषद् ने कुल १९० अध्यापकों को सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया था। १०९ अध्यापकों को सेवायें दिनांक २८-१-१९६४ तथा ८१ अध्यापकों को सेवायें दिनांक २०-२-१९६४ से समाप्त करने का नोटिस दिया गया। यह सभी अध्यापक, एक अवकाश प्राप्त अध्यापक को छोड़कर, अप्रशिक्षित थे और अस्थायी रूप से प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे थे। इन १९० अध्यापकों में से १०६ ऐसे थे जिनकी परिषद् में ४-५ महीने की सेवायें थीं और बाकी ८४ ऐसे थे जिन्होंने १ साल से लेकर ३ साल की सेवा की थी।

जिला परिषद् का कहना है कि उन अध्यापकों की नियुक्ति जिनको नोटिस दिये गये हैं अवैधानिक थी क्योंकि उनमें से कुछ की नियुक्ति निर्धारित पदों से अतिरिक्त पदों पर की गयी थी तथा कुछ नियुक्तियां नियमानुसार नहीं की गई थीं। इस विषय में कोई निश्चित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है कि परिषद् ने इन १९० अध्यापकों को नोटिस देने के लिये छांटने में क्या आधार अपनाया।

परिषद् को दिसम्बर, सन् १९६३ से ३६० प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई। इन पदों पर योग्य व्यक्तियों के चुनाव के लिये परिषद् ने दिनांक ७ फरवरी, सन् १९६४ के "आज" में विज्ञापन प्रकाशित कराया कि जिन अभ्यर्थियों ने अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिये आवेदन-पत्र दिया है तथा वे अध्यापक जिनको पृथक् किये जाने हेतु नोटिस दिया गया है ८ तारीख से पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र देकर चुनाव समिति के समक्ष जिसका गठन ६ फरवरी, १९६४ को हुआ ८, ९ एवं १० फरवरी, १९६४ को उपस्थित हों। परिषद् ने आवेदन-पत्र स्थानीय रोजगार दफ्तर से एवं अभ्यर्थियों से सीधे भी प्राप्त किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है कि निष्कासित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों ने इस चुनाव में सम्मिलित हो कर इस अवसर से लाभ उठाया परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि निकाले गये अध्यापकों को पुनः नियुक्ति का अवसर दिया गया।

परिषद् ने पुनः मन्डल के अध्यापकों द्वारा यह सूचना प्रसारित कराई कि जनवरी, सन् १९६४ में अध्यापन कार्य से पृथक् किये गये तथा माह फरवरी में अलग होने वाले तथा कार्य में लीन समस्त, अप्रशिक्षित अध्यापक अपने प्रमाण-पत्रों सहित चुनाव समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु २०, २१ फरवरी, १९६४ को उपस्थित होवें।

उपरोक्त सूचना से यह प्रतीत होता है कि जिला परिषद् ने अध्यापकों को नोटिस देने के उपरान्त उनको पुनः नियुक्त किये जाने हेतु दो अवसर प्रदान किये जिससे कि उनमें से योग्य व्यक्तियों को वैधानिक रूप से नियुक्त किया जा सके।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं एक कानूनी सवाल स्पष्टीकरण के लिये करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कानूनी सवाल नहीं हो सकता। जो एक मर्तबा आदेश दे दिया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ को वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)*

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में उन सारी बातों का जिक्र कर दिया जो इमकानी तौर पर इस समय वह कर सकते थे....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, चार दिन हुए जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमें भी मौका दिया जाय और आप ने मान भी लिया था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आते ही पूछा कि दत्त जी बोल चुके या नहीं तो मुझे यह रिपोर्ट मिली कि जिस वक्त आपको बुलाने का मन था उस वक्त आप मौजूद नहीं थे।

श्री एस० जी० दत्त—

मन का तो मुझे पता नहीं कि कब आपका मन करेगा....

---

*२१ फरवरी, १९६४ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आज हमारा मन है, आप बैठे रहियेगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैं यह कह रहा था कि हमारे मन्त्री साहबान जो बातें तय करते हैं प्रदेश के हित में अगर उन पर पूरे तौर से अमल किया जाय तो प्रदेश का अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, परन्तु खेद इस बात का है कि जब वह कागजात उनकी मेज के बाहर निकल कर अधिकारियों के हाथ में जाते हैं तो उनका रूप, रफ्तार और तरीका बदल जाता है और जनता में पहुंचते-पहुंचते ही उनका अर्थ भी बदल जाता है। मैं यह बहुत दिनों से देख रहा हूं कि बावजूद इसके कि हमारे सभी मन्त्रिगण ९–१० बजे रात तक आफिस में काम करते हैं, अपनी सारी शक्ति लगाते हैं और सच्ची निष्ठा के साथ प्रदेश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, परन्तु गाड़ी आगे नहीं चल पाती। इसका मैं एकमात्र कारण यही समझता हूं कि बड़े-बड़े अधिकारी लोग जो इस सचिवालय में १०–१०, १५–१५ साल से बैठे हुए हैं उन्होंने दरअस्ल अपना एक तरीका बना लिया है और जब आपस में बैठते हैं तो इस तरह की बातें भी करते हैं कि ये पोलिटिकल आदमी तो दरिया के किनारे के पेड़ होते हैं, आज ये मिनिस्टर आये, कल चले गये, ये तो रोज बदलते रहते हैं और हमारा स्थायित्व तो सेक्रेटरिएट में बहुत दिनों से है। मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मन्त्री जी इधर विशेष ध्यान दें नहीं तो चाहे वे अपनी पूरी शक्ति लगा दें, चाहे रात दिन इसी काम में लगी रहें इस खराबी को दूर नहीं कर पायेंगी तो किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि फाइल पर आदेशों को कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति आज इन्हीं अफसरों के हाथों में है।

अभी मुझे मालूम हुआ कि थोड़े दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सेक्रेटेरिएट में कुछ हेरफेर करने की कोशिश की थी और कुछ मुख्य-मुख्य लोगों को इधर-उधर करने की कोशिश की थी लेकिन वह मामला उसी तरह से फिर रह गया। पता नहीं मुख्य मन्त्री जी इस समय क्या कर रही हैं लेकिन हम समझते हैं कि वह बातें उसी तरह से ठप्प हो गयीं। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस ओर वे विशेष ध्यान दें। हमें उनकी नीयत पर शुबहा नहीं है, उनकी मेहनत पर पूरा-पूरा विश्वास है, वे चाहती हैं कि प्रदेश को आगे लेकर बढ़ें लेकिन जो जहरीला फोड़ा है अगर उसका आपरेशन नहीं करेंगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। बड़े-बड़े फेल हो गये। माननीय सम्पूर्णानन्द जी को इन्हीं बड़े-बड़े अधिकारियों ने फेल किया। माननीय गुप्ता जी को इन्हीं बड़े-बड़े अधिकारियों ने फेल किया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, १८–१८ घंटे काम करते थे, आंख खराब हो गई, लेकिन सफल नहीं हो सके। वही कमजोरी अब आपके पीछे भी लगी हुई है। इसलिये आप सारे कामों को बन्द कर दीजिये और सिर्फ एक काम कीजिये कि तलाश कीजिये कि जिलों में कौन-कौन से कलेक्टर ऐसे हैं जो काम नहीं करते। कौन-कौन से अधिकारी हैं जो करप्ट हैं और सेक्रेटेरिएट में कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट को एक्सप्लाइट करते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आपको इसमें सफलता मिल गई है तब तो आप सफल होंगे वरना वे लोग किसी तरह से आप से कमजोर नहीं थे जो आज असफल हो कर बाहर खड़े हुये हैं। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि मैं आपका साथी हूं और इसके नाते मैं स्पष्ट बात कहना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें वरना गाड़ी चल नहीं सकती है।

सब से बड़ी विपत्ति हमारे सामने आज गल्ले की महंगाई है। हमारे मंत्रिगण २४ घंटे प्रयत्न करके इसको दूर करने में लगे हुये हैं। लेकिन उनके सामने बहुत-सी अड़चनें हैं। किसान गल्ला पैदा करते हैं लेकिन सेठ साहूकार उसको खरीद कर अपने गोदामों में भर लेते हैं और फिर भाव बढ़ा कर अपनी मर्जी से बेचते हैं। अभी तक गल्ले की नई फसल नहीं आई है लेकिन इन लोगों ने गल्ला गोदामों में बन्द कर रखा है। हमारी सरकार भी जागरूक है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। हम अपने खाद्य मंत्री जी को बधाई देते हैं। वे बड़े

जोशीले हैं और इस बात की कोशिश में लगे हुये हैं कि किसी तरह से स्थिति को काबू में कर लें। आज सप्लाई की स्थिति को देखें। हर जिले में १०, १५, १६ आदमी काम करते हैं, कहीं १० हैं, कहीं १२ हैं और कहीं १५ हैं, और लोहे, कोयले, सीमेंट तथा गल्ले की दुकानें जिले में होती हैं जिनको उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। मैं नहीं समझ सकता कि १०–१२ आदमी कैसे ४००–५०० दुकानों को सुचारु रूप से चला सकते हैं और सही तरीके से जनता को सामान पहुंचा सकते हैं? यह असम्भव है। यह सबसे बड़ी खराबी है।

इसके अलावा, श्रीमन्, सप्लाई विभाग में कुछ ऐसे इंसपेक्टर्स हैं जो १०, ११ साल से अपनी तरक्की की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं और वहां तनख्वाह पा रहे हैं उनको यह उम्मीद नहीं रह गई है कि उनकी तनख्वाह में कोई बढ़ोत्तरी होगी या तरक्की मिलेगी। वह अपने को अनिश्चित भी समझते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। आपको अपनी नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन लाना होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप स्थिति पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमने अखबारों में पढ़ा कि काश्मीर की जो हमारी हद है उस पर कुछ हमारे मिलिटरी वाले सिपाही को मार दिया गया और कुछ का पता नहीं लगा। ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में आपकी स्थिति बदलती जा रही है। इसलिये हम चाहते हैं इसका प्रचार जनता में भी होना चाहिये। आप बहुत सुन्दर स्कीमें बनाते हैं और उनसे लोगों को लाभ हो सकता है। लेकिन किसान उनको समझ नहीं पाते, इसलिये लाभ नहीं उठा पाते। इसलिये बजट में थोड़ा सा प्रचार करने वाला विभाग रखा जाय जो आपकी स्कीमों को जनता को समझा सके। अध्यक्ष महोदय, यह बातें जो मैंने कहीं यह सोच कर कि स्थिति हमारी बहुत जल्दी बिगड़ने वाली है और ऐसा लगता है कि हमको सब काम बन्द करके अपने देश और देश की रक्षा में लग जाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में अगर जल्दी से सारी चीजें नहीं कर ली जाती हैं तो हमें आगे चल कर इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक तो मैंने वह बात कही, दूसरे यह कि जनता के सम्पर्क को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करना चाहिये। आप जाते जरूर हैं लेकिन वहां के अधिकारी लोग अपने मित्रों के जरिये इतनी जोरों से घेर लेते हैं कि सही जगह पर आप कभी कभी पहुंच भी नहीं पाते, बड़ी बड़ी चाय पार्टियां कर देते हैं, बड़े बड़े इन्टरव्यू कर देते हैं, उसमें सारा समय समाप्त हो जाता है। जनता की सही चीजें आप के सामने नहीं आ पाती हैं। इन शब्दों के साथ में अपने मुख्य मंत्री और मंत्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे शब्दों में थोड़ी-सी सख्ती आ गयी हो तो क्षमा करेंगे। मैं उनका साथी हूं। मैं चाहता हूं कि वह मजबूत रहें। मजबूती के साथ अपनी मिनिस्ट्री को चला सकें।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह देख रहा हूं कि बहुत काफी संख्या में लोग बोलना चाहते हैं। अगर सदन सहमत हो तो बजाय २० मिनट के १० से १५ मिनट कर दिया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

१५ मिनट में वेग और अनर्गल बातों का जवाब कैसे हो पायेगा?

श्री अध्यक्ष—

तो यह तय ....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

कैसे तय हुआ?

श्री अध्यक्ष—

आप, माननीय बलवानसिंह, क्यों परेशान होते हैं? आप नेता हैं। आपका समय निश्चित है।

चीनी मिलों को गन्ना क्रय-कर में छूट के सम्बन्ध में घोषणा

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सीजन में प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की चीनी मिलों को वर्तमान २ रुपये प्रति मन की दर पर गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। प्रदेश में चीनी के उत्पादन को बनाये रखने तथा फैक्टरियों को चालू रखने के लिये यह आवश्यक है कि फैक्टरियों को सुविधा दी जाय जिससे वे गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य दे कर यथ चित मात्रा में गन्ना प्राप्त कर सके। अतएव राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो चीनी मिलें दो रुपया चार आना प्रति मन या उससे अधिक दर से गन्ने का मूल्य किसानों को देंगी ऐसी मिलों द्वारा इस अधिक भुगतान किये गन्ने के मूल्य के ५० प्रतिशत की क्षति पूर्ति गन्ना क्रय कर में छूट देकर की जायगी। यह छूट दो रुपया चार आना प्रति मन या उससे अधिक दर से भुगतान किये गये गन्ने पर अधिकतम १९ न० पै० प्रतिमन तक होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

दो चार पैसे किसानों को देने के नाम पर करोड़ों रुपया मिल मालिकों को छूट दे रहे हैं। आज सैकड़ों आदमी अनशन कर रहे हैं, मर रहे हैं।

१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री बेदराम (जिला एटा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि तीन चार रोज में आज मुझे समय मिल सका। मैंने जब बजट देखा तो मुझे सबसे अधिक खर्चा नियोजन पर दिखायी पड़ा। नियोजन के विषय में यह निश्चित धारणा हो गयी है कि नियोजन प्रथम, द्वितीय और वर्तमान तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो चल रहा है किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हुआ है। नियोजन को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हुई है और यह बड़े दुख का विषय है कि इस प्रकार के सरकारी झूठे आश्वासनों से जनता के दुखों का निवारण कैसे हो सकेगा ? १५-१६ वर्ष के पश्चात् भी आज सराकार इस योग्य नहीं हो सकी कि भूखे और नंगे आदमियों को कपड़ा और रोजी दे सके। टैक्सों का बोझ दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। (व्यवधान) फसलें शीत से नष्ट हो रही हैं। और किसानों से लगान वसूल करने के लिये उन पर हर प्रकार के अमानुषिक ज ा कि पूंजीपतियों से रुपया कितनी आसानी से वसूल किया जाता है जब कि किसानों से वसूल करने के लिये उन पर हर तरह के अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, हम चाहते हैं कि आज की डिबेट में खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी रहें क्योंकि सुचेता जी बैठी नहीं हैं दो तीन रोज से और आज हम लोग अपनी बातों को कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं तो सिर्फ एक ही दिन बाहर गई थी।

श्री अध्यक्ष—

वह उनके कमरे में भी सुनाई देता है।

श्री बेदराम—

माननीय बंशीधर पांडेय ने एक बात कही कि हमारे प्लान को ३४ परसेंट जनता समझ सकी है। तो ३४ प्रतिशत आपने इसलिये बताया कि ३४ प्रतिशत ही आपको वोट मिले हैं। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आपने शुरू की थी तब तो ९० और ९९ प्रतिशत वोट से आप चुनकर

आये थे, तब भी जनता आपके ध्येय को समझती थी । तो फिर जनता आपके ध्येय को भूलती क्यों गयी ? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। एक उदाहरण मुझे याद है कि किसी ब्लाक के लिये जो आपने नई बिल्डिंग बनवायी थी उसमें एक गाय के हिलाने से एक खम्भा गिर गया। गंगा प्रसाद जी विधायक ने लिखकर भेजा निर्माण मंत्री के पास कि इसकी जांच करायी जाय । तो इसके सम्बन्ध में कांग्रेस के दो विधायक आये कि इसको वापस ले लीजिये । इस तरह आप सभी गड़बड़ करते हैं । सीमेंट में रेत तो दुनियां मिलाती है । तो मान्यवर, कहने का मतलब यह है कि जितनी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वह यही लोग देते हैं । परिवहन विभाग में श्रीमन्, बार बार यह आदेश गये कि टिकटों पर पीछे नम्बर हिन्दी में डाले जायं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । सब टिकटों पर ही अंग्रेजी में नम्बर पड़ते हैं ।

दूसरी बात म्युनिसिपैलिटियों वगैरह में जो पांच रुपये सब जगह बढ़ाया है वह वहीं पर बढ़ाया गया है। जहां पर सेक्रेटरियों की बढ़ोत्तरी में फायदा हुआ है। श्रीमान् जी सोरों हास्पिटल सन् १८९८ का बना हुआ है। उसकी दीवारें मुंह बाये खड़ी हैं और बार-बार लिखने पर यह उत्तर मिलता है कि प्रश्न विचाराधीन है । दो साल से प्रश्न पर विचार नहीं हो पाया । वहां के अस्पताल के थियेटर में बरसात में पानी भर जाता है । दीवारें बिलकुल गिर गई हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देती सरकार कि इसे बनवाना है । श्रीमन्, हमारे यहां के ब्लाक में एक बी० डी० ओ० महोदय हैं, वह दिन रात पार्टीबन्दी में फंसे रहते हैं । बार बार कहने पर भी सिवाय अपने आदमियों को सीमेंट वितरण करने के, कभी भी ठीक से सीमेंट वितरण नहीं करते । इसकी शिकायत बार बार मंत्री जी से की, लेकिन उत्तर यही मिला कि शिकायत निराधार पायी गई। दो साल हो गये आज तक का दरबारी पंचायत का एलेक्शन नहीं कराया।

श्रीमान् जी, एक सड़क को १४ वर्ष हो गये जब कि वह पी० डब्ल्यू० डी० में आई थी । वहां पर कंकड़ पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा डलवाई गई थी लेकिन वहां पास के एक नेता थे उन्होंने चाहा कि वह सड़क उनके गांव में से ले जाई जाय तो उस सड़क को वहां पर ले जाने के लिये नहर के किनारे के तमाम पेड़ कटवाये गये और तब उस सड़क को वहां तक ले जाया गया और वहां से तब होकर वह सड़क निकली। जो पहले प्रोग्राम में सड़क थी उसको रद्द कर दिया गया जब कि उस सड़क के बनाने में बहुत कम खर्चा होता और वह सड़क बनना जरूरी था । वहां से उन कंकड़ों को उठाया गया और इतना खर्चा किया गया कि जिसका कोई इन्तहा नहीं है ।

श्रीमन्, मैंने लगातार २ वर्ष से सोरों घाटों के सम्बन्ध में लिखा कि वहां की २० हजार की आबादी है । वहां पर गंगा के घाटों का जीर्णोद्धार करना जरूरी है। २ वर्ष हो गये पर आज तक उसका जवाब नहीं मिला । दूसरे कुछ मंत्री हैं जो जहां के रहने वाले हैं वहां पर घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है । वहां पर काफी पैसा लगाया गया है। हमने उनको लिखा लेकिन आज तक उनकी उपेक्षा करते रहे हैं । मेरी स्पष्ट मांग है कि वहां पर घाटों का उद्धार होना जरूरी है इसलिये वहां पर घाटों को बनवाया जाय । वहां से ८ मील के फासले पर लहरा-घाट है जहां से गंगा बहती हैं । वहां के लिये मैंने कहा कि वहां बांध बनवाया जाय क्योंकि वहां पर तमाम आदमी मर जाते हैं लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई । और उत्तर भी मिला तो यह कि लाभ से कम क्षति की आशा है इसलिये बनवाना असम्भव है।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वादे को निभाया है । वित्त मंत्री जी ने यह सन् १९६४–६५ का जो बजट हाउस में पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । यह ठीक है कि देश के सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां और मुश्किलात हैं । बाज विरोधी दल के दोस्तों ने कहा कि यह सोशलिस्ट बजट नहीं है । लेकिन यह कहना पड़ेगा कि अगर सोशलिस्ट नहीं है तो यह सरमायेदारों का भी बजट नहीं है क्योंकि हम लोग सोशलिज्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री एस० जी० दत्त]

की तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन यह कहूंगा कि आज मुझे इस हाउस में आठवां वर्ष है। मैंने देखा कि इस बजट में कहीं भी माइनारिटीज के लिये रियायत नहीं दी गई है। खासतौर से मैं अपनी कम्युनिटी के लिये कहना चाहता हूं। मैं किसी कम्युनल खयाल से नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं इस खयाल से कह रहा हूं कि हमारी जमात को सरकार ने बिलकुल नजर अन्दाज कर रखा है। उनकी आर्थिक दशा इतनी खराब है कि जो बयान नहीं की जा सकती। घर बार हमारे पास नहीं जो जमींदारी हमारे पास गांवों में थी वह भी इस तरह से चली गई और बेरोजगार हो गये। जो हमारे इबादतगाह देहातों में थे उनको साम्प्रदायिक लोगों ने कुछ इस तरह से बेशुमार मिस्मार कर दिये कि जिससे हमारे ऊपर वहां पर सख्ती हो रही है। इसके लिये मैंने सरकार से दरख्वास्त की इत्तला भी दी, लेकिन सरकार उसका कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकी।

श्रीमन्, जब ब्रिटिश सरकार ने यहां पर रहने वाली माइनारिटीज से पूछा था कि आप क्या क्या सहूलियतें चाहते हैं तो सिवाय इंडियन क्रिश्चियन्स के सभी ने अपनी अपनी मांगें उसके सामने रखी थीं। केवल हमारी कम्युनिटी ने ही जवाब दिया था कि आप हिन्दुस्तान को आजाद कर दीजिये हम और कोई सुविधा नहीं चाहते। हमें आप अपने भाइयों पर छोड़ दीजिये और हमने अपनी कोई मांगें उनके सामने नहीं रखीं। लेकिन हुआ यह कि हमारे जो बड़े भाई थे वह हमको आज नजर अंदाज कर गये हैं। हम लोगों को इस वक्त बड़ी परेशानी है। कई खानदानों में एक एक हफ्ते गुजर जाते हैं कि उनको खाना नहीं मिलता। एजूकेशन के मामले में हमारी जमात एक पायनियर जमात थी। हम एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स खोल कर अपने भाई बहनों की सेवा करते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे ८वें क्लास तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं उसके आगे पढ़ाने के लिये उनके मां बाप के पास पैसा नहीं होता और वे कोई रोजगार भी इसी वजह से नहीं कर सकते। तो हमारी जमात की हालत बदतर हो गयी है। हम आप लोगों की हमदर्दी चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सब जानबूझ कर हो रहा है, लेकिन यह जरूर है कि हमको नजरअंदाज किया जा रहा है? हमने इस मुल्क के भाई बहनों की सेवा की है। हम आज तरक्की करना चाहते हैं। तालीम हासिल करना चाहते हैं और इसलिये सरकार से दरख्वास्त है कि इंडियन क्रिश्चियन्स का जिनकी इस प्रदेश में ५ लाख की आबादी है, वह खयाल रखें। कांग्रेस ने हमारी जमात को एक सीट यहां दे रखी है और उसके लिये दूसरी कम्युनल जमातों में यह खयाल है कि यह ईसाइयों को एक सीट मिली हुई है। उनका खयाल है कि ईसाइयों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी जमात की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे। मैंने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अगर कोई क्रिश्चियन जमात का एबिलिटी वाला आदमी भी जाता है तो उसका चुनाव नहीं किया जाता। इसका कारण या तो वहां भी जात बिरादरी की भावना है या फिर जो सेक्रेटरी आदि आपके वहां हैं वे अपने सोर्सेज भिड़ा कर अपने ही आदमियों को रखवा देते हैं और क्रिश्चियन्स की हकतलफी हो जाती है। मैंने देखा है कि क्रिश्चियन्स वहां के चुनावों में नहीं आते। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं लेबर की तरफ आता हूं। अंग्रेजी सरकार ने १९३५ की ऐक्ट में कौंसिलों को नुमाइंदगी दी थी, जैसे टीचर्स का, ग्रेजुएट्स का नुमाइंदा आता है और इसी तरह से लोकल बाडीज का आता है। इसी तरह से उस ऐक्ट में था। सन् ४७ के बाद जब हमें आजादी मिली है तो लेबर की हकतलफी हुई है। मैं इस्तदुआ करूंगा कि उस ऐक्ट को फिर रिवाइज करें और फिर से लेबर के लिये कौंसिल में नुमाइंदगी दी जाय।

यह ठीक है कि आजकल खूराक के बारे में हमारे देश में मुश्किलात हैं, लेकिन वह सब पर आयी है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं खुश हूं कि हमारी सरकार अब इसके बारे में कदम उठा रही है ताकि अगर कहीं बेचैनी है तो वह दूर हो। मैं विरोधी पोलिटीकल पार्टीज से भी इस्तदुआ करूंगा कि मेहरबानी करके बजाय पब्लिक को उकसाने के गवर्नमेन्ट का साथ दें

ताकि गवर्नमेंट इस खूराक के मसले को हल कर सके और एक सुलहकुल ऐटमास्फेयर कायम हो। हमारे मुल्क पर कष्ट है । एक तरफ चीन खाये जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमला कर रहा है । साथ ही अंग्रेज और अमेरिका भी काश्मीर के मसले में हमारे खिलाफ हैं। इस वक्त जरूरत है कि हम सिर जोड़ कर उन मसलों को हल करें। मैंने देखा है कि कुछ पोलिटिकल वर्कर्स गुंडों को उकसा कर कहते हैं कि बाजार लूट लो और वह लूटे जाते हैं और बड़ी बदइंतजामी और लोगों के दिलों में अफरा-तफरी होती है जिससे सरकार बदनाम होती है। हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि अनाज की कमी नहीं है । जो अधिकारी हैं उन पर भी सख्ती होनी चाहिये ताकि वह पूरे तौर से इन्तजाम करें, क्योंकि आज अधिकारी लापरवाही अख्तियार कर रहे हैं । वैसे हमारे मुल्क ने तरक्की की है, इंडस्ट्री भी बढ़ी है । कभी ऐसा होता है कि कुदरत हमारे ऊपर मेहरबान नही होती है तो वह दूसरी बात है, जैसा कि एग्रिकल्चर में होता है। इसलिये जो तरक्की हुई है उसको तसलीम करना चाहिये, उससे आंख बन्द नहीं की जा सकती। इसलिये सरकार का सभी को साथ देना चाहिये ताकि हम दूसरे देशों के मुकाबले में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें और अपनी सारी मुश्किलात का सामना कर सकें ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझको मौका दिया । खास तौर से मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का मशकूर हूं कि उन्होंने बैठने का कष्ट किया । मैं बहुत-सी बातें कहना चाहता था, नहीं मालूम आप आयेंगी या नहीं, इसलिये पहला ही विषय पुलिस लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

खास-खास पहले कह दीजिये ।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, जिस वक्त खासतौर से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जनतांत्रिक समाजवाद का नारा चला तो मैं मेरठ की जेल में था । मेरा ख्याल था कि बजट सेशन में एक नये चेहरे से कांग्रेस पार्टी आयेगी । क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी के जितने चेहरे आये हैं उनसे समाजवाद की झलक तो आई नहीं । हम तो उन गुनहगारों में हैं जो इस कारण हमको निकाल दिया गया उस पार्टी से कि हम सोशलिस्ट थे । पहले आपकी कामनवेल्थ आयी, उसके बाद सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी आयी, फिर सोशलिस्ट पैटर्न और उसके बाद १२ जनवरी, १९६४ को आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर आये हैं ।

श्रीमन्, जब मैंने सरकार की बजट स्पीच को पढ़ा तो मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसमें समाजवाद की झलक थी ही नहीं । ८० प्रतिशत कांग्रेस के एम० एल० एज० ने इस सरकार की जबरदस्त नुक्ताचीनी की है । अगर इस सरकार में जरा भी दम होता तो वह अपने ही लोगों के कारण जरूर इस्तीफा दे देती । चारों तरफ समाज में किस तरह के समाजवाद का नक्शा है उसको मैं एक शेर कह कर बताना चाहता हूं—

"कपड़ा सड़ा गला हो तो मुमकिन नहीं रफू,
सीते थे आस्तीन गरेंबां ही फट गया ।"

हमारे दत्ता साहब कहते हैं कि माइनारिटीज का ख्याल नहीं है । दो, एक सड़कें या पुल आदि बनवा देने से काम नहीं चलेगा । जब तमाम कपड़ा ही सड़ा हुआ है तो उसमें पेबन्द लगाने से काम नहीं चलेगा । क्या आज आप देखते नहीं हैं कि समाज कहां पर है ? आज जनता के पास न खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़ा है, न रहने को मकान है, न शिक्षा है, न दवा का ही कोई इन्तजाम है और मारेल एथिक्स भी आज नहीं है । इन ५ चीजों के अभाव में, १७ साल के बाद आज आप डेमाक्रेटिक सोशलिज्म का नारा लेकर आये हैं और कहते हैं कि हमारा नारा बड़ा उचित है । पता नहीं किस तरह से आप इस देश को चलाना चाहते हैं ।

[श्री बलवानसिंह]

आज आपके यहां जनसंघ के ८ लाख वालन्टियर्स हैं जो पी० आर० डी० की शक्ल में इस हुकूमत को खा जाने के लिये तैयार हैं । यही नहीं, श्रीमन्, चाइना में दो करोड़ कम्युनिस्ट सर पर कफन बांधे खड़े हैं जो एशिया भर में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं । उनके कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेज से बचने के लिये क्या कोई चीज इस बजट में है ? क्या आप इस बजट से उसको रोक पायेंगे ? आपकी डेमोक्रेसी जख्मी हो गयी है और उसमें टी० बी० के कीड़े, जैसे भ्रष्टाचार, जुल्म, अन्याय आदि लग गये हैं और वह उसको कुतर रहे हैं । किसी मुल्क में आज ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है । इस देश की डेमोक्रेसी को भ्रष्टाचार और जुल्म रूपी टी० बी० के कीड़े खा रहे हैं । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस डेमोक्रेसी को बचाये और कांग्रेस की गद्दियों को छीनकर उसे बचाने की कोशिश करेगी । मिश्रा जी कहते हैं कि यह तो कांग्रेस की गद्दी छीनने की बात है । मैं बताऊं । १९५३ की बात है यह । श्री जय प्रकाश नारायण से डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि या तो इस कांग्रेस में नेहरू जी से मिल कर राज्य लो या इस राज्य को लड़ कर लो । लेकिन हमारे बड़े नेता जय प्रकाश जी निकल गये, लड़े भी नहीं, चले गये । दूसरी तरफ डाक्टर राममनोहर लोहिया इतने लड़े कि अपने अंगों को भी खो बैठे । लेकिन आज हम वहीं आ रहे हैं । सोशलिस्टों ने दिमाग को बनाया और पी० एस० पी० ने जिस्म को बनाया और अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं । सन् ६२ में २०० सीटें हमने आपस में लड़ कर खोईं । मेरा ऐसा ख्याल है, अखबार वाले इसको देख लें । अब हम मिल रहे हैं और कांग्रेस से लड़कर सन् ६७ में हुकूमत को लेंगे ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

बलवान सिंह जी, यह आपको आज मालूम हुआ कि अभी तक आप बेदिमाग थे ।

श्री बलवानसिंह--

हमको आज बेदिमाग वे कह रहे हैं जिनके पास कभी कुछ था ही नहीं । मैं आपसे आज भी कहता हूं, हो सकता है इसमें उग्रसेन जी हमसे सहमत न हों, लोहिया जी की जो इक्विडिस्टेंस की थियोरी थी उससे मैं सहमत नहीं कि जनसंघ कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी बराबर की दूरी पर हैं । लेकिन आज मेरा विश्वास है कि जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी के बहुत पास कांग्रेस आ गयी है । इसलिये सच्चे मानों में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को चाहते हैं एस० पी० और पी० एस० पी० वाले वे साफ कहते हैं कि जनसंघ, स्वतंत्र और कम्युनिस्ट पार्टी से हमारी कोई एलाइन्स नहीं हो सकती । इसलिये हिन्दोस्तान के अन्दर हुकूमत बनाने की बात है । (व्यवधान) मैंने उधर के माननीय सदस्यों की स्पीच बड़े गौर से चुपचाप सुनी, गोविन्द सहाय जी की सुनी, चौधरी चरणसिंह जी की सुनी, नेगी जी की सुनी । नेगी साहब तो यहां तक कह दिया कि करप्शन को डेमोक्रेसी में रोका नहीं जा सकता । मैं माननीया मुख्य मंत्राणी जी से पूछना चाहता हूं कि फिर नेगी जी किस लिये मिनिस्टर हैं ? ऐसे मिनिस्टरों को आप कब तक रखेंगी ? भ्रष्टाचार कहां है ? अभी मेरे पास कागजात हैं । जालौन जिले के अन्दर एक डाकू है जिसने कई डकैतियों में भाग लिया है और एक डकैत ने कहा भी कि वह हमारे साथ था । नत्थू ने पुलिस में जाकर अपने बयान में कहा और उसी डाकू को २६-२७ तारीख को फरवरी, ६२ में एक मिनिस्टर साहब कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं । जब कि वह जेल में था उस समय श्री चतुर्भुज शर्मा ने उसको वह सर्टिफिकेट दिया । क्या यह फाइल आपके पास नहीं है । और नन्दा साहब कहते हैं कि हम २ साल में करप्शन को समाप्त कर देंगे । अगर आप करप्शन को कुचलना चाहते हैं तो इस गंदगी को आपको दूर करना होगा । इस मिनिस्टरी से भ्रष्टाचार को हटाना होगा । मिनिस्टर साहब ने अपना सर्टिफिकेट उसको दिया है जो कि कत्ल में भी शामिल हैं और इस बात को चारों तरफ से कहा गया है । इसलिये मैं आज मांग करता हूं कि चीफ मिनिस्टर इस सम्बन्ध में अपनी इन्क्वायरी करें और देखें कि वास्तविकता क्या है । यहां मिनिस्टर साहब नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर यह प्रकरण समाप्त हो गया हो तो अब हम उठें ।

श्री बलवानसिंह---

उठने से पहले इतना मैं निवेदन कर दूं कि इतना मैं जरूरत चाहता हूं, कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं और अपने भाषण में जितनी सारी बातें मैंने रखी हैं उनका जवाब भी चीफ मिनिस्टर को देना है, इसलिये चीफ मिनिस्टर सदन में उस समय भी अवश्य हाजिर रहें ।

श्री अध्यक्ष---

आपका यह प्रकरण समाप्त हो गया । तो अब हम उठते हैं, दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, मैं अपनी स्पीच में पुलिस का जो इस प्रदेश में रवैया है उस पर कह रहा था और खासतौर से यह कि इस प्रदेश के जो मंत्री हैं, श्री चतुर्भुज शर्मा, उन्होंने कैसे एक डकैत को बचाने के लिये खुद अपना स्टेटमेंट दिया । डकैत इकबाल करता है कि मैंने डकैती डाली और जिस वक्त वह गिरफ्तार होता है तब भी कहता है, वह २६-२७ फरवरी को डकैती करता है और १२-४-६२ को गिरफ्तार होता है । उसके बाद १८–५–६२ को डकैत इस बात को कहता है कि फलां रात को मैं मिनिस्टर के पास था । पुलिस की डायरी कहती है कि उसने इकबाल किया, उसकी दरख्वास्त नामंजूर होती है । एक मास के बाद जब मिनिस्टर साहब का लड़का वकालतनामा पेश करता है तो उसमें भी जिक्र नहीं है लेकिन १८–५–६२ को मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह फलां रात को मेरे पास था । अगर एक मिनिस्टर एक डकैत को बचाने के लिये जो कि डकैती में मुब्तला था, ५ दिन में पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ वह डकैत छोड़ दिया जाता है । १८–५–६२ को डकैत कहता है कि मैं डकैती में नहीं था और पुलिस के सामने अपने किये हुये इकबाल को वह डिनाई करता है । इस तरह से १९ से २४ तारीख तक मिनिस्टर साहब उस को बचाने के लिये हर चीज करते हैं, कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई और वह २५ को कोर्ट से छोड़ दिया जाता है । यह आदमी पहले भी २–३ डकैतियां कर चुका था और यह वही आदमी था जो पहले भी कत्ल में शामिल था . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

कोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन ठीक नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

यह डाकुओं से मिनिस्टर साहब की हमदर्दी की बात है ।

श्री बलवानसिंह---

मैंने ऐसी बात नहीं कही है, माननीया चीफ मिनिस्टर साहब और माननीय हुकुम सिंह बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस मामले को दबाने की कोशिश न करें और इसको श्री नंदा तक ले जायं . . . . . .

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

आप ही ले जाइए ।

श्री बलवानसिंह—

हम ही जायेंगे । ऐसे ही एक करप्ट मिनिस्टर और हैं उनकी बेगम ने गोलमाल किया। अच्छा हो कि जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं उनके खिलाफ आप इन्क्वायरी करायें, आप चीफ मिनिस्टर हैं आप इस तरह के करप्शन को कम से कम ऊपर से तो हटायें. . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं चीफ मिनिस्टर कहां हूं ।

श्री बलवानसिंह —

पुलिस का जो विभाग है उसकी चारों तरफ से शिकायतें है। एक जमाना था पुलिस वाले सरकार से डरते थे, लेकिन आज नहीं। आज राहजनी खुले आम है। बल्कि मैं तो कहता हूं आज स्त्रियों की अस्मत भी पुलिस थाने में महफूज नहीं है। बांदा में ऐसा हुआ, फतेहपुर में हुआ, कानपुर में हुआ। ऐसे पुलिस विभाग से क्या जनता की रक्षा हो सकती है? एक समय था जब कोई लड़की रास्ते में जाती थी और स्कूल के लड़के आ जाते थे तो उनको देख कर उसकी हिम्मत बढ़ती थी और उसको किसी गुन्डे का डर नहीं रहता था। लेकिन आज यूनिवर्सिटी और कालेज के लड़कों से दूकानदार और लड़कियों को डर लगता है। अगर यही एथिक्स और मारल यहां का रहा तो आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ला पायेंगे? मुझे याद है १९३२ में में जब गांधी जी बनारस आ रहे थे तो हरिजनों का मामला चल रहा था, बड़ा शोर था कि उनके ऊपर हमला होगा। माननीय जय प्रकाश जी ने कहा कि हम दल लेकर जायेंगे, सरकार से मदद लेंगे। पर आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा कि नहीं मेरे कालेज और यूनिवर्सिटी के लड़के जायेंगे और उनकी इज्जत को बचायेंगे, किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं जो गांधी जी के ऊपर पत्थर फेंक सके। और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आज ऐसे लड़के हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी कह रहे थे समाजवाद के औजार पुराने और गुट्ठल हो गये हैं मेरा कहना है माननीय गोविन्द सहाय जी से इस मशीनरी और ऐडमिनिस्ट्रेशन और आफिशियल क्लास से समाजवाद नहीं आ सकता। इन तमाम इन्स्ट्रूमेंट्स को बदलना पड़ेगा। और समाजवाद के लिये नये औजार लाने होंगे, उसके लिये आपको तालीम देनी होगी। आज हजारों, लाखों, बी० ए०, एम० ए० मारे-मारे फिर रहे हैं। आज सरकार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की नींव डाल रही है, वह क्या इसी शिक्षा प्रणाली पर पड़ सकती है? मेरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मांग है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो परिभाषा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देना चाहती है वह होगी तो हमारा आपके साथ सहयोग होगा। हम भ्रष्टाचारी सरकार के साथ कभी नहीं मिल सकते । जहां तक पी० एस० पी० और सोशलिस्ट्स का सवाल है इस गलत पूंजीवादी ढांचे के अन्दर कोई सोशलिस्ट एम० एल० ए० आप के पास नहीं आयेगा। अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हाई स्कूल तक शिक्षा माफ करें और उसके बाद स्पेसिफिक शिक्षा दो, जो लड़का जिस उद्योग में जाना चाहे। यह क्या जरूरी है कि लड़कों को बी० ए० और एम० ए० कराया जाय। सिर्फ उनको जो जजेज वगैरह में जाना चाहें आर्ट साइड के लिये इजाजत दी जाय बाकी को हाई स्कूल में एक ठोस तालीम दी जाय। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक आपकी तालीम का दायरा बदला नहीं है। नैपोलियन ने भी अपना ढांचा बदला, लेकिन आपका जो ढांचा है वह इम्पीरिलिज्म का है और उसी पर आप चल रहे हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम आपके सहायक होंगे? आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। कहा गया कि समाजवाद लाने के लिये चावल के मिलों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। मिश्रा जी, चावल से आपका समाजवाद आयेगा?

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य कहते हैं जमीन का भी राष्ट्रीयकरण हो गया । श्रीमन्, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। श्रीमन्. मैं आपसे यह कह रहा था कि क्या मन्दिरों के राष्ट्रीयकरण से, जमींदारी एबोलिशन से, चकबन्दी हो जाने से समाजवाद आ जायगा? समाज-

वाद कहने से समाजवाद नहीं आयेगा। अगर आपको वास्तविक समाजवाद लाना है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि हिन्दुस्तान में कोई भी बैंक गरीबों को शोषण करने में कामयाब न हो। तब होगा समाजवाद। देश में अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप एलान कीजिये कि ५० मजदूरों से ज्यादा मजदूर जिस कारखाने में काम करते हैं आप उनका राष्ट्रीयकरण कीजियेगा। ५० मजदूरों तक वाले करखानों को तो छोड़ दीजिये।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या आप उन लोगों के बारे में भी जिनके पास कई कई सौ बीघों के फार्म हैं और वहां ५–५ मजदूर काम करते हैं कुछ सोचेंगे?

श्री बलवान सिंह—

मैं तो आपकी ही बात पर आ रहा हूं। हरिजनों का उत्थान उनसे नहीं होगा। श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी वाले दो महीने के बच्चे सोशलिज्म की बात करते हैं। हम तो सोशलिज्म पार्टी में ३० साल के हो गये हैं। तो मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि छोटे-छोटे उद्योग और छोटी-छोटी दूकानें जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर हजारों मजदूर हैं, उनका आप राष्ट्रीयकरण कीजिये, टेक्सटाइल मिलों का कीजिये, आप शुगर मिल्स का कीजिये, आप बड़े-बड़े लोहे के कारखानों का जो चल रहे हैं, तब ही इस देश के अन्दर समाजवाद आयेगा, वरना हिन्देस्तान के अन्दर १० पूंजीपति इतने बड़े हैं कि ४० फीसदी दौलत को ले जाते हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान में सोशलिज्म नहीं आ सकता है।

एक दिन कानपुर में एक करोड़पति ने मुझे बताया कि यह कांग्रेस हम को क्या तोड़ेगी। वह यह कहते थे कि आज कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता न हमारे पैसे से चुनाव लड़ते हैं। उनके अन्दर दम नहीं है कि वे पूंजीवाद को तोड़ दें। डेमोक्रैसी में आपने समाजवाद का नारा हिन्दुस्तान में लगाया है, पर आप स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ का काम करते हैं जब कि आज स्वतन्त्र पार्टी राजा साहब की पार्टी, देश को दबोचना चाहती है।

श्रीमन्, इन बड़े-बड़े ५० मजदूरों से अधिक के कारखानों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण कीजिये।

खेती के लिये चौधरी चरण सिंह ने बतलाया कि वे रियल क्रांति ले आये हैं। वह कौन-सी क्रांति है? अंग्रेजी जमाने के बनाये हुये कायदे के अनुसार १९५१ में काश्तकार साढ़े ६ करोड़ रुपये जमींदार को देता था और १८ करोड़ रुपया वह किसानों से वसूल करता था और समाजवाद का नारा लगाने वाली इस सरकार ने यह ऐलान किया था कि जब कांग्रेस का राज्य आयेगा तो वह काश्तकार का लगान आधा कर देगी लेकिन चौधरी साहब के राज्य में, जो किसानों के मसीहा हैं, उस किसान से सरकारी खजाने में २६ करोड़ रुपये वसूल किया जा रहा है। यही समाजवाद है?

चकबन्दी की बात आई। हमारा यह कहना है कि जमीन का बटवारा करो। जापान में साढ़े ७ एकड़ से ज्यादा जमीन का कोई मालिक नहीं है। वहां ५ एकड़ की जमीन रखने वाले के पास मोटर कार है। यहां अब भी सैकड़ों एकड़ जमीन के काश्तकार हैं। आप उनसे जमीन लीजिये। लेकर उसे बांटिये। जो खेतिहर मजदूर हैं उनके पास जमीन आये, भूमिहीन लोगों के पास जमीन आये लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि जितना उन्होंने किया है उससे अधिक खेती के कानून में नहीं किया जा सकता।

जहां तक भ्रष्टाचार रोकने का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर कोई खास नुक्ताचीनी नहीं है, लेकिन यह जो विजिलेंस कमेटी बनाई है इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। इसके लिये आप हाई पावर कमेटी बनाइये जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों केन्द्र के लेविल पर और प्रान्त के लेविल पर जिला तथा सेशन जज हों और वह जनता के आदमी, एम० एल० ए० या मिनिस्टर चाहे कोई हों जिसके खिलाफ करप्शन की शिकायत हो उसके ऊपर कार्यवाही करे। विजिलेस कमेटी में डी० आई० जी० तथा आई० ए० एस० रैंक के आदमी बैठ कर करप्शन को

[श्री बलवानसिंह]

दूर कर सकेंगे यह असम्भव है। यह भी इसी तरह से फेल होगी जिस तरह से ऐंटी करप्शन कमेटी फेल हुई थी। जम्हूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है और डेमोक्रैसी में कोई मिनिस्टर करप्ट हो उसे आप रोकिये।

झारखंडे राय जी ने समाजवाद की बात कही, लेकिन उनके समाजवाद में अपोजीशन को कोई स्थान नहीं है, चुनाव को कोई स्थान नहीं है। क्या ऐसी हवा हिन्दुस्तान में भी आने दी जाय ? कहा जाता है कि कोई सोशलिस्टिक गवर्नमेंट दूसरे देश की जमीन छीन नहीं सकती तो क्या आपने हिम्मत के साथ इस बात का ऐलान किया और चीन को आपने कन्डेम किया जिसने हिन्दुस्तान पर हमला किया ? हम उस समाजवाद में विश्वास करते हैं जिसमें जनतन्त्र पनपे। जनतन्त्र वहीं होता है जहाँ समाजवाद होता है और समाजवाद वहीं होता है जहाँ जनतन्त्र होता है। डेमोक्रैसी और सोशलिज्म की लाइन्स को आप बांट नहीं सकते। (व्यवधान) नेगी साहब ने कहा कि जब कम्युनिस्टों पर तकलीफ आती है तो वे हमारे पास आते हैं और जब कांग्रेस तकलीफ में होती है तो वे हमसे अलग हो जाते हैं। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी का गठ-बन्धन और मेल आप लोग ही ज्यादा जान सकते हैं। हम पटेल, देसाई और कृष्णामेनन के समाजवाद को नहीं चाहते। अगर आप समाजवाद चाहते हैं तो जनतन्त्री समाजवाद की परि-भाषा आपको देनी होगी। चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण करने से समाजवाद नहीं आयेगा। सोशलिस्ट पार्टी तो उस दिन आपका स्वागत करेगी जिस दिन आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को तोड़ेंगे।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के ऊपर बहस होते हुये चौथा दिन है। आज कुछ ऐसा मालूम होता है कि बहस कुछ फीकी है। मैं समझता हूं इसका एक कारण यह भी है कि शमा को देखकर जो जोश आता है आज वह नहीं है। आज फायनेन्स मिनिस्टर चूंकि सदन में मौजूद नहीं हैं इसलिये भी शायद माननीय सदस्यों को उतना जोश नहीं आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार फायनेन्शल बिजनेस के दो अंग हैं। एक तो पालिसी स्टेटमेंट और दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जो पहला अंग है वह गवर्नर महोदय के भाषण में प्रतिबिम्बित किया जाता है और दूसरा अंग बजट में होता है। हालांकि गवर्नर महोदय के ऐड्रेस पर डिबेट गुजर चुकी, लेकिन एक पासिंग रिमार्क मैं कर देना चाहता हूं कि जहां तक नीति स्पष्ट करने का ताल्लुक है उसका अंश बहुत कम मात्रा में गवर्नर महोदय के भाषण में था। इसलिये अगर बजट में भी नीति का प्रतिपादन और उसका इम्प्ली-मेंटेशन न हो तो कोई ऐसे अचम्भे की बात नहीं है। मैं इस सदन का लगभग १२ वर्षों से सदस्य हूं। जब मैं पहली बार आया तो बजट पेश हुआ और कहा गया कि यह बजट वेलफेयर स्टेट का बजट है। उसके बाद जब कुछ दिन और गुजरे तो कहा गया कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का बजट है। फिर कुछ जमाना गुजरा और अब हम कहने लगे कि यह डेमोक्रैटिक सोशलिज्म का बजट है। हमें देखना यह है कि बजट के पार्ट्स जो हैं उनमें भी कुछ तब्दीली हुई है या नहीं। इस निगाह से अगर हम देखें तो सरकारी अफसर ज्यों के त्यों हैं जैसे कि आजादी के पहले थे। उसी तरीके से यहां पर सेक्रेटेरियट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अफसर हैं, उनके मातहत भी हैं, तो इस पार्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई। इर्रीगेशन और पावर स्कीम्स तब भी थीं, आज भी हैं। ऐग्रीकल्चर और एजुकेशन डिपार्टमेंट तब भी थे और आज भी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि करीब-करीब सभी डिपार्टमेंट्स ज्यों के त्यों हैं। हालांकि उनका एक्सपेंशन हो गया है और सर्विसेज में भी हो गया है। अब देखना यह है कि पालिसी का हम इन्टरप्रिटेशन करते रहते हैं लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता है। अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय वित्त मन्त्री जी होते तो मैं उनसे पूछता कि कौन-सी ऐसी चीज इस बजट में है जिससे जाहिर होता हो कि जिन नीतियों का हम उल्लेख करते हैं, उनके मुताबिक इस बजट को ढाला गया हो। इस बजट में ऐसी कोई चीज भी नजर नहीं आती, जैसे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र आया। इसमें जहां तक सिद्धांतों का ताल्लुक है, जो सम्पत्ति है उसके बटवारे का भी कुछ जिक्र होना चाहिये था और वह बजट में झलकना चाहिये था, लेकिन लोन्स एन्ड ग्रांट्स इन्डस्ट्रीज को देने के या कुछ लेबर लेजिस्लेशन पास करने के सिवाय ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है जो हमें इस दिशा की ओर ले जाने वाली हो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने अपनाया है और डैमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पंचायत राज, ब्लाक कमेटीज और जिला परिषदों की स्थापना कर दी है। यह डैमोक्रैसी की अलामतें हैं लेकिन विलेज लाइफ को जो आपने टुकड़े-टुकड़े कर दिया है, मैं सोचता हूं कि क्या इससे हम सोशलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा मालूम होता है कि बजट इस तरह की चीज है जैसे माडर्न पीस आफ आर्ट यानी जिस तरह की चीज आप देखना चाहें वैसी चीज इसमें देख लीजिये। इस तरह का यह बजट है। इसकी समता दी जा सकती है कि जैसी आपकी निगाह होगी वही अर्थ निकल आयगा। इसको आप वेलफेयर स्टेट कह दीजिये या इसको सोशलिस्टिक बजट कह दीजिये, लेकिन जाहिरा में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है जिससे यह निकलता हो कि यह बजट हमको सोशलिज्म की ओर ले जाने वाला है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसके ३–४ मोटे-मोटे सिद्धान्त हैं। एक तो यह कि मींस आफ प्रोडक्शन सोशलाइज हो जायं। लेकिन हम देखते हैं कि इधर कोई प्रगति नहीं हो रही है। जब कभी जिक्र आता है तो पब्लिक सेक्टर में केवल दो फैक्टरीज हैं, उनकी ही हम चर्चा करते रहते हैं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी और प्रिसीशन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी। पहली फैक्टरी तो कंज्यूमर्स गुड्स बनाती है, लेकिन दूसरी फक्टरी वाटर मीटर्स और माइक्रोसकोप वगरह बनाती है। इनसे जनता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है कि किस तरह से पलिब्क सेक्टर को बढ़ाया जाय। इसका इसमें कोई इशारा नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि इम्पलायमेंट अपारच्यूनिटीज कितनी हो गई हैं। मैं समझता हूं कि सर्विसेज को छोड़ कर जहाँ तक इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है, इसकी बढ़ोत्तरी लोगों के खुद के प्रयत्न से हो रही है। डिस्पैरिटी को दूर करने की भी कोई चीज इस बजट में नहीं है जिससे हम समझें कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की ओर ले जाने वाला है। डिस्पैरिटी को दूर करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक मुख्य तरीका हो सकता है टैक्सेशन का। जिनके पास ज्यादा सम्पत्ति हो उन पर ज्यादा टैक्स लगे, जिनके पास कम हो, उन पर कम लगे। लेकिन हमारा टक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें मांग कर खाने वाला भी छूटता नहीं है। अगर वह कपड़ा खरीदने जाता है तो उसको सेल्स टैक्स के रूप में टक्स देना पड़ता है। खाने की चीजों पर देना पड़ता है। सोसाइटी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जो गरीब हो, जिसका कोई जरिया आमदनी का न हो, वह टैक्सेशन से छूट जाय। जिसकी आमदनी गांवों में २५३ रुपया पर कैपिटा मानी जाती है, २१ रुपये महीने के हिसाब से पड़ा। पर कैपिटा इनकम में बहुत से कम इनकम वाले शामिल हो गये हैं, बहुत से ज्यादा इनकम वाले शामिल हो गये हैं। जैसे डाक्टर राममनोहर लोहिया का कहना है तीन आने, तो मुमकिन है कि तीन आने के नजदीक ही मिले। तो जो मास्टर है उसकी आमदनी इतनी और उसके पीछे खाने का खर्चा। जिसकी आमदनी का ८० फीसदी खाने पर खर्च होता है, उससे भी टैक्स लेते हैं, इस तरीके से जो गरीब तबका है, उसको छोड़ते नहीं और जो बहुत बड़ी आमदनी वाले हैं उनको छूते नहीं। इस तरह से भी किसी तरह से वह इशारा, डिस्पैरिटीज को रिमूव करने के लिये, इस बजट में देखने को मिलता नहीं। मैं शुक्रगुजार हूंगा अगर वित्त मन्त्री उन चीजों की तरफ इशारा करें जिससे वह डिस्पेरिटीज दूर होती हों।

हमारे एम्प्लायमेंट की यह हालत है कि अभी कुछ दिन हुये अखबार में एक चीज छपी थी जो कि लखनऊ में रिक्शा चलाने वाले लोगों के बारे में है। लखनऊ में १५ हजार रिक्शा चलाने वाले हैं। उनसे पता चला कि ६ पोस्ट-ग्रेजुएट रिक्शा चलाने वाले हैं, ३० ग्रेजुएट हैं,

[श्री वीरसेन]

९७ इन्टरमीडियेट हैं और ३७० हाई स्कूल हैं। हायर एजूकेशन लेने के बाद भी आजकल रोजगार मिलता नहीं। यह हालत हमारे एम्प्लायमेंट की है। अगर आजकल के ग्रेजुएट की मार्केट वैल्यु लगायी जाय तो एक रिक्शे से ज्यादा नहीं है। पांच, साढ़े पांच सौ में एक रिक्शा मिलता है। उससे दो रुपये रोज की आमदनी होती है। अगर ग्रेजुएट बाजार में जाता है तो उसको ६० रुपये महीने से ज्यादा आमदनी नहीं होती है। साढ़े पांच सौ रुपये से कम एक ग्रेएजुट निकलता है। अगर देश को सोशलिस्टिक सोसाइटी की तरफ ले जाना है तो जरूरत इस बात की है कि दो तरफ हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर है और दूसरे इन्डस्ट्री। जब तक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता।

एग्रीकल्चर की क्या हालत है? पानी का इन्तजाम जितना किया जा सकता है किया जाता है। जमीन तो जितनी है, है। वह तो बढ़ नहीं सकती है। खाद का इन्तजाम होता है और लेबर है। लेकिन फिर भी पैदावार नहीं बढ़ती है। क्या कारण है? सब चीजें मुहैया होते हुये भी क्यों नहीं पैदावार बढ़ती है? सभी सदस्य इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि पानी का इन्तजाम होना चाहिये, खाद का और इन्तजाम होना चाहिये। मुझे एक चीज की और बड़ी अजीब शिकायत है कि खाद को बांटने के लिये कोअर्शन का इस्तेमाल होता है। जबर्दस्ती की जाती है कि तुमको खाद लेनी पड़ेगी और उसका नतीजा क्या होता है कि खाद कागज पर ही बटकर रह जाती है या खरीदी जाती है तो दूसरे सोर्सेज से निकल कर चली जाती है, तो यह जो जबर्दस्ती का एलीमेंट है यह टोटैलिटेरियन मेंटलिटी जाहिर करता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रचार क्यों नहीं होता कि लोग अपने आप खाद लें। आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़ी-बड़ी रिसर्च की लेबोरेटरीज है। लेकिन उनकी रिसर्च का परिणाम उन लेबोरेटरीज की चहार-दीवारी के बाहर नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं प्रचार का साधन ऐसा अपनाया जाता है कि हर किसान को पता चले कि क्या-क्या नयी चीजें निकली हैं और वह खुद-बखुद उन चीजों को लेने आवें?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो लैंड ला बनाया है उसमें असलियत में जो लेबर करने वाला है उसको कोई स्थान नहीं दिया है। वह मजदूरी करेगा लेकिन उसको पेट भर खाना नहीं मिलेगा और जिसके नाम से जमीन लिखी हुई है, जिसके नाम से हल है, उसके पास सारी चीजें चली जायंगी। वह भी कैपिटलिस्टक टेंडेंसी को जाहिर करने वाला है कि जो असली मेहनत करने वाला है उसको उसकी मेहनत का फल न मिलकर दूसरे को मिले। जब तक जमीन का इस तरह एक्सप्लायटेशन बन्द नहीं होगा तब तक आप प्रोडक्शन बढ़ने की किसी तरह उम्मीद नहीं कर सकते। जापान में बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स हैं। यहां पर बड़ा नारा लगाया जाता है कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं, उनमें ज्यादा पैदावार नहीं हो सकती। लेकिन जापान में सात हेक्टर से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है और पौने तीन एकड़ वहां का ऐवरेज एकरेज है। लेकिन हिन्दुस्तान ही नहीं यूरोप के देशों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पैदावार जापान में होती है। वह इसलिये होती है कि खुद-बखुद मेहमत करने वाला पूरे मन से मेहनत करता है, पूरे जोर से मेहनत करता है। उसे इस बात का इन्सेन्टिव है कि जो पैदा होगा वह उसका होगा। लेकिन यहां मजदूर आदमी क्यों उतनी मेहनत करे? तो तब तक लैंड ला में तब्दीली नहीं की जायगी और जो आदमी एक्चुअल टिलर है, जो ऐक्चुअली मेहनत करता है उसको जब तक जमीन नहीं दी जायगी तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। जो सीलिंग्स का ला बनाया गया वह भी ऐसा बनाया गया कि उसमें ऐसे लूपहोल्स छोड़ दिये गये कि जिससे कोई ज्यादा जमीन नहीं निकली। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि लैंड ला को बदले बिना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्डस्ट्री के बारे में भी कुछ बोलना चाहता था। लेकिन लाल बत्ती बहुत देर से जल रही है, इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन इस समय पर आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार कर रहा है। जैसा माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने प्रकट किया यह आय-व्ययक घाटे का है और घाटे के बजट के बारे में अक्सर यह धारणा बनायी जाती है कि जो स्टेट बहुत प्रोग्रेसिव होती है वह घाटे का बजट पेश करती है। किन्तु यह जितना हमारा दौर रहा है १४–१५ वर्ष का उसमें जब हम देखते हैं कि हम जिस तरफ प्रगति किये हैं, किस चीज में हम उन्नति की तरफ चले हैं तो हम पाते हैं कि प्रगति किस तरह से होनी चाहिये, उस तरह से नहीं हुई है, जो उन्नति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है बल्कि चीजों में एक स्थायित्व है और बहुत-सी जगहों पर डिटेरिओरेशन है, उसमें कमी ही कमी नजर आती है। वैसे घाटे के बजट के दुष्परिणाम ही ज्यादा निकलते हैं। कीमतें बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं जिसके कारण जनता त्राहि-त्राहि कर रही है किन्तु फिर भी हमारी सरकार घाटे का बजट पेश कर रही है। जन-साधारण को कोई मनोबल न देकर उसके मनोबल को हीन करने का प्रयत्न है जिससे यह जो लोकतन्त्रिक सरकार का हम स्वप्न देख रहे हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें वह जनता का मनोबल सम्भल नहीं सकता है। तब उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिये कौन-सी बातें रह जाती हैं जिनको लेकर हम दावा करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हैं?

दूसरा चर्चा हुआ समाजवाद का। समाजवाद में हर आदमी की अलग-अलग परिभाषा होती है और उसी प्रकार से वह उसके लिये कहता है। लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पीछे कोई अन्धा बैठकर उस समाजवाद को देख रहा है और उसके अनुसार ही वह अनुमान लेकर बात करता है। वह कोई एकदम बात देख नहीं पाता है। उसी अनुमान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके भी पीछे एक और अन्धा बैठा हुआ है वह भी उस समाजवाद की अपने ढंग से ही परिभाषा करता है। फिर उसके पीछे भी एक और अन्धा बैठा हुआ है वह भी उस समाजवाद की अपने ढंग पर ही परिभाषा करता है। इस तरह से कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको लेकर यह कहा जा सके कि उस गोल को प्राप्त करने के लिये कोई डेफिनिट स्टेप उठाया जा रहा है या किसी पब्लिक सेक्टर के कार्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की कोई योजना भी इस बजट में प्रस्तुत नहीं की गई है जब कि सरकार की ओर से सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी को लाने का नारा लगाया जाता है और कहा जाता है कि हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

डेमोक्रैसी का भी यहां पर बहुत चर्चा हुआ। स्वयं वित्त मन्त्री जी ने कहा इस बजट भाषण में और कई बार कहा जा चुका है कि हम लोग लोकतन्त्रीय समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकतन्त्र की परिभाषा भी इसी तरह की उन लोगों ने की थी। उस समय जिन लोगों ने शासन भार सम्भाला था तो वे देश में त्यागी कहे जाते थे और उनके त्याग की गाथा बराबर कही जाती है और यह सत्य बात है लेकिन देश की अजादी के बाद जिन आदमियों ने शासन को सम्भाला है वे पहले त्यागी जरूर थे लेकिन शासन हाथ में लेने के बाद उनके अन्दर वह त्याग की भावना की झलक नजर नहीं आयी। क्या कोई मन्त्री महोदय इस बात को कह सकते हैं कि शासन भार सम्भालने के बाद उन्होंने अपना त्याग कितना बढ़ाया है जिससे हमारा समाज उन्नतिशील प्रगति पर चल सके और उनके आदर्श को लेकर देश उन्नतिशील प्रगति पर चल सके? जिस देश में सब से पहले डेमोक्रेसी चली है उन देशों के हर एक अध्यक्षों ने वहां की जनता के सामने कुछ विशेष उदाहरण उपस्थित किये हैं। जार्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के अन्दर २ बार पद ग्रहण किया, लेकिन तीसरी बार उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। अब्राहम लिंकन ने जनता को चेतावनी दी और कहा कि—

"This Government cannot endeavour permanently half free and half slave."

इस प्रकार का उदाहरण अब्राहम लिंकन ने जनता के सामने रखा और उस देश के अन्दर एक भावना पैदा की। अपने ही देशवासियों के खिलाफ युद्ध करते हैं और उस युद्ध के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

उनका बलिदान होता है । आज उस तरह के कितने भी संजीदगी से भरे हुये लोग हैं वही देश में अग्रणी सज्जन माने जाते हैं जो अपने देश में इन बातों को लेकर एक प्रगतिशील भावना को दृढ़ करते हैं । वह इस बात को कह सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाया और दृढ़ भावनाओं को लेकर बढ़ाया । शासन में आने से पूर्व और शासन में आने के बाद भी उसी तरह की उनकी भावना रही । वही उस भावना से तरक्की करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं । देश लोकतंत्र-मात्र कहने से आगे नहीं बढ़ सकता है । लोकतंत्र की बुनियादों को रखने के लिये उन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा और उन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा । अगर इस तरह के आदर्श पालन करने में आप असमर्थ हैं तो देश का आनेवाला इतिहास सब को इस बात की याद दिलायेगा कि हम क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि उसी के अनुसार कदम बढ़ाने की कोशिश करें । जो आदर्श लोकतंत्रीय भावनाओं को प्रगति देने के आधार मान गये हैं उन आदर्शों को लेकर चलें तो तभी दृढ़ कदम उठने में कुछ देश का भविष्य सुधर सकता है । इस तरह की उसमें स्थिति पैदा नहीं होगी जिस तरह की स्थिति आज पैदा हो गई है ।

इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ अन्य राजकीय बातों पर भी प्रकाश डाला और कुछ विभागों का भी जिक्र किया । मैं उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही लेता हूं । यहां पास ही एक सड़क है माल से मलिहाबाद की । उस पर अगर कोई भी सवारी से जाय तो उस आधे घंटे में ही उसकी हालत खराब हो जायगी । उस पर सामान पड़ा रहता है लेकिन महीनों तक कोई काम नहीं होता । पहले वह सड़क जिला परिषद् की थी, लेकिन अब उसे पी० डब्लू० डी० ने ले ली है और अब भी उस की देखभाल नहीं होती । इसी प्रकार शमशाबाद स फतेहाबाद सड़क की भी हालत है । यह लिंकिंग रोड है और दोनों तरफ मंडियां हैं, लेकिन बजट में उसका प्राविधान होने के बाद भी उस पर काम नहीं हो पाया है । इससे क्या प्रगति हो सकती है ?

शिक्षा के लिये, हमारे माननीय मंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ अपनी नीतियों की घोषणा करते हैं लेकिन उसकी नीति में हर समय परिवर्तन होता रहता है । हमारे एक पूर्व आचार्य ने कहा था और मैं समझता हूं कि वह बात सही है कि यहां की शिक्षा नीति यहां के शिक्षा मिनिस्टर के विहम पर चला करती है । आप देखें कि पहले क्या प्रगति थी और अब क्या प्रगति है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से उपनेता की हैसियत से बोल रहा हूं । म समझता हूं कि मुझे कुछ अधिक समय मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

५ मिनट और हैं, आप बोलिए ।

श्री खेमचन्द---

हमें देखना चाहिये कि हमारे शिक्षकों का मेंटल स्ट्रैटा क्या है । अगर शिक्षा मंत्री जी अपनी शिक्षा नीति बदलते हैं, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा । हमें तो यह देखना पड़ेगा कि शिक्षा ठीक प्रकार से हो । हाई स्कूल तक और इंटर-मीडिएट तक की शिक्षा सरकार को देखनी है । उसके लिए जिम्मेदारी हमारी है । आज आप देखें कि मैट्रिक पास लड़का कितनी हिन्दी और अंग्रेजी सही प्रकार से लिख सकता है अगर वह सही भाषा नहीं लिख सकता तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है । हर विद्यालय में आपके आदेश जाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि वहां के प्रधानाचार्य आजकल शेड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों के साथ पक्षपात करते हैं । सन् १९४६-४७ में मुझे हंस कर दाखिला मिला था लेकिन आज तक वे इन विद्यार्थियों को टालते हैं । उनको स्कालरशिप सरकार देती है और इस प्रकार सरकार उनकी गार्जियन है । अगर उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत होती है । जिस महा-

पुरुष का नाम लेकर आप उनकी दुहाई देते हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस नारे को हमने १९१७ में लगाया, वही कांग्रेस सरकार शासन में आते ही उसे भूल जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही इस प्रकार की धारणा है कि वहां शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती। सरकार उनको फीस दे रही है, स्कालरशिप दे रही है, लेकिन फिर भी प्रधानाचार्य उसको ले नहीं रहे हैं। उस सहायता को दे नहीं रहे हैं आपकी आखों के नीचे और आप कहते हैं कि हम चौकीदार होकर कार्य कर रहे हैं। यह कौन-सा दावा है ?

यहां पर पुलिस प्रशासन की बात होती है। मैं मानता हूं कि सरकार अपनी प्रशासकीय भावनाओं को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, लेकिन अगर झूठी प्रतिष्ठा के आधार पर हम न्याय का गला घोंटते हैं तो हमारी असत्यता का परदाफाश होता है और जिन आदर्शों को लेकर हम चलते हैं तो पुलिस जो प्रहरी है जान-माल की अगर वह ही अन्याय करती है, गलत रिपोर्ट लिखती है और हम दावा करते हैं कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि यह कौन-सी प्रगति है और क्या प्रगति है जो १५ साल में आपने प्राप्त की है जहां हर तरफ संकट है, हर तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है ? यह क्या पालिसी है कि कबूतर ने बिल्ली को देखा तो आखें बन्द कर लीं कि अब सुरक्षित हो गया, तो यह पालिसी काम नहीं देगी। इसी के कारण आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, भेदभाव बढ़ रहा है और हम समाजवाद का स्वप्न देखते हुए आंखें बन्द किये हुए बैठे हैं।

आज महंगाई बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, किसान अपने अलग दुखों को लेकर रो रहा है, आपका नियंत्रण फेल हो रहा है। कंट्रोल इसलिए सरकार करती है कि शायद जनता को उससे लाभ हो, लेकिन आज लाभ होता है पूंजीपति को जो होर्ड करता है। मुख्यमंत्री ने परसों दावा किया कि जो इस प्रकार होर्ड करता है वह देश का गद्दार है, लेकिन आप युगों से पापी-पापी चिल्लाते हैं तो क्या पाप होना बन्द हो गया ? अगर खाद्य मंत्री घोषणा करते कि अगर कोई होर्ड करता है तो उसको सरेआम सजा दी जायगी और उसकी पब्लिसिटी जनता के सामने की जाती तो ज्यादा उचित होता और उसका कुछ प्रभाव जनता पर पड़ता, लेकिन महज गद्दार कह देने से आप सुबकदोश नहीं हो सकते हैं।

प्रशासन का जहां तक सवाल है, आदरणीय सदन के सदस्य जन-प्रतिनिधि आपके सामने तथ्य पेश करते हैं और शासन के संचालक जो सर्वोच्च माने जाते हैं वह कहते हैं कि हम को लिख कर दीजिये---यानी उन्हें पार्टी बनाते हैं। माननीय सदस्यों को आप कौन-सा दर्जा देना चाहते हैं ? कैसे वह सही बात रखने में समर्थ होंगे और कैसे जनता की भावना को आपके सामने रख सकेंगे ? अगर हम प्रगतिवाद का नारा लेकर चलते हैं, समाजवाद की ओर बढ़ते हैं और लोकतंत्र को ठीक तरह से चलाना चाहता हैं तो हमें बुद्धिवाद का सहारा लेना होगा और यह भी सोचना होगा कि "चैरिटी बिगिंस ऐट होम"। हमारे जो अधिकारी जिन पर लांछन आता है उनके प्रति हमारी सी० आई० डी० सजग होनी चाहिए न कि जन प्रतिनिधियों की तरफ। आप सुरक्षा कानून का सहारा लेकर उनको गिरफ्तार करते हैं। जो आपकी खामियों को आपके सामने लाते हैं। कबीर का कहना था "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय---बिन पानी सज्जी बिना मिर्मल करत सुहाय।" जो आदमी आपकी खामियों को निकाल कर आपके कर्त्तव्य मार्ग की तरफ आपको बढ़ाना चाहता है उसी को आप गिरफ्तार करते हैं। कुंभकरण तो ६ महीना सोया रहता था, यह सरकार ८–८ महीने सोयी रहती है और ८–८ महीने तक एक विषय पर निर्णय नहीं होता है। जो सच्ची बात कहने के आदि होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, यह कहां का न्याय है, कहां का आदर्श है ? इस तरीके से सरकार कभी भी आगे नहीं चल सकती। आगे आने वाली पीढ़ियां किस आदर के साथ हमको देखेंगी ? इतिहास इंसान को भी कभी माफ नहीं करता है, पिछले इतिहास से हमको सबक लेना चाहिये। आज जनता चेत रही है और सावधान होती जा रही है और वह अपकी एक-एक बात को देख रही है।

[श्री खेमचन्द]

हमारे मिश्रा जी चाहे जितने नारे लगायें कि १५–२० साल उनको कोई हटा नहीं सकता, मगर जनता का जिस दिन दमन चक्र चलेगा, जिस दिन अपोजीशन एक होकर आपका मुकाबला करेगा, आप एक भी दिन टिक नहीं पायेंगे। आज जनतांत्रिक भावनाओं की जरूरत है। जनता के मनोबल के साथ-साथ स्वतंत्रता की भावनायें होनी चाहिये। इस देश की मिट्टी का असर है यह कि यहां की जनता ने त्याग और बलिदान सीखा है। आपको अपने देश के प्रधान मंत्री से कुछ सबक सीखना चाहिये। उन जैसे आदमी जब तक देश में हैं, यह देश जीवित है। आप पंडित नेहरू के नाम पर ही वोट मांगते हैं, गांधी जी के नाम पर वोट नहीं मांगते। नेहरू जी की तस्वीर छाप-छाप कर आप वोट मांगते हैं। उनकी शक्ल देखकर जनता आपको वोट देती है। आपके आदर्श और आपकी भावनाओं का जनता पर कोई असर नहीं होता। इस देश के मनुष्यों ने त्याग और बलिदान की कद्र करना सीखा है। आज तक जनता महात्मा गांधी को नहीं भूली है, बाबा साहब को नहीं भूली है, स्वतंत्रता के अन्य नेताओं और सेनानियों को नहीं भूली है। इन नेताओं के यशगान के आधार पर जब तक आप टिक सकते हैं टिके रहिये, लेकिन जब जनता आपसे पूछेगी, आप एक मिनट नहीं टिक सकेंगे। इसलिये अगर लोकतंत्र की ठीक प्रकार से रक्षा करनी है, आप सही मानी में समाजवाद को लाना चाहते हैं, अपने देश और प्रदेश की उन्नति चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी के साथ कदम उठाना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी और आप प्रदेश की उन्नति कर सकेंगे। हम कतई यह नहीं चाहते कि इस आदरणीय सदन को प्रचार का कोई साधन बनाया जाय। हम चाहते हैं कि यह सदन निर्णयात्मक रूप से, ईमानदारी के साथ प्रदेश के भाग्य का निर्णय करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी भाषण में मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

श्रीमती विनयलक्ष्मी 'सुमन' (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के सामान्य वाद-विवाद पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने नाना प्रकार की कठिनाइयों के बीच में ऐसा अच्छा बजट पेश किया है जिसमें समाजवाद का संकेत है। मैं यह भी चाहती हूं कि जब आपने छोटे कर्मचारियों को ५ रुपये की केवल बढ़ोत्तरी दी है, तब ४५० से ८५० रुपये का वेतन पाने वालों के लिये एक दम से ४० रुपया की बढ़ोत्तरी देने की आवश्यकता नहीं थी। मेरी यह शिकायत है इस बजट में। इस प्रकार से राजे-महाराजे और ताल्लुकेदार भी कह सकते हैं कि हमें भी गरीबों का शोषण करने दिया जाय, क्योंकि हम संख्या में कम हैं, यह ठीक नहीं है। यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जबकि जनता अकाल की छाया में घिरी जा रही है और हर मां-बाप अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिये यह सोच रहा है कि घर-गृहस्थी को कैसे चलाया जाय, ऐसे समय में जनता का बजट वही कहा जा सकता है जो कि जनता की कठिनाइयों को दूर करने वाला हो।

सरकार चाहती है कि अनाज की पैदावार ज्यादा हो, इसलिये सरकार ने तीसरी योजना में इसके लिये अधिक रुपया रखा है। पहली और दूसरी योजनाओं में भी काफी रुपया रखा था। लेकिन रुपया रखने मात्र से ही हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती है क्योंकि यह रुपया ऐसे कर्मचारियों के हाथ में दिया जाता है जो खेती की पैदावार बढ़ाना जानते ही नहीं। वह लोग अपने पदोन्नति की चिंता में ही लगे रहते और जनता से पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। जैसे कि बी० डी० ओ० के पास कृत्रिम खाद रहती है जो किसान को देने के लिये होती है। किसान

की तकावी दी जाती है और खाद भी तकावी ऋण में शामिल की जाती है। किसान खाद चुपके से अपने घर में रख लेता है और अगर १० रुपये मन के हिसाब से खाद उसे मिला है तो वह उसे २ रुपये मन में बेचता है। क्योंकि उसके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, इसलिये वह इस खाद को डालता नहीं है। इस प्रकार से उलटा काला बाजार चलता है। जिस प्रकार से हमारे बी० डी० ओ० खाद देते हैं उसी प्रकार से पैदावार के रेकार्ड बनाते हैं। परिणाम-स्वरूप पैदावार बढ़ी हुई दिखाई जाती है। ऐसे ही रेकार्डों के आधार पर हमारी योजनायें बनती हैं और इसलिये वे सफल नहीं होती हैं।

श्रीमन्, पूर्वी जिलों का सौभाग्य है कि उनके यहां एक ऐसा प्रतिनिधि निकला है जिसने उस भू-भाग की गिरी हुई दशा को प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार के सामने लोक सभा में रखा है। अब पूर्वी जिलों के लिये द्रुतगामी विकास की योजना बनाई जा रही है। पहाड़ी जिलों की हालत पूर्वी जिलों से अच्छी नहीं है, पहाड़ी जिले भी बहुत दिनों से ऐसी मांग करते चले आ रहे हैं। हमारी प्रार्थना रही है कि हमारे यहां के लिये भी वहां की भौगौलिक परि-स्थिति व गिरी हुई आर्थिक अवस्था को देखते हुए सरकार और योजना आयोग विशेष योजना बनाने पर विचार करे। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी योजना पहाड़ी जिलों के लिये अभी तक नहीं बनी है। जिस प्रकार हिमांचल प्रदेश समृद्धिशाली हो सकता है उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के पहाड़ी जिले भी हो सकते हैं। वहां भी सेब, नाशपाती और बहुत से दूसरे फल उगाये जा सकते हैं, मेवे पैदा किये जा सकते हैं, और हजारों एकड़ भूमि में केसर की क्यारियां लग सकती हैं। लेकिन वहां जोर दिया जाता है गेहूं, धान और कोदो और सांवां की खेती पर। हमारे किसान उसमें दिन-रात काम करते हैं लेकिन साल भर की मेहनत के बाद भी उन्हें तीन महीने के लिये भी पेटभर भोजन नहीं मिलता है। यह बड़े दुख की बात है। बागवानी के बाद अगर कोई उद्योग हमारे यहां पनप सकता है तो वह है पर्यटन। पर्यटन उद्योग तभी पनप सकता है जबकि तीर्थ-स्थानों, दर्शनीय स्थानों आदि को जो रास्ते जाते हैं उन पर परिवहन की व्यवस्था अच्छी की जाय। साथ ही उनके रहने-सहने और खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। यह मांग भी हमारी बहुत दिनों से है। इसके माने यह हुये कि पर्यटन का काम अगर अच्छी तरह से कोई चला सकता है तो वन विभाग ही चला सकता है। ऐसी व्यवस्था से पर्यटन उद्योग अच्छी तरह से उन्नति कर सकता है। मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि पर्यटन को वन-विभाग के मातहत रखने के मेरे सुझाव पर गौर किया जाय।

शिक्षा के बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। मैं आभारी हूं कि सरकार ने हमारे यहां बहुत से प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। लेकिन उनमें अध्यापक और अध्यापिकायें जो मैदानों से जाती हैं वे अपनी बदली के ही चक्कर में रहती हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। मैं चाहती हूं कि हमारे यहां के लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे वहां पढ़ा सकें, तभी हमारी शिक्षा का काम ठीक से चल सकता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे ही यहां हो। बहुत से स्कूल हमारे यहां जनता ने अपनी आवश्यकता अनुसार खोले हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार उन्हें अपने हाथ में ले। अपने दूसरे स्कूल न खोलकर पहले उन्हें ले। उनमें से कुछ स्कूलों के नाम ये हैं, घट्टी घंडियाल, कैलाशबांगर, क्चीली पालकवोट में पोखरी। पहले सरकार इन स्कूलों की दशा सुधारे, तब और अपने स्कूल खोले। इससे हमारे यहां शिक्षा में काफी प्रगति हो सकती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे पहाड़ी जिलों में हमारा टेहरी-गढ़वाल सभी जिलों में पिछड़ा हुआ है। वहां शिक्षा के प्रसार और पर्यटन के विस्तार के लिये जितना भी अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाय उतना ही अच्छा है। जो सुझाव मैंने दिये हैं मुझे विश्वास है कि सरकार उन पर अति शीघ्रता और गंभीरता के साथ कार्य करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करेगी। इस प्रकार दुबारा मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी।

एक बात मैं भूल ही गयी। हमारे यहां पानी की अब भी कमी है। उसके लिये मेरा सुझाव है कि विकास के कार्यों के अन्दर पीने के पानी की समस्या को सबसे पहले हल किया जाय। इसके अतिरिक्त, पानी की डिग्गियों के समीप जलाशय भी बनाये जायं जिनमें मछली पाली जायं और उनके पानी से जमीन की सिंचाई हो सके।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में गरीब लोग बहुत बसते हैं। झांसी के पाठा एरिया में, बांदा में कोरी, कोल और चमार बहुत रहते हैं। उन लोगों के उत्थान के लिये इस बजट में कुछ नहीं रखा हुआ है, उनके लिये किसी उद्योग धंधे का जिक्र नहीं है। बरगद के इलाके में बालू बहुत पाई जाती है जिससे शीशे का कारखाना खोला जा सकता है और उससे इन कोलों का बहुत उपकार हो सकता है। लेकिन उद्योग मंत्रीजी कहते हैं कि बरगद का बालू अच्छा नहीं है। वह झूठ बोलते हैं। वहां का बालू बहुत अच्छा होता है जो इलाहाबाद और बम्बई तक जाता है। अगर उन लोगों को आप सुखी बनाना चाहते हैं तो वहां ग्लास फैक्ट्री की स्थापना कीजिये। इसी तरह मानिकपुर के पास बांस बहुत अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। वहां कोई कागज की फैक्ट्री लगा दी जाय तो उन लोगों की बहुत भलाई हो सकती है। इसी प्रकार से कालिंजर में बांस से कागज बनाने का कारखाना लगाया जा सकता है। बबेरू और नरेनू तथा बांदा में धान की पैदावार बहुत होती है। अतर्रा धान की बहुत बड़ी मंडी है। नहरों का वहां जाल बिछा हुआ है। वहां पयाल बेकार चला जाता है, इसलिये पयाल से कागज बनाने वाला कारखाना अतर्रा में खोला जा सकता है। किसान लोग उसको बेंचकर लगान दे सकते हैं, इससे उनको बहुत बड़ा सहारा हो जायगा।

कोरी और चमार दो बहुत बड़ी आदिवासी जातियां हैं। कोरियों के पास मुसलमानों से पहले कपड़ा बनाने का व्यवसाय था जो मुसलमानों ने छीन लिया। इसी तरह से चर्मकारों का चमड़े का व्यवसाय मुसलमानों ने छीन लिया और कोई व्यवसाय उन लोगों ने अपनाया नहीं। इसलिये वे गरीब हो गये और आजकल ज्यादातर लोग भूमिहीन हैं। जमींदारी खत्म करते समय सरकार ने वायदा किया था कि तुमको भूमि देंगे लेकिन नहीं दी। ५ वर्ष तक कांग्रेस के पीछे-पीछे घूमे। फिर सोशलिस्ट पार्टी ने उनको आश्वासन दिलाया और ४–४, ५–५ हजार की तादाद में कलेक्टर के बंगले पर गये, लेकिन फिर भी उनका काम न निकला। अब पांच वर्ष के बाद भूमिहीन गरीब चमारों ने कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाया है। कम्युनिस्टों ने उनसे कहा है कि जब चीन आयेगा तब तुम्हें भूमि मिलेगी। और अब जितने भूमिहीन हैं वे उन कम्युनिस्टों के साथ हैं जो उनको भड़काते रहते हैं, इसलिये सरकार यदि उचित समझे तो सीलिंग के बाद बढ़ती जमीन को उन कोलों, कोरियों और चमारों को दे। मुझे अनुभव है कि उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार में बहुत से आदमी हैं जिन्होंने अपने से संबंधित लोगों को भूमिहीन दिखला कर जमीन दिलायी है और उनको नहीं मिली है। इसलिये सरकार को चाहिये कि कोई ऐसा प्रतिबंध लगा दे और कलेक्टर को हिदायत कर दे कि जो जमीन सीलिंग से बच गयी है और परती है वह केवल इन तीन कौमों को ही दी जाय (कोल, कोरी और चमार), दूसरों को न दी जाय।

बांदा में धान की पैदावार अधिक है लेकिन वहां सड़कों का बहुत अभाव है जिससे किसान अपनी पैदावार किसी मंडी तक आसानी से नहीं ले जा सकता। जब नहर चलती है तो सड़कें पानी से भर जाती हैं। अगर सरकार रूरल मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत यहां की सड़कों को ले ले तो इस जिले की बहुत बड़ी कमी आवागमन की पूरी हो सकती है। एक सड़क तो है बांदा–ओरन, एक है कमासिन-अतर्रा और एक है चौसड़-बघेलेवारी। अगर सरकार इन सड़कों को थोड़ा-थोड़ा करके भी बना दे तो बांदा जिले का विशेष विकास हो सकता है।

महंगाई चरम सीमा को पहुंच गयी है, जगह-जगह से दूकानें लूटने की खबरें भी आती हैं, इसलिये सरकार को चाहिये कि इस संबंध में कोई समुचित प्रबंध करे जिससे कोई नया विप्लव न खड़ा हो जाय। पूज्य बापू ने २ सितम्बर, १९४७ को ६ बजे शाम को एक जगह कहा था कि खाद्य पदार्थों पर कंट्रोल नहीं होना चाहिये। उनकी इस आज्ञा का पालन आदरणीय किदवाई जी ने तो किया और दूसरे जितने कांग्रेसी हैं उन्होंने नहीं किया। अभी आप महात्मा जी के चित्र की तरफ देखें, खाद्यान्न की कमी के कारण और आप लोगों के बजट को देखकर वे इतने दुखी हैं कि उन्होंने अपना सर नीचा कर लिया है।

बांदा में पुलों का बहुत अभाव है। घूरागढ़ के सामने कोई पुल न होने के कारण हमीरपुर से झांसी का संबंध नहीं हो पाता है जिससे बड़ी परेशानी होती है। चिला में यमुना का पुल हो जाय तो वह लखनऊ इलाहाबाद को भी जोड़ता है। उस पुल का एस्टीमेट पहले १ करोड़ ४५ लाख रुपये का बना भी था। सरकार को चाहिये कि उस पुल को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से बनवा दे। इस पुल के बन जाने पर १० साल के अन्दर ही इसकी आमदनी से पूरी लागत अदा हो सकती है। सरकार को चाहिये कि वह इसकी इनक्वायरी करके कोई रास्ता निकाले।

अंग्रेजों के समय में मैंने देखा है कि हर तहसील में खाद्य पदार्थों की निर्ख लिस्ट तैयार होती थी और उसी के मुताबिक हर दूकानदार अपना गल्ला बेचता था, लेकिन इस प्रथा को हमारी सरकार ने तोड़ दिया ताकि भ्रटाचार बढ़े। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। हमारे जिले में थोड़े दिन हुये, एक जिलाधीश आर० एन० आजाद आये थे। मैंने उनके बारे में मंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी, मैंने ऐसा भ्रष्ट आदमी अपनी ८५ साल की उम्र में कभी ऐसे पद पर नहीं देखा जो कि भ्रष्टाचार करने और रिश्वत लेने में एक्सपर्ट है। हमारे यहां कालिंजर के किले में अंग्रेजों के जमाने का एक डिनर सेट था जो कि वह चलते वक्त वहां से लेकर चम्पत हो गये। जब वहां पर चपरासी ने कहा कि इसको आप कैसे लिये जाते हैं, मुझे जवाब देना होगा तो उन्होंने नायब तहसीलदार को बुलवा कर लिखवा दिया कि वह टूट गया और बेकार हो गया था। मैंने इसके बारे में भ्रष्टाचार निवारण समिति को भी लिखा है और कहा है कि इसकी जांच की जाय और ऐसे बेईमान कलक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं आशा करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को कभी कलेक्टर नहीं बनाया जायगा।

(श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगाप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो लोग आपके सामने बैठते हैं उन्हीं को आप समय देते हैं, इसका क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जगदीशशरण अग्रवाल अभी तक नहीं बोले हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं भी अभी नहीं बोला हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आपकी यह बुलवाने की नीति सही नहीं है, सोशलिस्ट दल का अभी कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष—

जितनी आप की संख्या है उस हिसाब से बोल चुके हैं, बाकी जो हैं उनका अभी नम्बर आयेगा।

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने जो कहा कि हमारे दल की जितनी गिनती है उस हिसाब से आप बुलवा चुके हैं तो आप या तो हमें पहले वह हिसाब समझा दें या श्री नत्था राम जी को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हिसाब बाद में आप आकर समझ लें जब समय खत्म हो जाय। जो नहीं बोले हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

सरकारी पार्टी वाले ही बुलवाये जा रहे हैं, हमारी पार्टी का कोई नहीं बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री जगदीशशरण अग्रवाल को बुलाया है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से जानना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार एस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमैन होने के नाते क्या आप मुझे भी २० मिनट का समय देने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये, ठीक है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

श्रीमन्, मैं आपका दोनों ही बातों के लिये आभारी हूं । मैं समझता हूं कि किसी राज्य का बजट उसकी साल भर की आय और व्यय का चिट्ठा तो होता ही है लेकिन वह एक दर्पण भी होता है जिसमें राज्य की नीतियों का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है । मैं श्रावण वाली दृष्टि तो नहीं रखता कि मुझे इसमें सब कुछ बुरा ही दीखता हो, मैं मानता हूं कि इस बजट में सक्रिय कदम प्रदेश की समृद्धि को बढ़ाने के लिये उठाये गये हैं । यह ठीक है कि आज हमारे यहां खाद्य समस्या है जिस पर कि यहां परसों दिन भर बहस हुई । इस समस्या के समाधान तात्कालिक और लांग रेंज २ प्रकार के हो सकते हैं । लांग रेंज समाधान के लिये हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा और उसके लिये सिंचाई साधनों का बढ़ाना जरूरी है । इस प्रस्तुत बजट में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सब से अधिक प्राथमिकता दी गई है, माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स पर बल दिया गया है तथा पावर को बढ़ाने के लिये भी ठोस कदम उठाये गये हैं । ४० नये यूनिट्स को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त और भी जनता के लिये सुविधा पहुंचाने के कदम उठाये गये हैं, जैसे १५ से २० रु० ओल्ड एज पेंशन कर दी गई, ५ रु० निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ाया गया, ग्रेचुइटी देने की व्यवस्था की गई, इस प्रकार की कई ऐसी बातें हैं । अब प्रश्न यह है कि सारे कदम सराहनीय हैं, हमें समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, क्या यह काफी है, या इसके अलावा कुछ और भी करने की गुंजायश है ? इसीलिये यह वादविवाद होता है कि लोगों के सुझावों के प्रकाश में उन नीतियों का कार्यान्वियन हो सके । सब से पहला प्रश्न यह आता है कि भुवनेश्वर के तीर्थ स्थान पर जो पवित्र प्रतिज्ञा की समाजवाद को लाने की उसके लिये हमारे बजट में कोई बात है, यह उस दिशा में ले जाने में समर्थ होगा कि नहीं । मुझे दुख होता है कि कदाचित् उस दिशा में यह हमें ले जाने में असमर्थ है । वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा एतराज होगा और उन्होंने कहा कि मैं दावा नहीं करता । लेकिन मैं यह कहता हूं कि कोई इख्तिसार नहीं है, वाकया है दावा नहीं किया जा सकता । बजट के पहलुओं पर अर्थ शास्त्री बोल चुके हैं, मैं तो केवल लेमैन की हैसियत से कुछ मोटी-मोटी बातों की तरफ जिनका जनसाधारण से सीधा सम्बन्ध है सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सब से पहले मैं उस वर्ग के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जो चपरासी वर्ग है जिसके ५ रु० बढ़ाये गये हैं डी० ए० में । मेरा विचार है कि यह व्यवस्था नाकाफ़ी है । मैं विश्वास रखता हूं कि आज प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को १०० रु० प्रति मास से कम तनख्वाह न मिले और इसका औचित्य भी है । किसी भी दृष्टि से देखें । मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकतायें एक कसौटी हो सकती हैं, केन्द्रीय कर्मचारियों से तुलना दुसरी कसौटी हो सकती है, हमारी ही सर्विसेज में दूसरी श्रेणी के लोगों को जो मिलता है उसकी तुलना तीसरी कसौटी हो सकती है । मेरी तो शिकायत है कि ४५० रु० से ऊपर जिनको तनख्वाह मिलती है उनको तो ४० रु० की बढ़ोत्तरी महंगाई के रूप में मिलेगी और उससे कम वालों के केवल ५ रुपये अगर हम प्राइस इंडेक्स को देखें तो गरीब

आदमी के बजट का ८० फीसदी अनाज पर खर्च होता है और उसी के मूल्य बढ़े हैं। तो गरीब आदमी के बजट में बेसिक नेसैसिटीज पर ज्यादा खर्च होता है। अतः सब से ज्यादा बढ़ोत्तरी की आवश्यकता नीचे स्तर पर है। इसलिये सरकार का दायित्व है। यदि साधन अभी इजाजत न दें तो शीघ्रातिशीघ्र एक प्लानिंग हो, चाहे २, ३ साल में हो, जिसमें १०० रु० मासिक कम से कम वेतन हो और यदि आवश्यकता हो तो ऊंचे कंगूरों को कुछ ढाया जाय। इसके बाद जहां तक मैं समझ सका बजट को पढ़ने के बाद सरकार का मंशा ऐसा मालूम होता है कि ५ रुपये की जो बढ़ोत्तरी है लोकल बाडीज के एम्प्लाइज को नहीं मिलनी है। ५ रुपये सरकार के बेसिक टीचर्स को तो मिलेगी लेकिन लोकल बाडीज के अन्तर्गत जो अध्यापक आता है जिनकी निम्न तनख्वाह है उनको यह महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, तो मैं इस पर भी स्पष्टीकरण चाहूंगा और मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बल के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। मैं यह भी चाहूंगा कि सर्विसेज के नीचे के कर्मचारियों में और वर्गीकरण न करें। केन्द्रीय कर्मचारी इस समय १०० रुपये से ज्यादा ही पाता है। हमारे कर्मचारी भी उतना ही नहीं बल्कि उनसे ज्यादा काम करते हैं पर उनको केवल ५ रुपये ही वृद्धि दी गयी है और उसमें भी आप वर्गीकरण करते हैं। सरकार के कर्मचारी ५ रुपये महंगाई भत्ता पायें और जिला बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापक उस महंगाई भत्ते को न पायें, यह सर्वथा अनुचित होगा।

मान्यवर, मैं सोशलिस्टिक पालिसी के संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि बजट में एक प्राविधान है कि सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए १ रुपये प्रति व्यक्ति मनोरंजन के लिए हर आदमी देगा और १ रुपया प्रति व्यक्ति सरकार उसको मैचिंग ग्रान्ट के रूप में देगी। तो ६० रुपये पाने वाले भी एक रुपया दें और ३००० रुपया पाने वाले अफसर भी एक रुपया दें, अगर यही हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न की भावना है और इसी तरह से हम सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर अपना लक्ष्य बढ़ा रहे हैं तो मान्यवर, मुझे कुछ सन्देह मालूम होता है। इसके बाद हमारा क्लास है क्लर्क्स का जो चपरासी वर्ग से किसी तरह से ऊंचा है, लेकिन उनकी दिक्कत भी बढ़ी है। चपरासी मैले कपड़े भी पहन लेता है लेकिन बाबू क्लास, ये निम्न मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं उनकी ओर भी यदि हमने ध्यान न दिया तो हम जो रोज करप्शन को दूर करने की बातें करते हैं उसको दूर करने में सफलता नहीं मिल सकती। भूखे पेट से हम यह आशा करें कि वे मेहनत से काम करें कुछ सम्भव नहीं मालूम होता है।

इसके पश्चात् अब मैं माननीय सदन का ध्यान उस टैक्स के बारे में, जिसका संकेत इस बजट में किया गया है, दिलाना चाहता हूं। यह बताया गया है कि बजट ११.७९ करोड़ के करीब डेफिसिट है और इतने बड़े डैफिसिट को पूरा करने के लिये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि एक वेलफेयर स्टेट को पूर्ण अधिकार है कि प्रदेश की समृद्धि और उन्नति के लिए वह नये टैक्स लगाये लेकिन हमें कुछ सिद्धान्तों को अपने सामने रखना पड़ेगा, और कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि टैक्स लगाने के पूर्व हमें सैचुरेशन प्वाइंट को देखना होगा। हमारे प्रदेश में इस समय टैक्सेशन सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच चुका है और कोई और टैक्स लगाने में "लास्ट स्ट्रा और दी कैमिल्स बैक" वाली कहावत चरितार्थ होगी। तो इसलिए सोच समझकर ही टैक्स लगावें और अगर टैक्स लगाना आवश्यक है अपने दायित्व को पूरा करने के लिए तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में जितनी इकोनौमी संभव हो सकती है और जितने संभव तरीकों से हम पिछली बकाया को वसूल कर सकते हैं वह करें, उसके बाद हमें टैक्स लगाने का अधिकार हो सकता है। इन दोनों दिशाओं में हमारी बड़ी भूल रही है। इकोनौमी के प्रश्न को पहले लें। सरकार द्वारा एक इकोनौमी कमेटी बनाई हुई है, कदापि जिसकी एक साल से कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। उस इकोनोमिक कमेटी की यदि उन सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया जाता तो कोई करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। इसके अतिरिक्त एस्टीमेट्स कमेटी सदन बनाता है। उसने समय देकर और इनर्जी खर्च करके माननीय नवलकिशोर जी और दूसरे माननीय सदस्यों की संरक्षता मे कुछ सिफारिशें कीं। उन सिफारिशों के फलस्वरूप ही ६–७ करोड़ रुपये की बचत हो सकती

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

है। अगर इकोनामी कमेटी और उन एस्टिमेट्स कमेटी की सारी सिफारिशों को कोल्ड स्टोरेज में न रखा जाय और उन का कार्यान्वयन किया जाय अरनेस्टली तो कि डेफिसिट बजट है वह पूर्णरूप से न हो तो बहुत अंश तक जरूर इससे पूरा हो सकता है।

एरियर्स का प्रश्न भी है। परसों एक प्रश्न के जवाब में बतलाया गया कि २९ जुलाई, ६३ तक सेल्स टैक्स का एरियर १० करोड़ ६५ लाख का उत्तर प्रदेश में हो चुका है। १३ करोड़ जिस प्रदेश में कुल आय सेल्स टैक्स से हो वहां साढ़े १० करोड़ का एरियर अशोभनीय नहीं, लज्जा-जनक है। महाराष्ट्र में ४५ करोड़ की आय सेल्स टैक्स से होती है और केवल ५ करोड़ का एरियर है। दूसरे राज्यों में भी करीब-करीब इसी अनुपात से एरियर है। तो हमारे प्रदेश में कोई औचित्य नहीं कि साढ़े १० करोड़ रुपये के सेल्स टैक्स के एरियर्स हों। क्यों नहीं इस सेल्स टैक्स के एरियर को वसूल करने हेतु इस वर्ष एक बार वेज करें और ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स लें? एक प्रश्न उत्तर में यह भी बतलाया कि ४७ व्यक्ति हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनके ऊपर १ लाख रुपये से ऊपर प्रति व्यक्ति बकाया है और उन पर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। (व्यवधान) माननीय कृष्णानन्द राय जी सुझाव चाहते हैं। मैं सुझाव बतलाता हूं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दायित्व कर दिया जाय कि वह एक महीने के अन्दर ३१ मार्च तक इस १ करोड़ से ज्यादा रुपये की जो बकाया ४७ व्यक्तियों पर है उसको वसूल करें और अगर वे वसूल करने में असमर्थ रहें तो उनको इन एफिशियेट माना जाय। अगर नर्मी से, रोटीन से सारी बातें उन पर छोड़ दी जायंगी तो काम चलने वाला नहीं है। (व्यवधान) कृष्णानन्द राय जी दूसरी बात कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के द्वारा वे स्टे हैं उनका क्या हो? मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि इस १० करोड़ में केवल २ करोड़ की ऐसी रकम है जो न्यायालयों के आदेशों से रुकी पड़ी है और बाकी ८ करोड़ की रकम या तो शासन की आज्ञा से अथवा शासकीय अधिकारियों की आज्ञा से रुकी हुई है, इसका क्या औचित्य है?

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसी आदत सी पड़ गयी है कि डेफिसिट बजट को अच्छा माना जाता है। कई दृष्टियों से उसका अपनी जगह पर एक औचित्य है लेकिन ऐसा एक रिवाज पड़ता जाता है कि हम डिफ्लेटेड रिसीट दिखलाते हैं और इन्फ्लेटेड खर्चा दिखलाते हैं। शुरू में डेफिसिट दिखलाया जाता है और आखिर में वह सरप्लस में परिवर्तित हो जाता है। १९६२–६३ में १३.३५ करोड़ का डेफिसिट दिखलाया गया और साल के अन्त तक यह १.१३ करोड़ के सरप्लस में परिवर्तित हो गया। पिछले साल ६३–६४ में ४.९७ करोड़ का डेफिसिट दिखलाया गया और साल के अन्त में यह डेफिसिट जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं १ करोड़ २२ लाख रह गया जब कि ५ करोड़ रुपये की रकम सरचार्ज के जरिये से मिलने वाली छोड़ दी गई है। तो हमको इस डेफिसिट बजट की आदत को छोड़ना चाहिये और ऐसा बजट बनाना चाहिये जिससे जनता पर टैक्स का बोझ अकारण न पड़े।

एक बात आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर टैक्स लगना किसी स्टेज पर अनिवार्य है तो उसकी नीति यह हो कि हम केवल उसी पर टैक्स लगायें जो टैक्स देने की क्षमता रखता हो। जो आदमी क्षमता नहीं रखता है, जो गरीब है और मुसीबतों से दबा हुआ है उसको रिलीफ दें।

इसके बाद मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि परसों खाद्य समस्या पर बहस हो रही थी। व्यापारियों, होरडर्स के बारे में कहा गया। मैं पूर्णतया उससे सहमत हूं कि कोई व्यक्ति देश में जो किसी प्रकार से महंगाई बढ़ाने में सहायक होता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के प्रति द्रोही है और उसके विरुद्ध जो भी स्टेप्स लिये जायं वह ठीक हैं। लेकिन केवल यहां पर जोश के साथ किसी को राष्ट्रद्रोही कह कर ही हम यह समझ लें कि खाद्य समस्या का समाधान हो गया तो यह सही नहीं होगा। हमें उसके लिये कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। यह खाद्य समस्या ही पिछले ३–४ सालों में कई दफा भयंकर रूप धारण करके हमारे सामने आ खड़ी हुई। मैं समझता हूं कि आज समय आ गया है कि जितनी बड़ी बड़ी फ्लावर मिल्स हैं प्रदेश में

उनका राष्ट्रीयकरण हो। उनको प्रदेशीय सरकार पूरे तौर पर अपने अधिकार में ले और अगर जरूरत हो तो कुछ और फ्लावर मिल्स सरकार अपने तत्वावधान में खोले। लाभ हानि की बात तो दूर रही, जरूरत इस बात की है कि हम उन होरडर्स के चक्कर में न फंस जायं। मैं तो यही बात शुगर मिल्स के बारे में भी चाहता हूं। शुगर मडिल से भी हमारा प्रदेश छक चुका है और उसका भी एकमात्र यही उपाय है। मैं समझता हूं कि आज हमारी सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि देश में जो भूख की आग प्रज्ज्वलित हो रही है उसको हम किसी न किसी तरह से तृप्त करें। हमारे सारे प्रयत्न जो हम विभिन्न दिशाओं में कर रहे हैं वह अग्नि की ज्वालाओं में भस्म हो जायंगे यदि हम उस तड़पती हुई भूख को तृप्त करने में असमर्थ रहे।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, प्लानिंग कमीशन, विजिलेन्स कमेटी और पे कमेटी की बात आयी। ये तीनों कमेटियां अच्छी हैं। लेकिन कमेटी का बनना ही अन्तिम लक्ष्य नहीं है। आज कुछ ऐसा हो रहा है कि समस्याओं को उलझाने के लिये, उनको कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिये कमेटियां बनायी जाती हैं। तो मैं यह आपके द्वारा और प्रार्थना करूंगा कि प्लानिंग कमीशन इसलिये न बनवाइये कि किसी को एम्प्लाय करने का प्लान आप कर रहे हैं बल्कि देश की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिये वह कमीशन हो। विजिनेलेन्स कमेटी इसलिये हो कि प्रदेश से करप्शन दूर हो और पे कमेटी इसलिये हो कि जो आज सर्विसेज में विषमतायें हैं, जिनके बारे में बहुत समय से मांग है वह दूर हों।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री भानुप्रतापसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिवचरण (जिला आगरा)––

मैं अब तक चुप रहा। अब मैं केवल दो मिनट का समय चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठिये।

श्री शिवचरण––

नहीं, मैं जरूर बोलूंगा, मैं मान नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष––

जी नहीं, आप बैठिये।

श्री शिवचरण––

तो मैं आप की व्यवस्था के खिलाफ दो घंटे के लिये सदन त्याग करता हूं।

(श्री शिवचरण सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपना १९६४–६५ का बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा कि उनका बजट समाजवादी और विकासमान अर्थ व्यवस्था का बजट है। जहां तक इस बजट के समाजवादी होने का या न होने का प्रश्न है, मैं उससे उलझना नहीं चाहता। यह कार्य तो मैं अपने दाहिने, बायें और सामने बैठे हुये समाजवादी मित्रों के लिये ही छोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

देना चाहता हूं। कारण यह भी है कि समाजवाद कितने प्रकार का है यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। जितने नेता हैं उतने प्रकार का समाजवाद है और नेताओं की इस देश में कमी नहीं है। अभी आज ही एक नये समाजवाद का प्रतिपादन हमारे माननीय बलवानसिंह जी ने कर दिया। बहुत सम्भव है कि कोई ऐसा समाजवाद भी हो माननीय त्रिपाठी ब्रांड का जिसके अनुकूल इस बजट को भी समाजवादी बजट कहा जा सकता हो। कुछ दिन पूर्व मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था "१९८४"। उस पुस्तक के लेखक ने एक तानाशाही शासन की ऐसी कल्पना की थी जो केवल अपने प्रचार के बल पर यह सिद्ध करने में सफल हुआ कि अंधेरा उजाला है, काला सफेद है और झूठ सच है। श्रीमन्, ऐसा लगता है कि इस लेखक की कल्पना इस उत्तर प्रदेश में २० वर्ष पूर्व ही साकार हो उठी है। इस बजट को गतिमान, विकासमान आर्थिक व्यवस्था का बजट कहना सरासर झूठ नहीं तो क्या है? यह क्या विकासमान और गतिमान आर्थिक व्यवस्था के बजट का लक्षण है कि जगह-जगह फूड राइट्स हो रहे हैं और बी०ए०, एम० ए० पास लड़के आप के लखनऊ में ही रिक्शा चला रहे हैं? श्रीमन्, यह अपने प्रचार के खुद शिकार हो रहे हैं। आज यदि इस बजट को गतिमान और विकासमान व्यवस्था का बजट कहा जा सकता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी झूठी बात और कोई नहीं हो सकती है। आपकी आर्थिक व्यवस्था जर्जरित और रोग-ग्रस्त होकर मृत्यु शैय्या पर पड़ी अन्तिम सांस ले रही है। मैंने कहा कि प्रचार के यह कितने बड़े शिकार होते जा रहे हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी से लेकर माननीय जे० पी० मिश्रा जी इस बात का दावा करते हैं कि हमने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। श्रीमन्, जिस प्रकार से इन्होंने कृषि पर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। २३५ करोड़ रुपये के बजट में केवल ८ करोड़ रुपया कृषि के विकास कार्यों के लिये रखा गया है। जिस रोजगार से हमारे यहां तीन चौथाई को रोजी मिलती है और जिसका हमारी राष्ट्रीय आय में २/३ योगदान है, उस व्यवस्था के लिये बजट में ४ परसेंट भी धन नहीं रखा गया है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर जितना धन व्यय किया गया उसका ड्योढ़ा व्यय उद्योगीकरण पर किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि ५ परसेंट लोगों को भी उद्योग में नहीं लगा पाये और १० परसेंट से ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं है। क्या यह कृषि की अवहेलना नहीं है कि हम ८ करोड़ की व्यवस्था करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ घोषित किया था कि हमने इस वर्ष ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था कृषि के विकास कार्यों के लिये की है। यदि हिसाब लगाया जाय तो यह ८ करोड़ रुपया २ रुपये प्रति एकड़ भी नहीं आता है।

श्रीमन्, एस० के० पाटिल साहब ने जैसा कि प्रायः होता है कि जब मंत्री पद से हट जाते हैं तो अक्ल ठीक हो जाती है, इन्होंने लिखा है कि कृषि उन्नति के लिये कम से कम १०० रुपये प्रति एकड़ की नई पूंजी लगनी चाहिये। इसकी तुलना में २ रुपये प्रति एकड़ हमारी सरकार पूंजी लगाने जा रही है और आशा करती है कि कृषि उत्पादन बढ़ेगा। कृषि विभाग को कितनी प्राथमिकता दे रखी है, वह भी सदन के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने परसों कहा था कि कृषि के लिये खाद, बीज और सिंचाई ये तीन चीजें मुख्य हैं, लेकिन इनमें से एक भी कृषि विभाग के अधिकार में नहीं है। खाद, पानी और बीज, इनमें से एक के वितरण पर भी कृषि विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी कुछ नहीं बोल सकता। फील्ड एक्सटेंशन वर्कर्स भी कृषि विभाग के अन्दर नहीं हैं। तो जैसा कि एक बार हमारे पार्टी के नेता ने कहा था कृषि विभाग उस चिड़िया की तरह है जिसके पंख काट दिये गये हों। वह केवल फुदक सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। मैं कोई माननीय चरणसिंह की पैरवी नहीं करता। वह स्वयं सक्षम हैं, जो चाहें कहना वह कह सकते हैं, लेकिन जब तक इस तरह की व्यवस्था है तब तक कृषि उन्नति नहीं कर सकती। आप चाहे जिसको

मन्त्री बनाएं लेकिन उसको पूरा अधिकार देना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक उन्नति कृषि की नहीं हो सकती। किसी माननीय सदस्य ने उस दिन कहा था, कृषि मन्त्री को त्याग-पत्र दे देना चाहिये। क्या कृषि विभाग को केवल सलाह देने के कोई अधिकार प्राप्त हैं? अगर कृषि विभाग ने कोई गवर्नमेंट को सलाह दी और वह सलाह गलत साबित हुई हैं तो अवश्य उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

आज कृषक से ज्यादा कोई उपेक्षित नहीं है। आज वह बेचारा दर-दर ठोकरें खाता है। सीधे मुंह कोई उससे बोलने के लिये तैयार नहीं है। शहरों से कई गुना अधिक भ्रष्टाचार गांवों में दिखायी देता है। उसका जो शोषण हुआ है मूल्यों के विषय में उन्हीं पापों का यह फल है कि इतनी जबरदस्त भुखमरी पड़ी हुई है। तो आज भाव महंगे हैं उस सिलसिले में मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जो मंहगे भाव हैं वह किसानों को नहीं मिले। जब इससे आधे भाव थे तभी उनके घर से सारा सामान निकल चुका था। दूसरी बात यह है कि जब आज सरकार की सारी व्यवस्था टूट चुकी है, जब किसानों को कुछ मूल्य मिलने का अवसर आया, अपनी जानकारी में, अपने प्रबन्ध के अनुसार सरकार यह नहीं चाहती कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। आज जब इतने बढ़े हुए मूल्य हैं तब भी सरकार चावल १५ रुपये ९० पैसे प्रति मन पर खरीद रही है, जहां पर बांध रखा है। वीरसेन जी ने कहा कि मालूम होता है कि खाद प्रयोग करने के लिये जबरदस्ती की जा रही है। मैं कहता हूं कि धान के खेत में अगर फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जायगा तो वह अलाभकर होगा इसीलिये किसान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। किसानों से कहा जाता है कि अन्न पैदा करके अधिक से अधिक शहरों वालों को सस्ते से सस्ते भाव पर सप्लाई करो लेकिन यह ध्यान नहीं रखते कि उसे कितना मूल्य मिलना चाहिये। मैंने एक बार किसान की तुलना एक गाय से की थी। यदि गाय को अच्छा भोजन देंगे तो दूध देती रहेगी। अगर भोजन कम करेंगे तो दूध देना बन्द कर देगी। आज उस गाय को इतना कम भोजन दिया गया कि वह ठाठ हो गयी है, सरकार इस प्रदेश को भोजन नहीं दे सकती। मैं यह नहीं मानता कि यह वर्तमान महंगाई केवल पाले की वजह से हो। इसके पहले भी भाव बढ़ रहे थे। पाला न पड़ा होता तो सम्भव है कि इस विकराल रूप में न आती, फिर भी यह महंगाई आती और बढ़ती जा रही थी।

इस भुखमरी के बाद जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई भी बीमारी हो, तो उसका ढंग यह है कि उसके कारणों को मालूम किया जाय और उनको दूर करने की कोशिश की जाय। परन्तु ऐसा लगता है कि हमारे वर्तमान शासकगण और सम्भवतः इधर के भी कुछ बैठने वाले उस प्रकार की दवा करना चाहते हैं जैसे किसी को खांसी आ रही हो तो खांसी का कारण न मिटाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देने वाली बात वह कर रहे हैं। महंगाई यदि आज है तो उसके मुख्य कारण केवल दो हैं। एक तो यह कि उत्पादन कम हुआ और उत्पादन कम हुआ गलत नीति के कारण और दूसरा कारण है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा की है। यह दोनों कारण जब तक नहीं मिटेंगे तब तक चाहे आप राष्ट्रीयकरण कर लें अथवा सैकड़ों या हजारों की तादाद में गल्ले के रोजगारियों को फांसी लटका दें, महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई दूर होने के लिये आवश्यक है कि उत्पादन बढ़े। लेकिन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई बात नहीं करता। बात केवल यह होती है कि अनाजों के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्रीयकरण उन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा नहीं चलाया जायगा जिनके लिये इधर के बैठने वाले सारे सदस्य कहते हैं कि वह भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं? उन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों के हाथ में सारे व्यवसाय को दे देने की बात कहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सीमेंट का उद्योग पूर्णतया राष्ट्रीयकरण के अन्दर आ चुका है। सरकारी कारखाने में बनता है और सरकारी एजेंसियों द्वारा वितरित होता है। क्या उसके वितरण में भ्रष्टाचार नहीं है? श्रीमन्, मैं अपने समाजवादी मित्रों से, विशेषकर बलवान सिंह जी से दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज उन्होंने मुझे बहुत याद किया तो मैं भी याद करना चाहता हूं।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

श्रीमन्, इस देश में सबसे बड़ी कठिनाई जो आज हो रही है वह यह है कि हम कहते कुछ हैं और विश्वास कुछ करते हैं। उस दिन कांग्रेस के सदस्य माननीय महेश सिंह ने कहा कि छोटे किसानों के लिये सहकारी खेती के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवाद में यदि विश्वास है लोगों को और इस सदन में बहुत से लोगों को है और वह खेती भी करते हैं, सब के सब अगर नहीं तो काफी अंश में खेती भी करने वाले इस सदन के सदस्य हैं, यदि वह खेती करते हैं और उनको समाजवाद में विश्वास है तो क्या कारण है कि उन्होंने आज तक अपनी जमीन को सहकारी खेती के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न नहीं किया? यदि मैं समाजवादी होता तो मैं निश्चय रूप से करता और अपने गांव में सहकारी खेती कायम करके छोड़ता। मैं चुनौती देता हूं इस सदन के सारे समाजवादी सदस्यों को कि वह अपने गांव में जाकर सहकारी खेती कायम कर लें, उसके बाद इस सदन में आकर सहकारी खेती या समाजवादी ढंग जो खेती का है उसकी प्रशंसा करने की जुर्रत करें। यह दुर्भाग्य है कि जो लोग स्वयं बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, जो कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि सहकारी खेती से इस देश की उन्नति हो सकती है वह भी इस सदन के अन्दर और जनता के सामने जाकर कहते हैं कि समाजवाद आयेगा तो सहकारी खेती आयेगी और तब तरक्की होगी। मुमकिन है कि कोई सदस्य कहे कि मैं समाजवादी तो हूं लेकिन सहकारी खेती में विश्वास नहीं करता, यदि ऐसा कोई कहता है तो मैं समझता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत समाजवाद को मैं समझता हूं, उसके मुताबिक या तो वह समाजवाद को नहीं समझा है या वह जनता को और हम लोगों को सबको मूर्ख बना रहा है। यदि समाजवाद देश में आना है तो सबसे बड़ा उत्पादन का साधन भूमि है। वह कैसे समाजीकरण से बच सकती है, यह मैं इन समाजवादियों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि सहकारी खेती में तो विश्वास हमारा नहीं है लेकिन समाजवाद में है? अगर समाजवाद में विश्वास है तो सहकारी खेती में विश्वास होना चाहिये और अगर सहकारिता में विश्वास है तो आज सदन के अन्दर कितने कृषक बैठे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जि होंने अपने गांव के अन्दर सहकारिता खेती कराई है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इसी सम्बन्ध में कि यह सरकार सामाजिक कल्याण की बड़ी हिमायती है। सामाजिक न्याय की यहां पर रोज चर्चा हुआ करती है परन्तु उसके कार्य करने का ढंग और उसके सोचने का ढंग बहुत ही सामन्तवादी है। सामाजिक कल्याण की योजनायें हमारे वित्त मन्त्री जी ने गिना दीं कि सामाजिक कल्याण बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। परन्तु जब हमारी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को देखा गया तो उसमें केवल एक योजना ऐसी मिली जो सामाजिक कल्याण की कही जा सकती है। वह है वृद्धों की पेन्शन बढ़ाना। वह कदम ऐसा है जो सरकार का प्रशंसनीय कदम है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन उस कदम को छोड़कर जितने बाकी कदम हैं वह नहीं कहे जा सकते। सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ बढ़ाया है और दूसरी बातें भी कही हैं कि मर जायेंगे तो यह करेंगे और वह करेंगे, ग्रेचुइटी देंगे। यह सब जितनी बातें गिनाई हैं मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वे सब सामाजिक कल्याण की योजनायें हैं। पुराने जमाने में जिनको आप जमींदार और सामन्तवादी कहते हैं वह भी अपने नौकरों का पालन-पोषण अच्छी तरह से किया करते थे। जो बातें सरकारी कर्मचारियों की सुख-सुविधा से सम्बन्ध रखती हैं वह सामाजिक कल्याण की बातें नहीं हैं। मैं इसके लिये सामाजिक कल्याण करने का दावा नहीं कर सकता कि ये सामाजिक कल्याण के लक्षण हैं। यह देखा गया है कि राज्य से जो सम्बन्धित होते हैं उनका सरकार अधिक ध्यान रखती है कि वे लोग सुख-सुविधा का जीवन व्यतीत करें। इतना ही नहीं सुविधा के विषय में और सामाजिक कल्याण के विषय में इस देश में दो प्रकार के वर्ग माने गये हैं। एक सरकारी और एक गैर-सरकारी। उनके विषय में भेदभाव की नीति अपनाई गई है। जो जांच आयोग बना है उस जांच आयोग की परिधि से मन्त्रिगण को बाहर रखा गया है। वे क्यों उसके बाहर रहेंगे? अगर वे चोरी करें तो क्यों न उनके साथ वही व्यवहार हो जो दूसरे

के साथ होता है ? उनको उससे बाहर रखा गया है क्योंकि वे रूलिंग फैमिली के हैं। पुराने जमाने में रूलिंग फैमिली होती थी तो रूलिंग फैमिली के लोग अब्बवला समझे जाते थे। जो वर्तमान रूलिंग फैमिली है वह भी उसी तरह से अब्बव ला है। इस सदन में ३, ३ मन्त्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जायें, मैं नहीं कहता कि वे सही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी के जरिये से लगाये जायं तो क्यों न उनको साबित किया जाय ? आप उनको क्यों नहीं साबित करते ? यह कौन सा तरीका है कि उसको आप महीनों इधर-उधर करते रहते हैं? क्यों नहीं उसको किसी निष्पक्ष कमेटी की जांच के लिये दे दिया जाता ? मैं आज यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार है तो उसकी जिम्मेदारी ऊपर के नेताओं पर है। ऊपर के लोग ही भ्रष्टाचार का संरक्षण करते हैं। यह एक ऐसा भ्रष्टाचार का पौधा है जिसकी जड़ नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है। अगर ऊपर से यह भ्रष्टाचार बन्द हो जाय तो नीचे का अपने आप समाप्त हो सकता है। दूसरे भ्रष्टाचार का कारण यह भी है कि हमने सरकारी अधिकारियों के हाथ में जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिये हैं। ऐसे अधिकार उनको प्राप्त हैं कि जिससे वह किसी भी किस्मत को बना और बिगाड़ सकते हैं। जो लोग आज यह राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं वे नहीं जानते हैं कि ज्यों ज्यों राष्ट्रीयकरण समाजवाद के भीतर बढ़ेगा त्यों त्यों नौकरशाही की ताकत बढ़ेगी। तो यदि उसमें आप नहीं रहना चाहते हैं और तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिये कि जितने लाइसेन्स देने की यह व्यवस्था है इसको एक निष्पक्ष बोर्ड के अधीन किया जाय। जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरी देने का काम करता है, हाई कोर्ट अलग काम करता है, चुनाव कमीशन काम करता है उसी तरह से इस देश के अन्दर जितने कंट्रोल हैं उनको चलाने के लिये एक निष्पक्ष बोर्ड हो जो राजनीतिक दबाव से अलग रहकर काम कर सके। जब तक यह नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता।

श्रीमन्, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि पहले प्रारम्भिक शिक्षा को जिला बोर्डों को या जिला परिषदों को सुपुर्द करके और अब विकास समितियों को सुपुर्द कर के बहुत भारी भूल हुई है। यह इतनी जिम्मेदारी और महत्व का काम है कि सरकार को इसे सीधे तौर पर अपने हाथ में लेना चाहिये। जिस देश के नागरिक अच्छे नहीं बनेंगे वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार पक्की इमारत बनाने के लिये एक-एक ईंट को पकाना पड़ता है उसी प्रकार देश की उन्नति करने के लिये एक-एक नागरिक की ओर हमें ध्यान देना होगा। वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था इतनी गयी गुजरी है कि उसके अन्दर कोई शिक्षा नहीं होती। गांव के रहने वाले अपने पड़ोस में देखें। वहां १०० दिन में ५० दिन स्कूल नहीं खुलते, जब खुलते हैं तो उनमें कोई पढ़ाई नहीं होती। ऐसी हालत में क्या यह शिक्षा के साथ न्याय हो रहा है? किसी भी समाजवादी सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह अपने देश में पैदा होने वाले बच्चों के लिये अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। दुख है कि इस दिशा में जैसा चाहिये था वैसा कदम सरकार नहीं उठा पायी है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों से हम लोग बजट पर विवाद कर रहे हैं। विभिन्न माननीय सदस्यों के विचार मुझे सुनने को मिले। इस पर भी बहस हुई है कि बजट समाजवादी है या नहीं। अभी माननीय भानुप्रताप जी ने उन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिये जिनको माननीय बलवानसिंह जी ने उठाया था। माननीय बलवानसिंह जी समाजवाद की स्थापना चाहते हैं और माननीय भानुप्रताप जी उसके विरोधी हैं। उन्होंने अपनी दलीलों में यह साबित करने का प्रयास किया कि समाजवाद से हानि के अतिरिक्त लाभ कभी नहीं हो सकता। अभी जनसंघ, पी० एस० पी०, सोशलिस्ट पार्टी आदि की ओर से भी व्याख्यान हुए हैं और उनकी दलीलें स्वयं आपस में एक दूसरे के तर्क को काटती हैं। हमारा एक सीधा प्रयास चल रहा है, अभी भुवनेश्वर में भी हमारा निश्चय यही हुआ कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। माननीय

[श्री बृजबिहारी]

वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में साफ तौर से कह दिया है कि यह समाजवादी बजट तो नहीं है, लेकिन हमारा ठोस प्रयास है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये मैं उन प्रश्नों पर नहीं बोलना चाहता जिनकी विवेचना माननीय सदस्यों ने की है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अधिक बातें न कीजिये।

श्री बृजबिहारी--

लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग विरोधी पार्टी की ओर से बोले हैं उनको इस बजट में किसी भलाई की तथा अच्छाई की बात देखने में नहीं आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जितनी हम प्रगति करना चाहते हैं, भले ही उतनी हम न कर सके हों, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि हमने उस के लिये प्रयास किया है। कृषि के लिये हमने बहुत कुछ किया है। परसों खाद्यान्न की स्थिति पर हमने विवाद किया, उसमें कहा गया कि कृषि में हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो निश्चय लिया है कि ट्यूबवेल की संख्या बढ़ायी जाय। हमने सिंचाई के लिये एक प्रसार सेवा की भी विशेष योजना बनायी है और सघन तथा प्रगाढ़ कृषि उत्पादन के खंडों की स्थापना का भी निश्चय किया है। इन सब प्रयासों से हम आशा करते हैं कि हम कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी हमारी कई योजनायें हैं जिनका पूरा विवरण बजट में दिया हुआ है। सड़कों के निर्माण का भी प्रयास हमने किया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७३१ मील नयी सड़क बनायी गयी है और चालू वर्ष में ४०२ मील लम्बी पक्की सड़कें बनायी जा रही ह, और हमारा प्रयास है कि हम काफी पक्की सड़कें बनायेंगे। शिक्षा में भी काफी उन्नति हुई है गांव-गांव स्कूल खोलने का प्रयास किया गया है ताकि अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो सके। चिकित्सा में काफी उन्नति प्रदेश ने की है और अनेकानेक अस्पताल भी खोले गये हैं।

अब मैं कुछ बातें पूर्वी जिलों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। एक आयोग की स्थापना हुई। ४ जिलों का सर्वेक्षण हुआ जिन में हमारा जिला भी आजमगढ़ सम्मिलित है। काफी जांच की गयी और बयान लिये गये, और आशा यह की गई थी कि बहुत-सी योजनाएं कार्यान्वित की जायंगी, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक हमारी समझ में कुछ बात आयी नहीं है। पता नहीं उस आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होंगी। वहां की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हम अधिक दिनों तक संतोष करके बैठ नहीं सकते हैं, जल्द ही उन योजनाओं को हमें कार्यान्वित करना है। हमारे आजमगढ़ जिले में २० नदियां हैं। बरसात में ४ महीने उनमें निरन्तर बाढ़ आती है और कितनी ही जमीन बरबाद हो जाती है। यदि कहीं कोई बांध लगाता भी है तो मिट्टी बह जाती है और कृषि के लिये भी बजाय लाभ के हानि ही हो जाती है। बड़े दुःख की बात कि पूर्वी जिलों के लिये ११० ट्यूबवेल दिये जा रहे हैं। जहां कृषि की समस्या इतनी विकराल है वहां नहरों की संख्या भी बढ़ानी होगी और ट्यूबवेलों की संख्या भी कम से कम १,००० करनी होगी उन जिलों के लिये, तभी कुछ समस्या हल हो सकेगी। आजमगढ़ के उत्तरी हिस्से में घाघरा नदी बहती है। गत वर्ष माननीय माल मन्त्री महोदय ने जाकर स्वयं देखा था। उनको याद होगा, वह नदी उन दिनों इतने जोरों से कटाव कर रही थी जिससे मालूम होता था कि पूरा जिला ही दो हिस्सों में बंट जायगा। उत्तरी हिस्सा नदी के पेटे में चला जाने वाला था और उसके रोकने के लिये बहुत कुछ प्रयास किया गया था। इंजीनियर लोग उस समय बड़े चक्कर में थे, काम बड़े जोरों से लगा हुआ था, प्रयास हो रहा था। बरसात समाप्त हो गयी, बाढ़ भी समाप्त हो गयी और आज तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और यह नहीं सोचा जा रहा है कि आगे बरसात आने पर जब फिर वहां कटाव शुरू होगा तो उसको कैसे रोका

जायेगा। मैं नहीं जानता कि कटाव से रक्षा के लिये हम क्या करने जा रहे हैं। मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि हमको ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे कि हम भविष्य में आने वाली विपत्तियों से अपनी रक्षा कर सकें।

मान्यवर, देखा यह गया है कि जब विपत्ति आती है, तो तत्काल तो हम कुछ खयाल करते हैं, मगर उसके बाद सो जाते हैं। यह ऐसा समय था जब कि इंजीनियर मौके पर जाकर उसको देखते और कटाव के रोकने तथा भविष्य में आने वाली विपत्ति से बचने के लिये कोई उपाय सोचते। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, कि जन शक्ति उपयोग योजना बनायी गयी है। वह हमारे जिले में लागू की जाने वाली है, किन्तु अब तक कोई कार्यवाही उस ओर नहीं की गयी है। मेरा निवेदन है कि उस योजनान्तर्गत जो भी काम हमें करना है उसे तत्काल आरम्भ कर देना चाहिये।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ हम सुन रहे हैं। कहा गया है कि सतर्कता आयोग की स्थापना होने वाली है। यह मानना पड़ेगा, चाहे हम इस पक्ष के बैठने वाले हों, चाहे उस पक्ष के बैठने वाले हों, कि भ्रष्टाचार अवश्य है। सवाल यह है कि हम सब को मिल कर यह सोचना चाहिये कि उसको कैसे दूर करें। केवल भाषण दे देने से भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है। उसको दूर करने के लिये हम सब को मिल कर उस पर विचार करना होगा और योजना बनानी पड़ेगी। आज भ्रष्टाचार छोटे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है। इसको कैसे दूर किया जाय, हम सबको मिलकर इसके लिये उपाय ढूंढ़ना होगा। उसके लिये जितनी जिम्मेदारी इधर बैठने वालों पर है, उससे कम जिम्मेदारी आपकी भी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट यहां पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है, सारे देश में बजट पेश हो रहे हैं, इससे पहले बजट के सम्बन्ध में अखबारों में बड़े लम्बे-चौड़े लेक्चरों को पढ़ा और ऐसा लगता था कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिये, स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये, शुगर इन्डस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन होना चाहिये, और आशा थी कि हमारी रूलिंग पार्टी जरूर इस ओर कुछ करेगी और कुछ परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन जब मैंने पंडित जी, वित्त मन्त्री, के लेक्चर को सुना तो मुझे बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसमें कोई ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। खाली कह देने से, प्रस्ताव पास करने से या उसके नाम पर कन्फ्यूजन पैदा करने से समाजवाद नहीं आयेगा। हमारे स्वतन्त्र पार्टी वाले और इस कांग्रेस दल के कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि हमारे यहां तो डेमोक्रेटिस समाजवाद है। समाजवाद तो एक ही समाजवाद है, चाहे वह गांधीवादी समाजवाद हो या डेमोक्रेटिक हो या कोई और हो, उसका मतलब एक ही है कि मीन्स आफ प्रोडक्शन एक व्यक्ति के न रह कर समाज के रहेंगे। अगर यह नहीं है तो वह समाजवाद नहीं है। मैं यह बात नहीं कहता कि यह सब एक दिन में हो जायगा लेकिन यह बात जरूर तय हो जानी चाहिये कि हमें इस कदम को उठाना है। जो समाजवादी सरकार होती है उसमें दो मुख्य बातें होती हैं। एक तो उसको गरीब किसानों और मजदूरों से हमदर्दी होती है, सर्वहारा वर्ग से हमदर्दी होती है। क्या इस सरकार को है? नहीं, इस सरकार को सर्वहारा वर्ग से हमदर्दी नहीं है। इस सरकार की हमदर्दी तो पूंजीपतियों के साथ है।

आज हमारे यहां रहने-सहने का स्तर बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। सन् १९३९ को हम बेसि ईयर मान कर उसका आंकड़ा अगर १०० रख लें तो आज वह बढ़ कर ५६५ प्वाइन्ट हो गया है। साढ़े पांच गुना। लेकिन आज जो कर्मचारिवर्ग है, चाहे वह सरकारी हो अथवा प्राइवेट सेक्टर का हो उसकी आमदनी नाम मात्र को बढ़ी है। वह बहुत मुसीबत में है। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

तो कांग्रेस वालों ने ही माना है कि गरीब और गरीब हुआ है और मालदार और मालदार हुआ है और जो देश की आमदनी बढ़ी है उसका पता नहीं चलता कि वह कहां चली गयी। जब लोहिया साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि ३ आना प्रति व्यक्ति आमदनी ह तो होम मिनिस्टर ने कहा कि ३ आना नहीं साढ़े पांच आना है। समाजवाद में तो होता यह है कि गरीब आदमी को ऊंचा उठाया जाता है और ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लाया जाता है। क्या वित्त मन्त्री जी या चीफ मिनिस्टर साहिबा यह बतायेंगे कि इस बजट में नीचे वाले को कहीं ऊपर उठाया गया है और ऊपर वाले को नीचे लाया गया है ?

इसके अलावा आपने प्राफिट पर भी कोई कन्ट्रोल नहीं किया है। मैं यह नही कहता कि पूंजीपतियों से सब कुछ छीन लो, लेकिन उनका प्राफिट जरूर निर्धारित होना चाहिये। आप कह दीजिये कि २ या ३ प्रतिशत से अधिक जो प्राफिट होगा वह नेशन के काम में लाया जायगा। क्या आपने ऐसा किया ? नहीं।

अभी फूड मिनिस्टर साहब ने कहा कि गल्ले की भरमार कर देंगे लेकिन एक साल के अन्दर यू० पी० में बड़ा भारी संघर्ष आने वाला है, अभी तो दो-चार दुकानें ही लुटी हैं। मैं लूट-मार के फेवर में नहीं हूं। संगठित तरीके से इस सिस्टम को बदलन से काम चलेगा। सरकार या तो इसका इन्तजाम करे वरना कुर्सी छोड़ दे। खाली दूकानें खोलने से काम चलने वाला नहीं है।

साथ ही साथ आपको कीमतों को भी नीचे लाना होगा वह तब तक नहीं हो सकता जब तक बैंक जो रुपया अनाज भरने के लिये एडवान्स करते हैं वह नहीं रुकेगा। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप नहीं कर सकते तो कम से कम एडवान्स देना बन्द कराये बैंकों द्वारा। क्योंकि गल्ले के व्यापारी बैंकों से ऐडवान्स लेकर जो गल्ला १४ रु० मन के हिसाब से खरीदते हैं उसी को २६ रु० मन पर बेचते हैं। अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानते हैं तो नेगी जी यहां व्यापारियों के खिलाफ चिल्लाते भले ही रहेंगे लेकिन वे तमाम गल्ला कार्नर कर लेंगे। आज शक्कर में भी यही चीज हो रही है। इकोनामिक नामक एक अखबार निकलता है जिसमें गल्ले के दो भाव निकलते हैं---एक तो कन्ट्रोल का रेट और दूसरा ओपेन मारकेट रेट। जो ब्लैक मारकेट का भाव है वही ओपेन मारकेट का भाव कहा जाता है। अगर यह बात सही नहीं है तो क्या माननीय मन्त्री जी उस अखबार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ? अगर वे तैयार हों तो कल ही उनक सामने मैं वह अखबार लाकर पेश कर दूंगा। आज एक असली भाव और दूसरा ब्लेक मारकेट का भाव, ये दोनों चल रहा है। अगर इसी ढंग से काम होता रहा तो मालूम नहीं आगे गल्ले का क्या होने वाला है। इसको ठीक करने के लिये आवश्यक है कि बैंक व्यापारियों को गल्ला खरीदने के लिये ऐडवान्स देना बन्द करें और सरकार को चाहिये कि बैंकों से मालूम करके कि कहां-कहां गल्ले की खत्तियां हैं, उन खत्तियों का गल्ला बाजार में लाकर मुकर्रर दाम पर बिकवाये और जो महंगा गल्ला बेचें उसे जेलों में बन्द कर दे। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है इस चीज को रोकने के लिये। जब तक दो बातें नहीं करते तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। एक तो यह कि सस्ता गल्ला सबको मिले जिससे ज्यादा महंगाई न हो और दूसरे यह कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से हर मेहनतकस को चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या किसी मिल या फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो, उसे तनख्वाह व महंगाई भत्ता मिले। आज महंगाई ५६५ सूचकांक तक पहुंच गयी है, इसलिये उनका पे स्केल व महंगाई भत्ता उसी हिसाब से होना चाहिये और सेंट परसेंट उसकी पूर्ति होनी चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो अगले एक महीने में एक तरफ तो आपके सामने गल्ले का संकट रहेगा ही, दूसरी तरफ इन कर्मचारियों की समस्या भी भयंकर रूप में आपके सामने उपस्थित हो जायगी जिसको सम्भालना आपके लिये नामुमकिन हो जायगा।

भुवनेश्वर में जो समाजवाद का प्रस्ताव आपने पास किया है उससे काम चलने वाला नहीं है। समाजवाद की बात तो बाद में, अभी मैं आपसे कहता हूं कि किसान---मजदूरों की जो सामान्य जरूरतें हैं उनको पूरा करना आपका सबसे पहला काम है। इसके लिये ५ चीजें होनी चाहिये---रहने के लिये मकान, खाने की व्यवस्था करना, तालीम का इन्तजाम करना, कोई बीमार

हो जाय तो दवादारू का इन्तजाम करना, ये सारी व्यवस्थाएं पूंजीवादी मुल्कों में भी हैं, लेकिन आप अपने यहां यह भी नहीं कर सके हैं। अगर कहीं अस्पताल है तो उसमें डाक्टर नहीं है मरीजों को बिना दवाई के लौटा दिया जाता है और उन्हें बाजार से खरीदने के लिये कह दिया जाता है। लोगों को रहने के लिये मकान नहीं हैं खाने की हालत आप देख ही रहे हैं कि गल्ला कितना महंगा है और लोगों को रोज सस्ते गल्ले की दूकानों पर लाइन लगाना पड़ता है। कई जगह से यह भी शिकायत मिली है कि उन दूकानों पर जो बाजरा या और गल्ला मिलता है उसमें चूहों को मारने वाली दवाई मिली हुई पायी गयी। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, इसके लिये एक ही चीज है कि हमारे देश में समजावाद हो। आपको स्टेट ट्रेडिंग करने में दिक्कत क्या है? नेगी साहब ने कहा कि यह तो आल इंडिया से तय होगा। आल इंडिया तो आप की ही संस्था की पालिसी है और वहाँ दिल्ली में भी आप की ही हुकूमत है। जब तक आप स्टेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे यह गल्ले की समस्या हल नहीं हो सकती। यह प्रश्न दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुये हैं, 'ऐकोनामिक' तो पूंजीपतियों का अखबार है जो कि आप को पालते हैं, कल को मैं आप को लाकर दिखा दूंगा। इतना कहकर मैं आप से फिर कहूंगा कि यह महंगाई का मसला इस तरह से हल नहीं होगा और न खाली समाजवाद का नारा ही काम करेगा। न ऊपर वालों को ४० रुपया या नीच वालों का ५–४ रुपये देने से काम चलेगा। इससे तो और डिसपैरिटी होती है। अगर इस का हल नहीं हुआ तो आगे संकट और बढ़ने वाला है, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बजट जो सरकार की ओर से माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह बजट समाजवादी है या असमाजवादी है इस बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार ने आबादी से भुवनेश्वर तक जो जो प्रस्ताव पारित किये हैं उन को कार्यान्वित करने के लिये यह सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है लेकिन उसमें जो थोड़ी सी बाधायें उस के सामने आ जाती है उनको भी मैं आप से सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारे यहां के जो अधिकारी हैं उन का अभी वह दृष्टिकाण नहीं है जो जन-जन सुखाय जन जन हिताय के अनुसार होना चाहिये वे भी इस के विरुद्ध ही चलते हैं। उनकी ऐसी नीति ही सरकार के धन के अपव्यय और जनता के असन्तोष का कारण बन जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिये यह एक प्रार्थना पत्र रखना चाहता हूं जिसमें मैंने लिखा कि "मुझे दिनांक १० फरवरी, १९६४ को बिजनौर जिले के विकास खंड अल्हेपुर-धामपुर देखने का अवसर मिला। क्षेत्र के कृषकों ने अपनी असुविधाओं एवं कठिनाइयों से मुझ अवगत कराया। मुझे दुख है कि अधिकारियों की लापरवाही और अवहेलनापूर्ण नीति सरकारी धन के अपव्यय के साथ ही जनता से क्षोभ और असन्तोष बढ़ाने का कारण बन जाती है।

मिसाल के तौर पर मेरा देखा हुआ एक विषय, यह उल्लेखनीय है कि विकास क्षेत्र अल्हेपुर-धामपुर के ग्राम अजीतपुर ढासी में कूप नं० १५३ डी० जी० की गूलें जमीन के लेविल से नीची हैं। इसलिये कूप और गूले होते हुये भी सिंचाई नहीं हो सकती है। रासायनिक खादें कृषकों के पास सिंचाई के अभाव में बेकार हैं। कूप से पच्छिम की ओर कृषकों ने स्वयं गूलें बनाई हैं। कई बार उनकी प्रार्थना पर भी उस गुल को पक्का नहीं किया गया है। इस के विपरीत एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने अपने पत्र संख्या ७०६४, दिनांक १३ अगस्त, १९६३ में ट्यूबवैल्स पर नो-डिमांड का आदेश दे दिया। जनता और विकास अधिकारियों ने मुझे यह भी बताया कि प्रार्थना करने पर भी सिंचाई विभाग के कोई अधिकारी या ओवरसियर वहां नहीं गये और न जाते हैं।

आप से प्रार्थना है कि दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर पद के गर्व में चूर विकास एवं कृषि प्रगति के बाधक इन अधिकारियों के कृत्यों की जांच का आदेश देने का कष्ट करें।" यह पत्र मैंने मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से २० तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री के पास दिया है। वह इस पर जांच कराने की कृपा करें।

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

माननीय बिकास मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो बी० एल० डब्लू० हैं उनके पास काम करने के लिये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस को १०–१२ ग्राम सभाओं का काम देखना होता है और उस की ड्यूटी भी बहुत अधिक हो गई है। इसलिये उनके क्षेत्र को कम किया जाय और एक बी० एल० डब्ल्यू० के क्षेत्र को २ भागों में बांट दिया जाय तो उपयुक्त होगा। मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिला स्तर पर जो समितियां संगठित की हैं वह भ्रष्टाचार को मिटाने में सहायक सिद्ध होंगी। अब मैं बन मन्त्री से कहना चाहता हूं कि शेर के शिकार के लिये नियमों में है कि आर्टिफिशियल लाइट में शिकार नहीं किया जाना चाहिये, जब कि ९० फीसदी रात में ही शिकार होता है। तो या तो नियमों में चेंज कर दें या मचान का शिकार ही बन्द कर दिया जाय। फरटीलाइजर उनको दिये जायं जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, अन्यथा खेती सूख जाती है। ऐसा लगता है कि फरटिलाइजर ज्यादा देना एक तरक्की का साधन-सा हो गया है, कोआपरेटिव अलग दे रहा है, गन्ना विभाग अलग कृषि विभाग अगल देता है। सिंचाई से कोई कोआर्डिनेशन्स नहीं हैं और किसान कर्ज से दब, जाता है। इसलिये सिंचाई की सुविधा अवश्य होनी चाहिये।

गुड़ कन्ट्रोल आर्डर के बारे में निवेदन है कि सरहद के थानेदारों को इसस काफी फायदा हो रहा है और कांस्टेबिल रात के समय गाड़ी पर गाड़ी जमुना पार करा देते हैं इसलिये ऐसे थानों में लोग जाना चाहते हैं।

हमारे जिलाधिकारियों के दौरे का पुराना तरीका अभी तक चल रहा है। वह ऐसी ही जगहों पर जाते हैं जहां उनकी गाड़ी जा सकती है, और रहने के लिये रेस्ट हाउस मिले और नदी उतरनी पड़े, या पैदल चलना पड़े तो ऐसी जगहों पर नहीं जाते। इसलिये दौरे के नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि वह लोग ऐसे इलाकों में भी जायं।

मेरे क्षेत्र में ४–५ नदियां हैं वहा कोई रास्ता नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं हैं। फरीदपुर ब्रान्च से जो रजवहा निकला है उसको रीमार्डलिंग के लिये मंजूर कर लिया था। आज डेढ़ साल हो गये जब माननीय राममूर्ति जी ने उसको स्वीकार किया था। मैंने जब अपने जिला इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने उसका मखौल सा उड़ाया। यह सरकारी कर्मचारियों का काम करने का तरीका है। इस तरह से कोई काम नहीं हो सकता। मैंने माननीय गिरधारी लाल से प्रार्थना की उन्होंने मेरे सामने ४ महीने पहले यह लिख दिया था कि इस काम को ऐक्सपेडाइट किया जाय लेकिन न मालूम उस पर क्या हो रहा है। शाहजहांपुर के जितने विधायक हैं सब ने एक प्रार्थना पत्र दिया रजिस्टर्ड करके भेजा चीफ इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को, लेकिन आज तब कोई उत्तर नहीं मिला। यह काम जल्दी ले लिया जाय क्योंकि उस इलाके में चकबन्दी शुरू हो गई है। चकबन्दी के लोगों ने मुझे बताया कि अगर नहर का डिमारकेशन हो जाय तो उतनी जमीन हम छोड़ दें जिससे सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, सदन में प्रदेश की पंचायत के सामने कांग्रेसी सरकार का कांग्रेसी मार्का समाजवादी लेखा जोखा १९६४–६५ का प्रस्तुत है जिसे देखकर इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता का हृदय सिहर उठा और दिल टूट गया है। आज चहुंदिशि चर्चा है कि प्रदेश में न तो कोई विधान है और न कोई सरकार है। पैसे वाले और गुन्डे जो चाहते हैं वही कानून है, उन्हीं की सरकार है। चाहे चोरी हो चाहे डकैती, चाहे कत्ल हो चाहे किसी की इज्जत लुटे, कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। जो गुन्डे चाहते हैं जो पैसे वाले चाहते हैं वही होता है। आज देश और प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता के कारण जन-जन के मन में निराशा और भय व्याप्त है। लोगों के हृदय टूट गये हैं। हो सकता है कि अगर समय रहते इस को संभालने का उपाय नहीं किया गया तो जन-जीवन छिन्न-भिन्न हो जायगा। अगर सरकार चाहती है कि इसको रोकें तो शीघ्र से शीघ्र कोई ठोस और व्यावहारिक विधान बनाकर इसके लिये कदम उठाये। यह तभी हो

सकता है जब यहां जो असमानता फैली हुई है उसको पूरा करके ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि किसी की भी आमदनी में १ व १० के अनुपात से अधिक का अन्तर न रहे। अर्थात् किसी की भी आमदनी सौ रुपये प्रति माह से कम न हो और एक हजार से ज्यादा न हो। आज गांव के चौकीदार जो इसी प्रकार के कर्मचारी हैं, यहीं से तनख्वाह पाते हैं वे केवल महीने में ५ रुपये पाते हैं और खेतिहर मजदूर को, चपरासी को, कान्सटेबिल को, अध्यापक, क्लर्क आदि को २०, ३०, ४०, ५० या ६० रुपया इस तरह से मिलते हैं। ५ रुपये वेतन पाने से मतलब यह है कि उसका एक दिन का वेतन १६ १/२ नये पैसे। आज जब कि गेहूं सवा सेर, चना १ १/२ सेर और ज्वार बाजरा २ सेर का बिक रहा है तो अगर साढ़े सोलह नये पैसे का गेहूं खरीदा जाय तो शायद वह साढ़े सोलह तोले ही मिलेगा। हम तो यह चाहेंगे कि गांव का चौकीदार उस १६ १/२ नये पैसे का गेहूं मंगाकर इस सरकार के मन्त्रियों को बुलाकर उनकी दावत कर दे और उसकी पंजीरी बनवाकर उनके स्वागत में बांट दे।

एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ यही ऐसे भी पूंजीपति हैं जिनकी एक-एक दिन की आमदनी सैकड़ों मे नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में है। यह है इस कांग्रेस सरकार का समाजवाद, कितनी असमानता है। आज अगर कोई न्याय को चाहता है न्यायालय में तो जब वह न्यायालय में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय जो वहां पर दरबान खड़ा होता है वह प्रवेश देने के लिये हक मांगता है। रिश्वत हक हो गयी इस कांग्रेसी सरकार में। अदालत में पेशकार हाकिमों की नजर के सामने बगैर रिश्वत के केस उनके सामने नहीं रखेगा। हमारे जिले बाराबंकी की हालत कुछ अजीब हो गयी है। अदालत से बीसयों फाइलें गायब हो गयी हैं। अफीम पकड़ी गयी तो उसकी जगह गुड़ रख दिया गया। कत्ल, डकैती बढ़ गयी है। जिले के कुर्सी थाने खिजना ग्राम में एक ही परिवार के ७ आदमी एक ही रात को डकैती द्वारा साफ कर दिये गये। सफदरगंज थाने के भवनियापुर ग्राम में एक परिवार के ५ आदमियों को कत्ल कर दिया गया। इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री भगवती प्रसाद शुक्ल का दिन दहाड़े शहर के अन्दर कत्ल किया गया। दूसरे विधायक अवध शरण जी लल्ला तथा उनके साथी सिया राम वर्मा भरी मीटिंग में जिसमें हजारों आदमी मौजूद थे कत्ल कर दिये गये। यह हालत है प्रशासन की। डकैत रात में डकैती करते हैं, एक, दो मकान मे लेकिन पुलिस दिन दहाड़े पूरे गांव और जवार में डकैती करती है। कोई कानून उनके लिये नहीं है। माननीय गृह मन्त्री आम चुनाव में हारे। इसके बाद चोर दरवाजे से बाराबंकी से चुन कर आये विधान परिषद् में। उन्हें विशेष कर ध्यान देना चाहिये कि हालत सुधरे, लेकिन जब से वह गृह मन्त्री हुये हैं हालत बाराबंकी कि बिगड़ी है। उनके बड़े बढ़िया वक्तव्य भी अखबारों में निकलते हैं कि अब वह गुन्डों का दमन करेंगे, चोरी व डकैती खत्म करेंगे लेकिन हालत उलटी हो रही है।

हरिजन और समाज कल्याण की भी चर्चा बड़े जोर की है। हरिजन का नाम लेना तो आज गाली हो गयी है। जब कोई बातचीत होती है तो इस तरह सम्बोधित किया जाता है, यह तो बड़ा चमार, भंगी है। उनकी जाति ही एक गाली हो गयी है। उनके नाम पर खूब पैसा उठाया जाता है, खूब ठगी होती है। जो यहां हरिजनों के प्रतिनिधि बनकर आये हैं उनके वोट पर, वे भी कांग्रेस की हां में हां मिला कर अपने वोटर्स की बात को भूल कर कांग्रेस की तारीफ करने लगते हैं। मेरा निवेदन है कि हरिजनों को जो १८ प्रतिशत का संरक्षण मिला हुआ है उनकी प्रतियोगिता को सबके साथ न मिला कर अलग से उनकी वह प्रतियोगिता की जाय। (लाल बत्ती जलने पर)

श्री नत्थाराम रावत—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ और समय दिया जाय। हम तो बहुत कम बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि आप कम बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसे बहुत हैं।

श्री नत्थाराम रावत —

अपने प्रदेश में ८० प्रतिशत के लगभग किसान हैं और हर जगह किसानों को दुहाई दी जाती लेकिन आज जरबल मिल पर ३०–३२ लाख रुपया किसानों का ही पड़ा है और उसके लिये इसी सदन के समक्ष पांच किसान २१ तारीख से बराबर अनशन कर रहे हैं, उनका गन्ना आज भी खड़ा हुआ है और सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद भी उनके लिये कोई रास्ता नहीं निकला है। यह सरकार तो बड़ी वचनभंगी है। इसको न अपनी इज्जत का खयाल है और न किसानों का ही खयाल है। अगर किसानों से इसे हमदर्दी है तो ऐसा कोई कदम उठाये जिससे उनका अनशन समाप्त हो और उनको पैसा मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने जो मुझे समय दिया है वह शायद इसलिये दिया है कि दत्तजी ने कहा था कि माइनारिटी कम्युनिटी वालों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। मैं शरणार्थी हूं और सिक्खों को रेप्रेजेन्ट करता हूं लेकिन मैं उनके लिये सरकार के सामने कोई बात रखना नहीं चाहता। गैर सरकारी नौकरियों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि शरणार्थियों और सिक्खों को सरकारी नौकरी में बहुत कम लिया जाता है। चूंकि वे अपनी मेहनत से अपना गुजारा अच्छा कर रहे हैं इसलिये मैं उनके मुताल्लिक सरकार से कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन गाजियाबाद की जो मेजारिटी कम्युनिटी है उनकी एक बड़ी अहम समस्या इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। गाजियाबाद में २० जुलाई, १९६० को सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की कि ५५ गांवों की ५६ हजार एकड़ जमीन सरकार डेवलपमेंट के लिये एक्वायर करना चाहती है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि एक उस विज्ञप्ति से कितना हाहाकार वहां मचा होगा। लोग उसके खिलाफ सरकार में दरख्वास्त देने के लिये भागे और यह एक ओपेन सीक्रेट है, यह मेरठ के कलेक्टर साहब से पूछा जा सकता है कि जब ये लोग वहां अपनी दरख्वास्तें देने के लिये गये तो वहां उनको स्टेम्प ड्यूटी लगाने के लिये टिकट नहीं मिले, और दूसरे जिलों से खरीद कर टिकट लगाये, हजारों रुपये स्टैम्प ड्यूटी में खर्च हुये और वकीलों को दिया, लेकिन दो साल की जद्दोजहद के बाद, अब मैं यह कैसे कहूं कि मन्त्रीजी को पता नहीं था या मुख्य मन्त्री की गलती हुई या अधिकारियों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारी इस विज्ञप्ति से कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन दो साल की जद्दोजहद के बाद ९ फरवरी, १९६२ को हमारी सरकार को यह ज्ञान हुआ कि वाकई ५६ हजार एकड़ जमीन एक्वायर कर के हम शायद १०० साल में भी डेवलप करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, दफा ४ का नोटिस लगा कर के किसानों का काफी नुकसान होगा इसलिये ९ फरवरी, १९६२ को एक और विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें सिर्फ ६ हजार एकड़ के लिये गवर्नमेंट ने कहा कि हम अक्वायर करेंगे और उसके बाद उसे अक्वायर किया। ३ हजार एकड़ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हवाई अड्डा बनाने के लिये एक्वायर किया और १ हजार एकड़ उसने अपने दफ्तरों को लाने के लिये अक्वायर किया। तो तकरीबन ११ हजार एकड़ भूमि गाजियाबाद में अब तक अक्वायर हो चुकी है जिसका कब्जा सरकार ने ले लिया है। किसान कहता रहा कि इतना होलसेल एक्वीजीशन न हो, लेकिन पता नहीं, सरकार को यह खयाल था कि कारखाने वाले कहीं किसी कमरे में बन्द हैं या मकान बनाने वाले भी पता नहीं आसमान से गिर पड़ेंगे कि एकदम सारी जमीन आबाद हो जायगी।

लेकिन बावजूद कहने के आप आहिस्ता-आहिस्ता जमीन अक्वायर करें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। ५० किसानों का डेपूटेशन डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से मिला और कहा कि हमें जमीन बेच लेने दो जिससे अच्छे पैसे मिल जायें। उस समय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने समझाया कि हम जमीन इसलिये ले रहे हैं

कि लोग अक्सर सड़क के किनारे की जमीन खरीद लेते हैं और पीछे की जमीन के पैसे किसानों को अच्छे नहीं मिलते । इसलिये उनकी भलाई के लिये ही हम जमीन ले रहे हैं । उस समय मार्केट रेट पर मुआवजा देने के लिये डाक्टर साहब ने कहा था, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो सरकार ने वह बात की जो कलकत्ता तथा बम्बई वगैरह में लागू होती है जहां इंचों के हिसाब से जमीन बिकती है । यहां तो हजारों एकड़ जमीन ली गई है और १०,१५ हजार किसानों पर इसका असर पड़ रहा है । रजपुर ग्राम में ७०० एकड़ जमीन ली है । सड़क के किनारे १०० गज दूर तक की जमीन का १९२ नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से दाम तय किया है । इसमें २०० एकड़ जमीन आई है । इसके बाद १०० गज तक ९६ पैसे के हिसाब से और बाकी जमीन का दाम ४८ नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय किया है । इस गांव में लीवर ब्रदर्स मटर की फसल तैयार कराते हैं और एक बीघे में २५०,३०० रुपये की मटर हो जाती है । वहां पर उस जमीन का मुआवजा ४८ नये पैसे प्रति गज के हिसाब से देना तय किया है और औसत ५१ नये पैसे प्रति वर्ग गज आता है । जमीन की कीमत उसके वाकै होने पर मुन्हसिर करती है । दिल्ली के करीब इतनी सस्ती जमीन लेना अन्याय है । अब गवर्नमेन्ट उस जमीन को २० रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेच रही है । वहां पर कुछ जमीनें १२० रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बिकी है । हमारे साथी यूसुफ साहब ने कहा कि सरकार समानता नहीं ला रही है । लेकिन हमारी सरकार ने एक हजार काफी किसानों को भूमिहीन कर दिया है । अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि सेठों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों में जमीन बिक रही है । रजपुर में लोगों के रहने के लिये प्लाट बनाये जा रहे हैं और २०० गज से लेकर १५०० गज के बनाये जा रहे हैं । किसी को गवर्नमेन्ट मकान बनाने के लिये १,५०० गज देती है और किसी को २०० गज ही देती है । देखिये यह कितनी समानता है ? अगर सरकारी अधिकारी यह चाहते हैं कि दिल्ली के नजदीक बड़ी बड़ी कोठी बनायें या कुछ और सज्जन इंटरेस्टेड हों कि वहां बड़ी-बड़ी कोठियां बनायें तो प्राइवेट सेक्टर में ३२ कालोनीज बन रही हैं वहां वह खरीद सकते हैं । लेकिन पब्लिक सेक्टर में जहां गवर्नमेंट विकास कर रही है वह, दो-दो सौ चार-चार सौ, और पन्द्रह सौ गज के प्लाट बना कर देती है इससे हम सोशलिज्म के नजदीक नहीं जा रहे हैं उससे कहीं दूर जा रहे हैं । हिसाब लगाया जाय तो इतनी जमीन में १३ प्लाट बन सकते हैं । मैं देख रहा हूं कि माननीय नेगी के अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है । पता नहीं वह भी सुन रहे हैं या नहीं । तो जो १० हजार एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर की है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट वहां हवाई अड्डा भी बना रही है, पांच करोड़ की स्कीम है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तो ज्यादा मुआवजा देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यू० पी० गवर्नमेन्ट कहती है कि ज्यादा नहीं दिलवायेंगे । अगर एक कारखाना एक लाख रुपये लगा कर बनाता है, अगर किसान का दो पैसे ज्यादा मिल जाते हैं तो सेठ का कौन सा नुकसान हो जायगा ? एक डेपूटेशन यहां आठ दिन तक पड़ा रहा । मंत्रियों से मिला हर एक ने यह जवाब दिया कि आप की बात हम क्या सुनें, वह नेहरू जी के पास गये वे वहां एक महीना पड़े रहें, हाई लेविल पर बात हो रही है । एक गांव है जिसका १७ नये पैसे, ३० नये पैसे वर्ग गज का मुआवजा मिला है । मैं नेगी साहब से कहना चाहता हूं कि सरकार ने दस हजार एकड़ जमीन ली है । वह सब फौरन काम में नहीं आयेगी । इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने जमीन ली है साल भर लिये हो गया सिर्फ दो सड़कें और एक कारखाना बना है । तो यह जमीन भी पड़ी रहेगी । मैं नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि कैबिनेट को मूव करें कि जिस कारखाने वाले को जमीन की जरूरत हो दे दें, लेकिन एक कारखाना यहां, एक वहां, यह नहीं होना चाहिये, एक तरफ से बनना चाहिये । बाकी जमीन किसानों को पट्टे पर दे दें । अगर उनसे बहुत नाराज हैं तो अपने ट्रैक्टर चला कर उसमें अन्न पैदा करवायें ताकि अन्न की समस्या भी हल हो । यह एक बात गम्भीर तथा अहम मसला है ।

श्री बलवानसिंह—

गाजियाबाद का जवाब जरूर आना चाहिये क्योंकि तमाम शहरों का यह मसला है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब बजट पर सामान्य विवाद होता हो उस वक्त आगे बैठने वाले सज्जन जिनको मंत्री कहा जाता है, उनमें केवल खाद्य मंत्री उपस्थित हैं और सारी कुर्सियां खाली हैं । आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में अध्यक्ष जी ने इस तरह की रूलिंग दी थी कि जब बजट पेश हो तो सभी मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये । अध्यक्ष जी ने इधर कई बार आग्रह किया मंत्रियों से, लेकिन मंत्री इस तरह के सदुपदेश को सुनने को तैयार नहीं हैं । एक मंत्री कैसे सब विभागों की सूचना दे पायेगा यह कठिन बात है । इससे साफ मालूम होता है कि बजट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जी सदन में राय देते हैं पर उस पर सरकार की विचारधारा क्या हो सकती है ? इसी से साफ व्यक्त हो रहा है । मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के जितने मंत्री है वह बिलकुल अयोग्य इसलिये है कि वह सदन में वाद-विवाद सुनना पसन्द नहीं करते ह । हो सकता है, मैं मानता हूं कि बहुत से मंत्री काबिल हैं लेकिन काबलियत कभी कभी काम नहीं देती है और छोटे छोटे व्यक्तियों की राय भी अच्छि हो जाया करती है । इसलिये मैं नेगी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने साथी मंत्रियों को इतनी सलाह तो कम से कम दें कि जब बजट सेशन चलता हो तो दौरे कम करें । आज जहां किफायतशारी की बात हम करते हैं वहां पर मंत्रियों का दौरा आप देखें, आपके पास तो मंत्रियों के दौरे का कार्यक्रम आता होगा, कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो तूफानी दौरा न करता हो । सारा पैसा किस तरह बहाया जाता है उस पर कहने लगूंगा तो बहुत वक्त लगेगा । जब सामान्य प्रशासन का बजट आयेगा उस दिन यह बातें निवेदन की जायेंगी ।

श्रीमन्, बजट एक आइना है जिससे प्रदेश के बारे में और प्रदेश के लोगों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है । उस आइने में प्रदेश के छोटे से छोटे आदमी की ओर बड़े से बड़े आदमी की क्या तस्वीर है यह देखा जा सकता है और आगे उसकी तस्वीर कैसी होने वाली है यह भी देखा जा सकता है । मैं समझता हूं कि जो भुवनेश्वर में फैसला किया गया कि लोकतांत्रिक समाजवाद हम देश में लाना चाहते हैं वह इस बजट के लिये एक मखौल है । इस बजट के जरिये यह उम्मीद नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी उन्नति कर पायेगा । उसके परिवार को पढ़ने-लिखने का, खाने-पीने का, रहने का, रोजी-रोजगार प्राप्त करने का साधन कैसे उपलब्ध होगा यह बजट से कहीं दिखाई नहीं देता है । आप देखेंगे कि जहां लेखपाल वगैरह और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, ऐसे छोटे कर्मचारियों के लिये जिनकी कि तनख्वाह पचास-साठ, सत्तर या अस्सी रुपये है और इस सदन की दीवारों के अन्दर रहने वाले चपरासी जिनकी तनख्वाह साठ-सत्तर रुपये है, उनके लिय महंगाई में पांच रुपये माहवार की बढ़ोत्तरी हुई है और ४५० से लेकर ८५१ तक तनख्वाह पाने वाले अफसरों को ४० रुपये महंगाई भत्ता दिया गया है । उसी से साफ मालम होता है कि बजट के बनाने वाले लोग और सरकार की मोहर जिस पर लगती है, उनका क्या इरादा है ? क्या उनका इरादा इस देश में समाजवादी राज्य बनाने का है ? क्या उनका इरादा इस देश में ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने का है जो सही माने में पिछड़े हुए हैं ? हजारों-लाखों वर्षों से जो पिछड़े हुये हैं उनको ऊंचा उठाने के लिये सरकार की ओर से इस बजट में क्या प्राविजन है ? ऐसे लोग जब इस बजट की बात सुनते हैं तो निराश होते हैं । उनका दिल टूटता है । वह यह कभी महसूस नहीं करते हैं कि इस सरकार के रहते, इस प्रतिक्रियावादी विचारधारा के रहते हमारी भी सुनवाई हो सकेगी । बजट मे इस तरह का प्राविजन होना चाहिये कि गरीब आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले और बड़े आदमी बढ़े नहीं, तो एसा वक्त आ सकता है कि गरीब आदमी उस बराबरी तक पहुंच जाय जिसमें कि सारे देश के रहने वालों का बराबरी का रिश्ता हो और सबको समान अवसर मिले ।

इस बजट के जरिये जो महान लक्ष्य है समाजवाद का वह पूरा नहीं होने वाला है । सबसे बड़ा लक्ष्य आप जानते हैं कि आमदनी में १ और १० के फर्क का है । मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं कि सरकार कभी इस देश में या प्रदेश में एक और दस का फर्क आमदनी में कर पायेगी । समाजवादी कह देने की बात तो अलग है लेकिन जब इनके हाथ में शासन सत्ता है और शासन सत्ता हाथ में आ जाने के बाद उस रास्ते पर अगर सरकार नहीं चल सकती है तो मैं समझता हूं केवल जबानी कह देने से कि समाजवादी हम है, किसी को विश्वास नहीं होने वाला है, न इससे देश समाजवादी बनने वाला है और न आपके समाजवाद में कोई जाग्रत नागरिक देश का आने वाला है । जब आप छोटे से छोटे कर्मचारी को देखेंगे और ऊपर वाले को देखेंगे तो दोनों की आमदनी में महान अन्तर है । जहां कि एक और दस की बात हम करते हैं वहां एक और ३०० का फर्क है, २०० का फर्क है । तो फिर कामराज जी का समाजवाद और नेगी जी का समाजवाद यह नहीं कर सकता कि एक और दस का फर्क हो । यह समाजवाद आपके लिये होगा, लेकिन हम लोग जो समाजवाद पढ़े हुये हैं उसमें तो यह है कि आमदनी में एक और दस का फर्क होना चाहिये । मुद्रा स्फीति कम कीजिये तो महंगाई अपने आप कम होगी । आज आप यह देखें कि किसानों की हालत क्या है ? अपने देश में आज किसान की हालत बदतर है । जब उसके घर में गल्ला पैदा होता है तो सारा सामान सस्ता बिकता है और जब वह गल्ला महाजन के घर में चला जाता है तो अनाज महंगा बिकने लगता है । यह सरकार अगर विदेशी सरकार की नकल करे तो उसको पता चले कि स्वीटजरलैंड में क्या होता है । कोई भी ऐसा देश संसार में नहीं है जहां पर इस तरह से होता हो कि जब किसान के घर में गल्ला हो तो उसका सामान सस्ता लिया जाय और जब उसको जरूरत पड़े तो ज्यादा कीमत पर मिले और इतनी ज्यादा कीमत पर मिले कि जिसमें महान अन्तर हो । जब चैत में जौ का भाव १० रुपये मन होता है तो उस समय उसको अपना सारा सामान बेचना पड़ता है और जनवरी-फरवरी में उसको जौ की जरूरत होती है तो वह २० रुपये के भाव उसको खरीदता है । इसी प्रकार से जब गुड़ गांव में बनता है तो १० रुपये मन बिकता है, लेकिन असाढ़ और सावन में जब उसको जरूरत होती है तो वह ३०-४० रुपये पर खरीदता है । यह सरकार का दोष है जो सरकार की बिलकुल पूंजीवादी मनोवृत्ति का परिचायक है । किसान जो कारखाने का सामान खरीदता है वह उसको बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है । उसको वह सामान अपना सस्ता गल्ला बेच कर खरीदना पड़ता है । जब गल्ला बहुत सस्ते भाव पर रहता है तब वह खरीदता है । जब वह महाजन के पास चला जाता है तब उसको गल्ला ऊंचे दाम पर लेना पड़ता है । यह सरकार के ऊपर दोष है । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन किसानों की संख्या इस प्रदेश में ८०, ९० फीसदी है उनके साथ इस तरह का बरताव करती है और उनको भूखों मारती है । इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । मैं समझता हूं जब तक सरकार इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं करेगी कि उनको संतुलित भाव पर सामान मिले तब तक उनकी दशा सुधर नहीं सकती है । किसानों के गल्ले को इकट्ठा किया जाय और जो कारखानों का सामान किसान खरीदना चाहते हैं उनसे उसी भाव से गल्ला लिया जाय जिस भाव पर कारखाने का सामान वह खरीदे । जब तक उनके अनाज का और कारखाने के सामान का संतुलित भाव नहीं होगा तब तक किसान अपनी कमाई का पैसा खा नहीं पायेगें, भर पेट रोटी नहीं मिल सकेगी । जब तक नेगी जी राज्य व्यापार के जरिये से इसका प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक यह गल्ले की समस्या हल होने वाली नहीं है और किसान सुखी नहीं हो सकते हैं ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हुं कि इस प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार से किसानों की विभिन्न श्रेणियां हैं उसी प्रकार से जमीन की श्रेणियां भी बनी हुई हैं । अपने प्रदेश में कई प्रकार की जमीनें हैं । उन जमीनों से आमदनी भी तरह तरह की है लेकिन क्या होता है । जहां पर जमींदारी रही है और जिस तरह से उन्होंने जमीन की मालगुजारी नीयत की थी वही मालगुजारी कांग्रेसी राज में भी है । जब जमींदारी के खत्म होने की बात थी तो हम सब लोगों ने कहा कि जमींदारी टूटेगी और किसानों के खेतों की मालगुजारी आधी होगी लेकिन उन लोगों की आधी मालगुजरी नहीं हुई बल्कि अंग्रेजी राज से भी मालगुजारी बढ़ी है । मैं इस बात को

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि जहां पर गल्ला अच्छा होता है, जिस खेत की जमीन अच्छी है अगर उसका जमींदार अच्छा रहा, ईमानदार रहा, गरीबों का कुछ खयाल किया तो उसने उसकी मालगुजारी कम रखी । जो जमींदार निर्दय था उसने अपने यहां काश्तकारों की मालगुजारी ज्यादा रखी । हमने देखा है कि अगर ४ रुपये मालगुजारी है तो वह जमीन अच्छी है और पैदा अच्छी होती है । यह भी देखा है कि नदी के किनारे की जमीन है, बालू है लेकिन उसकी मालगुजारी १२, १३ और १८ रुपये है इसलिये मैं यह कहना चाहता हु कि जब तक जमीन के मुताबिक मालगुजारी नियत नहीं की जाती है तब तक काश्तकारों की समस्या हल होने वाली नहीं है ।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मालगुजारी के माफ करने की जो पद्धति है वह बहुत खराब है । खाते पर मालगुजारी माफ होती है । खाते के माने यह हैं कि अगर सारे खाते का नुकसान हो तब वह माफी होती है । यह नही है कि किसानों का नुकसान हुआ है लेकिन एक खाते में होने से उनको मालगुजारी मजबूरन अदा करनी पड़ती है । देहात में गल्ला कम पैदा हुआ और सस्ते दाम पर बेचकर वह मालगुजारी अदा करते हैं । मैं समझता हूं यह पुरानी परिपाटी खत्म होनी चाहिये, जो पुराना तरीका चला आ रहा है वह अब समाप्त होना चाहिये । जो समाजवाद की बात यहां पर की जाती है उसी के अनुसार नई परिपाटी अपनानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

राज्यपाल महोदय के पत्र की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं । महामहिम राज्यपाल का धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में जो पत्र आया है वह इस प्रकार है ।

"श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आप के पत्र दिनांक फरवरी, १९, १९६४ के लिये, जिसे आपने विधान सभा के कुछ सदस्यों के साथ आ कर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं । मैं विधान सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने अपनी ६ फरवरी, १९६४ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं ।

भवदीय,

विश्वनाथ दास ।"

१९६४-६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद--(क्रमागत)

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें । बात यह है कि ऐसे किसी भी माननीय सदस्य को आज मौका नहीं दिया गया कि जो पहले बोल चुका है । इस साल जो लोग नहीं बोले हैं उनको ही मौका दिया गया है । (व्यवधान) मेरी कोशिश यह है कि जो साहब नहीं बोले हैं उनको बुलवाया जाय ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन, सब को एक साथ बोलने दें । बहुत दिनों से नहीं बोले हैं । (व्यवधान)

श्री अहमद बख्श (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर अगर मैं आपका शुक्रगुजार न होऊं कि आपने मुझे मौका दिया तो यह तो सितमजरीफी होगी । इस वक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस बजट का जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया है समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक इसमें लो पेड इम्प्लाईज का ५ रुपये भत्ता बढ़ाया गया है, पेंशन पानेवालों की पेंशन बढ़ायी गयी है वह ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात पर भी एतराज किये बिना नहीं रह सकता कि साढ़े चार सौ से साढ़े आठ सौ तक तनख्वाह पाने वालों का महंगाई भत्ता ४० रुपये माहवार के हिसाब से दे दिया गया है । यह मुनासिब बात नहीं है । मैं यह भी गुजारिश करना चाहता कि बजट देखने से हमें अपनी पुरानी जिन्दगी आइने की तरह मालूम पड़ जाती है और यह मालूम हो जाता है कि हम में क्या कमी है और क्या हल हम इसका अगले साल में निकाल सकते हैं । एक तस्वीर हम उसकी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि हमें क्या करना है हम उसके बाद नये साल का बजट इसलिये बनाते हैं कि एक संतुलन के साथ हमारा काम चल सके । हमें अपने पिछले कारनामों से एक मुस्तकबिल के लिये सबक हासिल हो सकता है । मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि आमतौर से हर साल जो बजट पेश होता है उसमें इधर के और उधर के बैठने वाले अपने खयालात का इजहार करते हैं, आलोचनायें करते हैं और सुनने वाले उन्हें सुनते हैं, लेकिन कहने वाले भी भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा और सुनने वाले भी भूल जाते हैं कि क्या कहा गया था । सुनने वालों को यह भी नहीं याद रहता कि हमें अमल किस बात पर करना चाहिये । इसलिये हमें याद रखना चाहिये कि हमने किस किस बात की पिछली बार आलोचना की थी और अगर किसी बात की आलोचना हमने पिछली बार की थी तो उसमें इस बारे में कुछ सुधार हुआ या नहीं इसे हमें देखना चाहिये । यह काम तभी हो सकता है जब हम बजट का अध्ययन करें, जानें कि इसमें क्या सुधार हुये हैं । अब वह चाहे गवर्नर का एड्रेस हो या फूड सेचुयेशन पर बहस हो, हमारा राग एक ही रहता है । हम वही राग अलापते रहते हैं और कोई तामीरी सुझाव देने में असमर्थ रहते हैं । इसलिए मुझे बजट के सिलसिले में यह बात कहकर यह बात शुरू करनी है कि हम जब किसी चीज की तनकीद करें तो हमारे दिल में फैसला होना चाहिए कि हम जो सुझाव दें अपनी दानिश्त में तामीरी हों । बकौल शायर, हम गाते रहें और वह सुनते रहें--

चीखते चीखते बुलबुल की जबां सूख गयी,
गुल पै शैदा रही पर नामें खुदा चूक गयी ।

हमने खाद्यान्न बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ योजनायें बनायीं और हर चन्द कोशिशें कीं । मिसाल के तौर पर तहकीक की जाय तो सन् ४७ से लेकर आज तक कई योजनायें हमारी चलीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन फिर भी हम अपने टार्गेट से बहुत दूर हैं । तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उस कमजोरी को देखें उस लूपहोल को देखें कि कहां पानी जमा होता है और कहां को निकाला जाता है । खाद्य उत्पादन की बढ़ोत्तरी का मसला हमारे लिये बहुत नुमायां है । उसके लिये हमने अच्छी खाद का इंतजाम किया, अच्छे बीज का इंतजाम किया अच्छे औजार का प्रबंध किया गया, जमींदारी का खात्मा किया गया ताकि काश्तकार अपनी जमीन समझ कर उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले । तकावी की इमदाद दी जिससे काश्तकार की हालत सुधरे । साधन समितियां बनायी गयीं और मजमूई तौर पर उन जरूरियात को पूरा करने की कोशिश की गयी जो कि इनफरादी तौर पर पूरी नहीं हो सकतीं । कोआपरेटिव सोसाइटीज भी बनायी गयीं । काश्तकार चिल्लाते थे कि जब तक सिंचाई के साधन नहीं होंगे तो अच्छी पैदावार नहीं होगी उसके लिए छोटे छोटे कुएं, तालाब, नहरें, गूलें और प्राइवेट और सरकारी ट्यूबवेल्स का इंतजाम किया गया । साथ ही स्टेट एग्रिकल्चर बोर्ड भी कायम किया गया । ऐग्रिकल्चर एक्सपर्ट्स की मदद ली गयी । ड्रेनेज की आमतौर से शिकायत थी कि वाटर-लागिंग और सीवेज हो जाया करता है और जमीन बेकार पड़ी रहती है तो उसके लिये नालों का प्रबंध किया गया । छोटी छोटी होल्डिंग्स को चकबन्दी के जरिये इकट्ठा करके काश्त को तरक्की देने

[श्री अहमद बख्श]

की कोशिश की गयी और यह भी लोभ काश्तकार को दिया कि जो अच्छी पैदावार करेगा उसको इनाम दिया जायगा। उसके कम्पेटीशंस हुए। उसके लिए स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी कायम हुआ कि फिगर मुहइया करे कि कहां कमी और कहां बढ़ोत्तरी हो रही है। गरज गांव के स्तर से लेकर सूबे के स्तर तक तमाम सहूलियतें बहम पहुंचाई गयीं जिससे काश्तकार अपनी पैदावार बढ़ा सके। लेकिन इन तमाम सहूलियतों और सुविधाओं के बावजूद अगर खाद्य उत्पादन में तरक्की नहीं हुई तो इस बात की इंक्वायरी करायी जाय कि कमी क्यों हुई और इस मसले पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये कि किस तरह से इस कमी को दूर किया जा सकता है।

एक बात मैं और आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं। परसों सदन में एक बात कही गयी कि एक मुस्लिम एम०एल०ए० यहां ऐसे हैं जिनके नाम पाकिस्तान में कोई मकान एलाट है और वहां पर उनका राशनकार्ड आदि भी बना हुआ है। कुंवर श्रीपाल साहब ने भी एक बात यह कही कि हजरतगंज में काफी ट्रांसमिटर्स काम कर रहे हैं जो यहां की सूचना पाकिस्तान को देते रहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हर मुल्क में कुछ न कुछ गद्दार हुआ करते हैं, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि जो दिल में आये कह दिया जाया करे और एक तरह से भ्रम पैदा किया जाय। यह मुल्क में बदअमनी पैदा करने वाली बातें हैं। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिये साफ-साफ कहने की और उसको उस आदमी का नाम भी बताना चाहिये बजाय इसके कि वह पीठ पीछे शिकार खेले और मुल्क की फिजा को खराब करे। यह नामर्दी की बातें करना हैं। हमने कांग्रेस में शामिल होने का सन् ३४ में फैसला किया था और आज तक उसी में रहते हुये हम मुल्क की सेवा कर रहे हैं। हम ऐसे नेशनालिस्ट मुस्लिम हैं कि पाकिस्तान तो दूर रहा, अरब वालों की भी हम आंख निकाल लेंगे अगर हमारे मुल्क के खिलाफ उन्होंने कुछ किया। अगर अरब भी हमको गुलाम बनाना चाहेगा तो उसके खिलाफ पहले गोली हमारी चलेगी, बजाय इसके कि कुंवर श्रीपालसिंह जी की गोली चले। हम इस तरह के नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं। तो मेरी गुजारिश यह थी कि ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिये। अगर नाम नहीं बताया गया तो मैं समझूंगा कि जो कुछ कहा गया वह सब झूठ था।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय समाप्त हुआ।

श्री अहमद बख्श--

एक बात और गुजारिश करना चाहता हूं। आपके यहां जो आर्डर ईशू होते हैं, देखने में यह आया है कि उनका पालन ठीक प्रकार से नहीं होता है। वे रद्दी की टोकरी में पड़े रह जाते हैं। जब स्टेट में यह हालत पैदा हो जायगी, आपके उन आर्डरों की कोई अहमियत नहीं रहेगी और उसके अनुसार वे काम करना छोड़ देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

पुलिस कर्मचारीगण थाना लार की वर्ष १९६२–६३ तथा १९६३–६४ के बकाया कर की सूची

क्रम-संख्या	नाम कर दाता	हैसियत कर तथा संपत्ति-कर जो निर्धारित किया गया १९६२–६३	१९६३–६४	योग बकाया टैक्स
		रु०	रु०	रु०
	सर्वश्री—			
१	बीरेन्द्र प्रताप सिंह, थानेदार ..	१२५	स्थानान्तरित	१२५
२	ख्वाजा सैयद अहमद, नायब थानेदार ..	१२५	,,	१२५
३	नारायण उपाध्याय, नायब थानेदार ..	१००	,,	१००
४	गोरखनाथ सिंह, हेड कांस्टेबिल, ..	४४	२४	६८
५	गजनफर अली, सिपाही ..	३४	२०	५४
६	भगवती सिंह ,, ..	३४	२०	५४
७	भृगुनाथ सिंह ,, ..	३३	स्थानान्तरित	३३
८	अब्दुलसत्तार ,, ..	३४	२०	५४
९	मुजमिल हुसेन ,, ..	३४	स्थानान्तरित	३४
१०	कपिलदेव सिंह ,, ..	३४	२०	५४
११	बृन्दा पांडे ,, ..	३४	२०	५४
१२	चन्द्रिका पाठक ,, ..	३१	१९	५०
१३	चन्द्र देव तिवारी ,, ..	३४	२०	५४
१४	परशुराम तिवारी ,, ..	३१	२०	४१
१५	भृगुनाथ यादव ,, ..	३३	स्थानान्तरित	३३
१६	बृजभूषण सिंह ,, ..	३३	१९	५२
१७	राम सरन सिंह ,, ..	३४	स्थानान्तरित	३४
१८	परशुराम सिंह ,, ..	३४	२०	५४
१९	प्रकाश राय ,, ..	३९	स्थानान्तरित	३९
२०	गया नाथ पांडे ,, ..	३४	२०	५४
२१	शिव नाथ सिंह ,, ..	३४	स्थानान्तरित	३४
२२	करीमउद्दीन ,, ..	३४	२०	५४
२३	रामदौर मिश्र, थानेदार ..	..	७०	७०
२४	रमेश चन्द्र यादव, नायब थानेदार ..	..	७०	७०
२५	प्रभुनाथ सिंह नायब थानेदार	..	५०	५०
२६	नेवाजिस अली सिपाही ..	..	२०	२०
२७	बैजनाथ सिंह , ,,	..	१९	१९
२८	जगरनाथ सिंह ,, ..	..	१९	१९
२९	राजमनी पांडे ,, ..	..	२०	२०
३०	रमाशंकर राय, हेड कांस्टेबिल	..	२५	२५
	योग ..	१,२०२	५५५	१,५५७

विकास कार्यालय लार के कर्मचारीगण की वर्ष १९६२–६३ तथा १९६३–६४ के बकाया कर की सूची

क्रम-संख्या	नाम कर दाता	हैसियत तथा संपत्ति-कर जो निर्धारित किया गया		योग
		१९६२–६३	१९६३–६४	
		रु०	रु०	रु०
१	श्री नारद मुनि चतुर्वेदी, विकास क्षेत्र अधिकारी।	१२५	६०	१८५
२	श्री बेनी माधो सिंह, सहायक विकास अधिकारी।	७५	स्थानान्तरित	७५
३	श्री ओम प्रकाश वर्मा, पंचायत राज निरीक्षक।	७०	४०	११०
४	श्रीमती आशा उपाध्याय, सहायक विकास अधिकारी।	३५	स्थानान्तरित	३५ ३० कुर्की द्वारा वसूल हो गया।
५	श्री शेषनाथ मिश्र, सेनेटरी इन्सपेक्टर..	६५	३०	९५
६	देवेन्द्र कुमार खन्ना, ओवरसियर ..	७०	स्थानान्तरित	७०
७	श्री भभूति सिंह, सहायक विकास अधिकारी, कृषि।	७५	४०	११५
८	श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह, मेकैनिक	५०	५५	११०
९	श्री टी० बी० गुप्ता, एकाउंटेंट ..	६५	स्थानान्तरित	६५
१०	रामअधार यादव क्लर्क	३०	,,	३०
११	श्री नैपाल सिंह, सुपरवाइजर ..	५५	५५	११०
१२	श्री हरीशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी।	..	३०	३०
१३	श्री तालुकेदार सिंह, पंचायत राज निरीक्षक।	..	५०	५०
१४	श्री जगदीश सिंह सहायक, विकास अधिकारी कृषि।	..	४०	४०
१५	श्री वसीउल्लाह खां, क्लर्क ..	..	२०	२०
१६	श्री राधेश्याम तिवारी, हेड क्लर्क ..	..	२५	२५
१७	एच०एस० राय, सहायक विकास अधिकारी	..	४०	४०
	योग ..	७२०	४८५	१,२०५

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

उत्तर प्रदेश एवं अलीगढ़ जिले में सन् १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में गेहूं, मटर, चना, जौ, मक्का और बाजरा की टनों में तथा प्रति एकड़ औसत उपज का विवरण

१—उत्तर प्रदेश

	१९६०–६१		१९६१–६२		१९६२–६३		
	उपज (टनों में)	प्रति एकड़ औसत उपज (मनों में)	उपज (टनों में)	प्रति एकड़ औसत उपज (मनों में)	उपज (टनों में)	प्रति एकड़ औसत उपज (मनों में)	अभ्युक्ति
गेहूं	३८,८२,२९८	१०.९४	४०,८८,९९०	११.०८	३१,८५,७७३	८.६२	
मटर	९,४४,९८०	१०.७९	९,९४,६२९	१०.५५	८,६५,०९९	८.९३	
चना	१८,०२,३७५	७.७८	१४,९४,११८	६.३९	१५,१४,९०३	६.८४	१९६२-६३ के आंकड़े परिवर्तनशील हैं।
जौ	१६,६०,५१७	१०.०१	१७,२६,७१४	१०.४३	१३,१८,०७६	८.६९	
मक्का	६,१५,३६१	६.४५	६,८३,३३९	६.९५	९,८६,९४७	१०.१४	
बाजरा	४,२२,३४५	४.२७	३,७९,०४२	४.३१	६,०५,१९३	६.४५	

२—जिला अलीगढ़

गेहूं	१,०७,७२७	११.७६	१,२२,५२१	१३.३०	१,१७,५२५	१२.७०
मटर	६३,५५५	१०.४७	७३,५५३	११.५६	५६,३३५	८.८१
चना	२६,०२८	६.९६	२३,९६२	६.५४	३२,२४३	९.३३
जौ	४९,३८५	९.६३	५९,५२७	११.८९	५०,९३८	११.४२
मक्का	१०,२१७	२.६३	१५,७५७	४.००	५५,५७४	१३.९५
बाजरा	२७,७६५	२.९८	४५,७३२	४.९४	७९,१८३	८.१९

चरणसिंह,
कृषि मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

पद			वेतन-क्रम
सप्लाई तथा राशनिंग निरीक्षक वर्ग के कर्मचारी			
			रु०
चीफ इंन्सपेक्टर	..	..	१६०–५–२००
सीनियर इंन्सपेक्टर	..	..	११०–५–१६०
सप्लाई इंन्सपेक्टर	..	..	८०–५–१२०
इंक्वायरी इंन्सपेक्टर	..	..	६५–३–८०–५–९०
असिस्टेंट फूडग्रेंस इंन्सपेक्टर	..	..	८०–५–१२०
लिपिक वर्ग के कर्मचारी			
हेड क्लार्क (पांच महानगरों के लिए)	..	..	१००–८–१४०–१०–१६०
हेड क्लर्क	..	..	८०–५–१००
स्टेनोग्राफर	..	..	७५–४–९५–५–१३०
एकाउंटेंट	..	..	१००–१०–१६०
सीनियर एकाउंट्स क्लर्क	..	..	७५–५–१००
जूनियर एकाउंटस् क्लर्क	..	..	६०–३–९०
क्लर्क / टाइपिस्ट		..	६०–३–९०
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी			
मसेंजर	..	..	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२७
चौकीदार	..	..	
चपरासी	..	..	
अर्दली	..	..	
वाटरमैन	..	..	
स्वीपर	..	..	
दफ्तरी	..	..	३२–१–३७
मार्केटिंग			
पल्लेदार-कम-चौकीदार	..	..	३२–१–३७
म्यूल ट्रान्सपोर्ट एजेन्ट	..	..	
निरीक्षक वर्ग के कर्मचारी			
सीनियर मार्केटिंक इंसपेक्टर	..	..	१०६–१०–२४०
मार्केटिंग इंसपेक्टर	..	..	८५–५–१६०
असिस्टेंट मार्केटिंग इंन्सपेक्टर	..	..	६०–३–९०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

लिपिक वर्ग के कर्मचारी

पद			वेतन-क्रम
			रु०
हेड क्लर्क (आर०एफ०सी० आफिस)	..	..	१०५–१०–२००
एकाउन्टेन्ट	..	..	१००–१०–१६०
रीजनल फूड कंट्रोलर के स्टेनोग्राफर		..	१००–५–१२५–इ० रो०–५–१६०–द० रो०–१०–२००
स्टेनोग्राफर	..	..	७५–४–९५–द०रो०–५–१५०
हेड क्लर्क (डिप्टी आर०एफ०सी० का आफिस)			१००–८–१४०–१०–१५०
सेकेंड ग्रेड क्लर्क	..	..	८५–६–११५
थर्ड ग्रेड क्लर्क	..	..	७५–५–१००
फोर्थ ग्रेड क्लर्क	..	..	६०–५–१००
रेकार्ड कीपर	..	..	९०–६–१२०
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट	..	..	१२०–८–२००

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

दफ्तरी कामदार		..	३२–१–३७
चपरासी मेसेंजर स्वीपर	..	..	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२७
बंडल लिफ्टर चौकीदार वाटरमैन	..	..	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२७

रीजनल एकाउन्ट्स आफिसर के कर्मचारी

चीफ एकाउंटेंट	..	..	१५०–१०–२००
एकाउंटेंट	..	..	१००–१०–१६०
सीनियर एकाउंट्स क्लर्क	..	..	७५–५–१००
जूनियर एकाउंट्स क्लर्क	..	..	६०–४–८०
अर्दली तथा चपरासी	..	..	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२७

पी० आई० एस० सी० राज्य लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कर्मचारी

एकाउंटेंट-कम-ट्रेजरर		..	१६०–१५–२२०– द० रो०–१५–२८०–२०–३००–द० रो०–२०–४०० (सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के लिए अन्यथा) ८५–६–१४५
असिस्टेंट	..	..	८५–६–१४५
क्लर्क	..	..	६०–३–९०

पद	वेतन-क्रम
लिपिक वर्ग के कर्मचारी	
हेड असिस्टेंट	१६०–१५–२२०–द० रो०–१५–२८०–२०–३००–द० रो०–२०–४०० सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के लिए अन्यथा १५०–१०–२५०।
असिस्टेंट	८५–६–१४५
हेड क्लर्क	१५०–१०–२००
असिस्टेंट फार साफ्ट कोक	८५–६–१४५ या ६०–३–९०–४–११०।
असिस्टेंट और क्लर्क्स ..	६०–३–९०–४–११०
डिप्टी पी०आई०एस०सी० के स्टेनो ..	७५–४–९५–५–१५०
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	
दफ्तरी	३२–१–३७
फर्राश, चपरासी, स्वीपर, चौकीदार, अर्दली	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२–२७
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ..	१२०–८–२००
स्टैटिस्टीसियन	१२०–८–२००
सीनियर क्लर्क	८५–६–१४५
टाइपिस्ट	६०–३–९०
लाइन आफीसर (लोहा तथा इस्पात) कलकत्ता	
हेड असिस्टेंट	१००–८–१४०–१०–१७०
हेड क्लर्क	१००–८–१४०–१०–१६०
असिस्टेंटस्	८०–५–१००–६–१३०
क्लर्कस् / टाइपिस्ट	६०–३–९०
स्टेनोग्राफर	७५–४–९५–५–१५०
आफिस चपरासी	२७–१/२–३२
इंन्सपेक्टर	१६०–१०–२००
बांट तथा माप निरीक्षक वर्ग के कर्मचारी	
सीनियर इंसपेक्टर	२००–१०–२५०–द० रो०–१०–३५० या १६०–१०–२४०।
मपेक्टर	१२०–६–२१०–द० रो०–१०–२५०

पद			वेतन-क्रम
		लिपिक वर्ग के कर्मचारी	
हेड क्लर्क	..	..	१६०–४०० सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के लिए अन्यथा १५०–१०–२५० ।
एकाउन्टेंट	..	..	१००–१०–१६०
नोटर्स एण्ड ड्राफ्टर्स	..	..	८५–६–११५
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट	..	..	१२०–८–२००
सीनियर एकान्ट्स क्लर्क/सीनियर क्लर्क्स		..	७५–५–१००
क्लर्क्स /टाइपिस्ट	..	..	६०–३–९०
जूनियर एकाउन्ट्स क्लर्क्स			७५–४–९५–द० रो०–५–१५०
स्टेनोग्राफर	..	..	
		चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	
दफ्तरी	..	..	३२–१/२–३७
चौकीदार	..	..	
चपरासी	..	..	
मेसेन्जर	..	..	२७–१/२–३२ या २२–१/२–२७
अर्दली	..	..	
लेबोरेटरी असिस्टेन्ट	..	..	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९३ पर)

योजना/वर्ष	सरकार द्वारा बैंक को दिया गया ऋण	बैंक द्वारा वितरित ऋण
	रु०	रु०
अल्प आय-वर्ग गृह निर्माण योजना--		
१९५८-५९	१५,२०,०००	२७,७८,५३०
१९५९-६०	४४,१७,०००	२८,८४,५२०
१९६०-६१	८,५०,०००	२९,७५,८००
१९६१-६२	२२,१३,०००	४०,१५,१५०
१९६२-६३	३२,५०,०००	४१,११,३९२
मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना--		
१९५८-५९	२७,००,०००	..
१९५९-६०	१४,६०,०००	३७,०००
१९६०-६१	..	६,८५,२६६
१९६१-६२	..	१२,५५,४५३
१९६२-६३	२०,००,०००	२४,६१,२९२

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)

कानपुर, मथुरा और आगरा जिलों के रोड साइड एवेन्यूज के लिये कार्य योजना के अध्याय २ के अनुच्छेद ४५ की प्रति :

अनुच्छेद ४५ : कटान के संपादन का ढंग ।

निम्नलिखित प्रकार के वृक्ष काटे जायेंगे :

(अ) समस्त मरे हुए और मरते हुए वृक्ष,

(क) निम्नलिखित प्रकार के वृक्षों को छोड़कर १६ इंच से अधिक व्यास के वृक्ष,

(१) सड़क के निकट गावों / मंदिरों और कुओं के वृक्ष जो कि १० वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के लायक हैं,

(२) जो वृक्ष १० वर्ष से अधिक जीवित रहने लायक हैं, लगभग सीधे हैं, एक ही आयु के हैं और एक या अधिक फर्लांग तक एक रूप का कुंज बनाते हैं ।

(ख) १६ इंच से कम व्यास का भद्दा और बुरी आकृति का कोई वृक्ष ।

(द) रक्षा पंक्ति के सभी वृक्ष ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २४१ एल० ए०—१९६४—८६० ।